## Annual Accounts National Legal Aid Fund

Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi on Accounts

Annual Report of National Legal Services Authority (NALSA)

2018-19



## NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi - 110011 Phone No.: 011-23382778, 23382121 (Fax) Website: www.nalsa.gov.in

## Annual Accounts National Legal Aid Fund

\*

## Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi on Accounts

\*

Annual Report of National Legal Services Authority
(NALSA)

2018-19



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road

New Delhi – 110011

Ph.No.011-23382778, 23382121 (Fax)

Website: www.nalsa.gov.in

## **Contents**

Annual Account of National Legal Aid Fund 2018-19 Page 1 to 27
 Audit Report of Comptroller and Auditor General of India Page 28 to 32 of India National Legal Aid Fund 2018-19
 Annual Report of National Legal Services Authority 2018-19 Page 33 to 82

## FINANCIAL STATEMENTS

OF

NATIONAL LEGAL AID FUND

OF

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11, JAM NAGAR HOUSE,

SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI - 110011.

FOR THE PERIOD 2018-19

## **Contents**

## Annexures

- A Balance Sheet
- B. Income and Expenditure Account
- C. Schedules of the above
- D. Accounting Principles
- E. Notes for the Schedules
- F. Statement of Receipt and Payments

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Balance Sheet as on 31.03.2019 of National Legal Aid Fund

and the state of t	- Parked of	Curre	Current Year	Previous Year	Year
Corpus/ National Legel Aid Fund and Liabilities	ampause	Amount	Total	Amount	Total
Corpus Fund	-		1,761,551.68		1,829,537.12
National Legal Aid- Fund Balance as on 1st April 2018		55.071.343.50		206.030.447.00	
Add: Amount Transerred From Income & Expenditure A/C					
(National Legal Aid Fund)		5,666,052.60	60,737,396.10	(150,959,103.50)	55,071,343.50
Reserves and Surplus	2				
Earmarked/ Endowment Funds	ဇ		W		*:
Secured Loans and Borrowings	4		ic)		***
Unsercured Loans and Borrowings	'n		i i		23
Deferred Credit Liabilities	9		734		O.B.
Current Liabilities and Provisions	7		1,000.00		*
1	otal		62,499,947.78		56,900,880.62
Assets					
Fixed Assets	80		457,610.67		525,596.12
Investments-from Earmarked/Endowment Funds	o		3 (W)		•
Investments-Others	5		V		3,250,553.00
Current Assets, Loans, Advances, etc.	Ξ		62,042,337.10		53,124,731.50
Miscellaneous Expenditure					7
(to the extent not written off or adjusted)	-4		200		
1	Total		62,499,947.78		56,900,880.62
Significant Accounting Policies	24				
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25				

National Legal Aid Fund

Name of Authority - National Legal Services Authority Income and Expenditure Account of National Legal Aid fund for the year ended 31st March 2019

Income	Schedule	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	*	
Grants/Subsidies	13	1,556,923,111.10	1,000,020,621,50
Fees/Subscriptions	14		· ·
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)	51	•	*
Income from Royalty, Publication, etc.	16	0	
Interest earned	17	2,045,126.50	10,729,840.00
Other Income	18	121,250.00	2,700,600.00
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19		
Total (A)		1,559,089,487.60	1,013,451,061.50
Expenditure			
Establishment Expenses	20	11.	(9)
Other Administrative Expenses, etc.	21	3,423,435.00	14,290,391.00
Expentiure on Grants, Subsidies, etc	22	1,550,000,000.00	1,150,000,000.00
Interest	23	•	(6.0
Depreciation (Net total at the end of year corresponding to Scehdule)	9		
Total (B)		1,553,423,435.00	1,164,290,391.00
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		5,666,052.60	(150,839,329.50)
W/off of TDS of Yearlier Years		326	119,774.00
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Heserve		of and a Contract of Contract	
Balance being unutilized Grant/ Other collections transferred to Legel Aid- Fund		5.666,052.60	(150,959,103.50)

25

Significant Accounting Policies Contingent Liabilities and Notes on Accounts

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Income and Expenditure Account (Corpus Fund) for the year ended 31st March 2019

Income	Schedule	Current year	Previous year
Income from Sales/Services		E)	
Grants/Subsidies		10.0	
Fees/Subscriptions		*	(.5.
Income from Investments(Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)		***	*
Income from Royalty, Publication, etc.		1427	55
Interest earned			S.P.
Other Income		70	(#.
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress			*
Total (A		# (A)	
Expenditure		5.	
Establishment Expenses		100	10
Other Administrative Expenses, etc.		100 m	
Expentiure on Grants, Subsidies, etc			3.5
Interest			·
Depreciation (Net total at the end of year corresponding to Scehdule)		67,985.44	78,574.64
Total (B)		67,985,44	78,574.64
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(67,985.44)	(78,574.64)
Transfer to Special Reserve (Specify each)		•	e.
Transfer to/from General Reserve			Control of the last
Balance being Deficit, Carried to Corpus Fund		(67,985.44)	(78.574.64)

24 25

Significant Accounting Policies Contingent Liabilities and Notes on Accounts C

## Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019 National Legal Aid Fund

SCHEDULE - 1 : Corpus Fund	Current Year	Year	Previous Year	s Year
Corpus Fund Balance on the beginning of the year	1,829,537.12		5,400,907.96	
Add: Cost of Addition to Fixed Assets	) i	1,829,537.12	**	5,400,907.96
Add/(Deduct): Net Balance of Income & Expenditure A/c (Corpus Fund )		(67,985.44)		(78,574.64)
Less: Adjustment of W.D.V. of Building, Vechicle, Furniture and Office Equipment	oment	•)		(3,492,796.20)
transferred from the Income and Expenditure Account.				
Balance as on the end of the Year		1,761,551.68		1,829,537.12

Name of Authority - National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS	Current Year		Previous Year	s Year
1. Capital Reserves:				
As per last Account	<b>F</b> S	r)		(25)
Addition during the year	*	駁	***	
Less deductions during the year	I.	<b>.</b>	( <del>)</del>	(3€);
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account	31	*	**	*
Addition during the year	<b>01</b>	ć.	ì	
Less deductions during the year	(31)	100		150
3. Special Reserves:				
As per last Account	1	\$ <b>9</b> 75	•	•
Addition during the year	r;	Đ.	**	٠
Less duductions during the year	(n)	3.	Ť.	**
4. General Reserve				
As per last Account		Æ	Ĭ.	*
Addition during the year	(2)L(1)	\$ <b>9</b> %		•
Less duductions during the year		#2	(a)	100
Total	1		100	

Desert from

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

	leri		2	Fund-Wise break up	Total	
SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	UNDP Fund	und Name of Fund	Name of Fund	Name of Fund	Current Year	Previous Year
a)Opening balance of the fund		GC.				T
b) Additions to the funds:						
i) Donations/grants		*	***	*	**	2
<ul> <li>ii) Income from invesments made on account of funds</li> </ul>			٠		V:*0	1.00
iii) Other additions (specify nature)			100	3.0×	28	3
Tota	Total (a+b)		**	*	***	300
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		,	1000	*	*	
i) Capital Expenditure			٠		() <b>*</b> ()	
Fixed Assets		7.4	•	200	28	2
Others	_	96	*	*	*	ě
Total		6	(40)	6	•	
ii) Revenue Expenditure		ōl∳	9	((e	719	
Salaries, Wages and Allowances, etc.	_	30	•	**	**	
Grant Paid		))	100	*	*	2
Other Administrative expenses		S14	(*)	i i	i†	
THE DATE OF THE PROPERTY OF TH	Total c		3.0		3.5	*
Net Balance as at the end of the Year (a+b+c)			*		**	

Note 1. Disclousers shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

Note 2. Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate fund and not to be mixed up with any other fund.

Member Secrectary

9

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:	Current Year	Previous Year
Central Government		
State Government	1.4	
3. Financial Institutions	1.4	
a) Term Loans	7.20	€.
b) Interest accrued and due	7.20	€.
4. Banks	7.20	€.
a) Term Loans	748	29
Interest accrued and due	748	29
b) Other Loans	196	¥6
Interest accrued and due	196	¥6
5. Other Institutions and Agencies	10 <b>+</b> 3	¥.
6. Debentures and Bonds	1.6	¥.
7. Others	(*i	₩.
Total	0.€1	16

(Semi Aponda)

## National Legal aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 5-UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	Previous Year
Central Government	*	á
State Government	×	
3. Financial Institutions	×	
4. Banks:	*	
a) Term Loans	*	
b) Other Loans	-	
5. Other Institutions and Agencies	-	
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Other	*	3
<u>Total</u>	-	*
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances Secured by hypothecation of capital		
equipment and other assets		
b) Others		
Total	-	<u></u>

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 7-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	Current Year	Previous Year
A. Current Liabilities		
1. Acceptances	I	
2. Sundry Creditors:	I	
a) For Goods	( <del>4</del> )	-
b) Others	e <del>*</del> 63	( <del>*</del> )
3. Unutilised Grant	8 <del>-</del> 87	
Interest accrued but not due on:	: <u>**</u> ?	
Secured loans/borrowings		-
b) Unsecured loans/borrowings	**	
5. Statutory Liabilities	I	
a) Overdue	( <del>4</del> 8)	943
b) Others(Tds on Contractor)	1,000.00	(#)
6. Other Current Liabilities	•	•
Total (A)	1,000.00	

B. Provisions	Current Year	Previous Year
1. For Taxation		.50
2. Gratuity		<b>4</b>
Superannuation/Pension	<b>完</b> 基5	( <del>-</del>
Accumulated Leave Encashment	( <del>4</del> 0)	4
5. Trade Warranties/Claims	e#3	(*)
6. Others	120	100
Total (B)		
Total ( A+B)	1,000.00	

Name of Authority - National Legal Services Authority
Depreciation Schedule For The Year ending 31st March ,2019

œ 8 N

SCHEDULE 8

=

9

Particulars	Cost as on beginning of the year as on	Addition during the year	Addition during the year	Deletion/Sales	Cost valuation at year end as on	Depreciation as on 1.4.18	Depreciation for the year as on 31-	Assets	Total Depreciation up	WDV as on 31.3.19	WDV as on 31.3.18
	1.4.2018	Ist Half	IInd Half		51.03.15		6102-60		6102-50-15 01		
Building	2,373,356.00	0.00	0.00	0.00	2,373,356.00	2,294,355.12	7,900.09	0.00	2,302,255.21	71,100.79	79,000.88
(Superstructure on land not								10			
Vehicles	3,939,821.00	0.00	00.00	0.00	3,939,821.00	3,778,542.42	24,191.79	0.00	3,802,734.21	137,086.79	161,278.58
Furniture & Fixtures	2,007,057.00	00:0	0.00	0.00	2,007,057.00	1,868,925.18	13,813.18	0.00	1,882,738.36	124,318.64	138,131.82
Office Equipment	3,241,297.00	0.00	00.00		3,241,297.00	3,094,122.78	22,076.13	0.00	3,116,198,91	125,098.09	147,174.22
Computers/Perpherals	1,796,430.00	0.00	0.00		1,796,430.00	1,796,419.38	4.25	0.00	1,796,423.63	6.37	10.62
Mobile Accessories	106,000.00	0.00		00:00	106,000.00	106,000.00	ja.	0.00	106,000.00		
Camera	458,703.00	00.0	00'0		458703.00	458,703.00	7	0.00	458,703.00	20	ii:
Microphone Cum Speaker	230,164.00	00:00	00:00	0.00	230,164.00	230,164.00	(12)	0.00	230,164.00	60	6 <b>4</b>
IC Recorder	5,990.00	00:0	00'0		5,990.00	5,990.00	V	0.00	5,990.00	2.	ii:
Air Conditioner	62,400.00	00:0	No.		62,400.00	62,400.00	(12)	00:00	62,400.00	60	
										70.0	¥60
					The second second second second						M.
	14,221,218.00	**	600	## 20	14,221,218.00	13,695,621.88	67,985.44	٠	13,763,607.32	457,610.67	525,596.11
5.55		.00			100		200	303		26	900
Previous year	14,221,218.00	9	(8)	9.5	14,221,218.00	14,221,218.00 10,124,251.04	78,574.64	78,574.64 3,492,796.20	9,296,409.31	525,596.12	525,596.12 4,096,966.96

Member Secrectary

9

## Name of Authority - National Legal Services Authority Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	3	38
2. Other Approved Securities	٠	*)
3. Shares		<b>8</b> 7
4.Debentures and Bonds	7	(10)
5. Subsidiaries and Joint Ventures	(1) (1)	996
6. Others		•
Total		*

SCHEDULE 10- INVESTMENTS-OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		790
2. Other Approved Securities	*	₩.
3. Shares	**	**
4. Debentures and Bonds		<b>9</b> 00
5. Subsidiaries and Joint Ventures		( •)(2
6. Fixed Deposits with Bank		3,250,553.00
	(A)	3,250,553.00

Member Secrectary

Ξ

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC.	Current Year	Previous Year
A. Current Assets		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares		· ·
b) Loose Tools		12
c) Stock-in-Trade	- 1	
Finished Goods		39
Work-in-progress		(
Raw Materials		5%
2. Sundry Debtors	- 1	
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	2	100
b) Others	*	2.8
Cash balances in hand (including cheques / drafts and imprest)	2	
4. Bank Balances	- 1	
a) With Scheduled Bank	1244349705 UNA (ERFORE)	
On Current Accounts	59,942,971.10	38
On Deposit Accounts(Includes margin money)	2	
On Savings Accounts		53,124,731.50
b) With non-Scheduled Banks		
On Current Accounts		7.6
On Deposit Accounts	2	(2
On Savings Accounts		7.6
5. Post Office-Savings Accounts	2	(2)
Total(A)	59,942,971.10	53,124,731.50

CHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC. (CONT.)	Current Year	Previous Year
Loans, Advances and Other Assets		
1. Loans:		
a) Staff Loans		39
<ul> <li>b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity</li> </ul>	*	1.5
c) Security Deposit		12
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	*	3.8
b) Repayments	3	1
c) Others (a) National informatice centre services Rs 2098366/- (b) Sab Media Software (p) Ltd Rs 1000/-	2,099,366.00	22
3. Income Accrued:	- 1	
a) On Investments from Earmarke/ Endowment Funds	2	12
b) On Investments-Others		
c) On Loans and Advances	2	12
d) Others		19
Memoration on time	2	(2
4. TDS Recievable	*	18
Total(B)	2,099,366.00	13
Total(A+B)	62,042,337.10	53,124,731.5

Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

	Current Year	t Year	Previous year	s year
SCHEDULE 12-INCOME FROM SALES/SERVICES	Amount	Total	Amount	Total
(Irrevocable Grants and Subsidies Received)				
1. Income from Sales				
a) Sale of Finished Goods	160	URS	200	:67
b) Sale of Raw Material	***	*	AC	960
c) Sale of Scarps	i.Y	<b>5</b> 77	£	¥3
2. Income from Services				
a) Labour and Processing Charges	39	29		8
b) Professional/ Consultancy Charges	:4:	*	•	**
c) Agency Commission and Brokergae]	160	(40	<b>M</b>	:60
d) Maintaince Services (Equipment/ Property) e) Others	10 A	85 8	E 6	* *
Total	i i			
COUEDIII CC 43 OBANTC/CIIBCIDICC	Current Year	t Year	Previous year	s year
SCHEDULES 13-GRANI S/SUBSIDIES	Amount	Total	Amount	Total
(Irrevocable Grants and Subsidies Received)				
Central Government     Grant Received	1,500,000,000.00	() ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	1,000,000,000.00	TO SERVICE STATE OF
Add: Unspent Grant Received Back	56,923,111.10	1,556,923,111.10	20,621.50	1,000,020,621.50
Less: Unspent Grant Durring the year		95		10
2. State Government 3. Government Agencies		#250#		8000
4. Institutions/Welfare Bodies		260		786
5. International Organisations		7.9		9
6. Others - Consolidated Fund				
Total		1,556,923,111.10		1,000,020,621.50

Deutonsol

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SHORTING 44 EFFECTIONS	(Amor	(Amount - Rs.)
SCHEDOLE 14-FEES/SUBSCHIPTIONS	Current Year	Previous Year
1.Entrance Fees	ř	*
2.Annual Fees/ Subscriptions		
3.Seminar/Program fees	¥	100
4. Consultancy Fees		
5. Others (Specify)	140	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total	10 mm	(10)
Note:- Accounting Policies towards each item are to be disclosed	isclosed	

Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from	Investment from earmarked fund	Investment-Others	nt-Others
(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to funds)	ansferred to funds)	The state of the s	1,000	1000
	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
1. Interest				
a) On Government Securities	360	A)	9	304
b) Other Bonds/Debentures	(i)	1:00		J:#1
2. Dividends:				
a) On Shares		ř	60	<b>8</b> 2
b) On Mutual Fund Securities	•	i i i		•C
3. Rents	1200	¥:	*5	K
4. Others(Specify)	175 4 1	¥.	200	K
Total	•	•	*	(iii)

Transferred to Earmarked/ Endowment Funds

Member Secrectary

12

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 16-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.	Current Year	PreviousYear
1.Income from Rovaltv	Ŷ	
2.Income from Publications	236 - 1	5# !
3.Others(Specify)	in i	S.*
Total	•	<b>1</b>
SCHEDULE 17-INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits		
a) With Scheduled Banks	203,055.00	350,773.00
Less Interest on Library fund (FD) Tsfd to Corpus Fund	*	*
b) With Non-Scheduled Banks	*	
c) With Institutions	73	3.*
d) Others	0.00	200
2. On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	1,842,071.50	10,379,067.00
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others - Interest on Upspent Grant	70. <b>3</b> 0	8780
3. On Loans:		
a) Employees/Staff		***
b) Others	*	*
4. Interest on Debtors and Other Receivables	28	3.8
Total	2,045,126.50	10,729,840.00
Note:- Tax deducted at source to be indicated		

BeneApouse

# Name of Authority - National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sale/Disposal of Assets:		
a) Owned assets	1	i i
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	<b>K</b> il	•S
2.Donation Recived	ı	.00
3. Fees for Cost/RTI received	7,500.00	2,600,500.00
4. Miscellaneous Income	113,750.00	100,100.00
Total	121,250.00	2,700,600.00

SCHEDULE19-INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
a) Closing stock		
Finished stock	ä	ï
Work-in-progress	THE	13
b) Less: Opening Stock		
Finished goods	(90)	30010
Work-in-progress	x	x
Net Increase/Decrease(a-b)		3
Total	** ***	ii.

Beechousel

# National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	70:	26
b) Allowances and Bonus	ř	Tr.
c) Contribution to Provident Fund	F2	
d) Interim Releif Arrears	118	
e) Pay and Allowances Arrears	\$1 <b>00</b> 13	53 <b>1</b> 0
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits g) Others	1 (2 5)	* <b>F</b> . (4
Total	<b>1</b>	

Beuthousel

## National Legal Aid Fund

# Name of Authority - National Legal Services Authority Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

Schodulo 21-OTHED ADMINISTRATIVE EXDENSES ETC	Circont Voor	Droujous Veer
Schedule 21-01 HER ADMINISTRATIVE EAFENSES, ETC.	Cullelli real	rievious rear
a) Purchase		3
b) Labour and Processing expenses	(1 <b>1</b> 6)	Sale
c) Cartage and Carriage Inwards	*	r
d) Electricity and Power	***	<b>3</b>
e) Conveyence	10	î.
f) Repairs and Maintenance	(0	:0
g) Vehicles Running and Maintenance		100
h) Postage, Telephone and Communication Charges	*	ă.
I) Printing and Stationery	2.00	548
j) Tour and Travelling Expenses	*	r
k) Expenses on Seminar/ Workshops-		
Training of Trainers Expenses	£	î.
I) Subscription Expenses		â
m) Auditors Remuneration		100
n) Professional Charges	151,258.00	ā
o) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		28,336.00
p) Bank Charges	*	ï
q) Advertisement and Publicity	00.000.69	8,947,035.00
r) Annual day Sahyog Exps		
National Legal Day & Commendations Ceremony Expenses	3,109,727.00	5,315,020.00
Lok Adalat Expenses	93,450.00	and a
Total	3,423,435.00	14,290,391.00

# Name of Authority - National Legal Services Authority Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2019

SCHEDULE 22-EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES, ETC.	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/Organisations	1,550,000,000.00	1,150,000,000.00
b) Grant for Multipurpose Vehicles / Institutions/ Organisations	•	í
c) Subsidies given to Institutions/Organisations	3 <b>1</b>	4
Total	1,550,000,000.00	1,150,000,000.00
As per Annexure		
		in A
SCHEDULE 23- INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans	T.S	٠
b) On Other Loans(Including Bank Charges)		
c) Others	x	Û
Total		

Beukowsk

## FORM-3

## Appendix forming part of Accounting of National Legal Aid Fund for the Year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 Name of Authority: NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

## SCHEDULES – 24 Significant Accounting Polices

## Accounting Convention:

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the Accrual Basis of accounting.

2. Inventory, Investments, Deferred Revenue and Sales:

The authority has no Inventory, no Investments, no Deferred Revenue Expenditure and no Sales.

## Government Grant / Subsidies:

- Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects treated as Capital Reserve.
- Grant in respect of specific fixed assets, if any, acquired are shown as an addition to Corpus Fund.
- Government grants / subsidy are accounted for on realization basis.

## Foreign Currency Transactions, Lease and Excise duty:

The authority has had no foreign currency, no lease and no excise duty transactions.

## Fixed Assets:

- Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties taxes and incidental and direct expenses relating to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses, from part of the value of the assets capitalized.
- From the financial year 2015-16, the Authority has decided to account for the addition of fixed assets only when the same are financed from National Legal Aid Fund.

Since no addition of fixed assets was financed out of National Legal Aid Fund, no addition of fixed assets has been considered.

## 6. Depreciation:

- Depreciation is provided on "Reducing Balance Method" as per rates specified in Income Tax Act 1961.
- 7. As per practice grant given to different State Legal Services Authorities and NGO's & Universities etc. have been considered as expenses of the year when paid, pending receipt of utilization certificates. The details of pending utilization certificates relate to the years 2008-09 to 2017-18 Rs. 5202 Lacs. During the year grant given worth Rs 15500.00 but no utilization has been submitted by State legal service Authorities involving 36 State Legal Service Authorities, Supreme Court Legal Services Committee including Mediation and Conciliation Project Committee and 29 NGO's / Universities etc.

- 8. During the Financial Year 2018-2019 National Legal Aid Authority Received Grant –in aid From Ministry of Law & Justices Rs 150.00 Crores out of this amount Rs 155.00 crores(Appr) were distributed as grant to different state legal services Authorities. The reason for the excess amount given to state legal services Authorities is amount lying in national legal fund which was unspent balances in Previous <u>year's</u>.
- 9. Loans and Advances amount Rs 2099366 shown in the Balance sheet for Vendor advances.
- Statutory dues amounting Rs 1000/- were outstanding as on 31.03.2019.
- Corresponding figures for the Previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

Member Secretary

(See Apond

## FORM-4

## Appendix forming part of Accounting for the Period / Year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 of National Legal Aid Fund, Name of Authority : NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

SCHEDULES - 25

Certificate in respect of contingent Liabilities and Notes on Accounts

- Contingent Liabilities during the year under reference NIL (Previous year – NIL)
  - · Claims against the entity acknowledged as debts NIL
  - In respect of
    - Bank Guarantees given by / on behalf of the Entity Nil
    - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity- NIL
    - Bills discounted with Banks NIL
  - · Disputed demands in respect of
    - Income Tax Rs. NIL
    - Sales Tax NIL
    - Municipal Tax NIL
  - In respect of claims from parties for non execution of orders, but contested by the Entity - NIL
- Capital Commitments during the year under reference NIL (Previous year – NIL)

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advance) - NIL

Lease obligations during the year under reference – Nil (Previous year – NIL)

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to - NIL

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in Balance Sheet.

## Taxation

In view of there being no taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary.

6. Foreign Currency Transaction during the year under reference - NIL

(Previous year - NIL)

<u>Particulars</u>		(Amount Rs.)
	Current Year	Previous Year
Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:		
- Purchase of finished Goods	NIL	NIL
- Raw Materials & Computers (including in transit)	NIL	NIL
- Capital Goods	NIL	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL	NIL
2. Expenditure in foreign Currency:		
- Travel	NIL	NIL
- Remittances and Interest payment to Financial Institutions / Banks in Foreign Currency	NIL	NIL
- Other expenditure		
* Commission on Sales	NIL	NIL
* Legal and Professional Expenses	NIL	NIL
* Miscellaneous Expenses	NIL	NIL
3. Earnings:	75.25-7	
- Value of Exports on FOB basis	NIL	NIL
4. Remuneration to auditors:	100000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Taxation matters	NIL	NIL
- For Management Services	NIL	NIL
- For certification	NIL	NIL

- 7. Fixed Assets Register has been properly maintained with effect from 1.4.2011. Assets relating to prior period though appearing in the fixed asset register have not been reconciled with the financial records for want of detailed information as to quantity and value. However, from the year 2015-16, The Authority has decided not to account for the new purchases of fixed assets if they are not financed out of National Legal Aid Fund.
- Appendix 1 to 23 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet and the Income and Expenditure accounts for the year ended on that date.
- Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.

## National Legal Aid Fund Name of Authority - National Legal Services Authority Receipts and Payments for the period/Year ended 31,03.2019

Opening Balances     a) Cash in hand     b) Bank Balances     i) In current accounts	Califolit Ical	Frevious tear	Payments	Current Year	Previous Year
a) Cash in hand b) Bank Balances i) In current accounts			1. Expenses		
b) Bank Balandes in in current accounts		•	<ul> <li>a) Establishment Expenses(Corresponding to schedule 20)</li> </ul>	1	•
il in current accounts			<ul><li>b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21)</li></ul>	3,422,435.00	14,262,055.00
() III contract to a contract	191	•	2. Payments made against funds for various Projects- Annexure	1,550,000,000.00	1,150,000,000.00
ii) In Fixed Deposit accounts	3,250,553.00	2,899,780.00	(Name of the fund or project should be shown alongwith the		
iii) Saving accounts	53,124,731.50	204,286,498.00	particulars of payments made for each project).		
2. Grants Received			3. Library Grant distributed	10	
a) From Government of India	1,500,000,000.00	1,000,000,000,000,1	,000,000,000,00 4. Investments and deposits made		
b) From State Government			a) Out of Earmarked/Endowment funds	10	
c) From Other sources- Unspent Grant	56,923,111,10	20,621.50	b) Out of Own Funds(Investment others)		3,250,553.00
(Grants for Capital & Revenue expenditure to be shown			5. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work in Progress		
separately)					
3. Income on Investments from	d.	₩.	<ul> <li>a) Purchase of Fixed Assets.</li> </ul>	M	100
a) Earmarked/Endowment Funds	*	240	<ul><li>b) Expenditure on Capital Work-in-Progress.</li></ul>	8	340
<ul><li>b) Own Funds (Other Investment)</li></ul>			<ol><li>Refund of surplus money/Loans</li></ol>		
4. Interest Received			a) To the Government of India	4	1
a) On Bank deposits	1,842,071.50	10,379,067.00	b) To the State Government	:!	
b) Loans, Advances, etc.,	# C	11 12 mm	c) To other providers of funds	1	240
c) On Unspent Grant		•	7. Other Payment( Advance)	2,099,366.00	•
d) Interest on FDR	203,055.00	350,773.00		1	*
5. Other Income(Cost /RTI)	7,500.00	2,600,500.00	9. Closing Balances		
6. Advance Grant	0.0000000000000000000000000000000000000	CATA CALCANDAR CONTRACT	a) Cash in hand (Tsfd to PAO)	<u>W</u>	·
7. TDS Refund Received	25	7	b) Bank Balances		
8. Other Reciepts	113,750.00	100,100.00	i) In current accounts	59,942,971.10	
8. Intrest Accrued	4	9	ii) In deposit accounts	70	ő
			iii) Savings accounts	0.0	53,124,731.50
	13				
Total	1,615,464,772.10	1,220,637,339.50	Total	1,615,464,772.10	1,220,637,339.50

## **UTILISATION CERTIFICATE**

## Financial Year 2018-2019

SI.No	Particulars (File No. & Date)	Amount in (Rs.)	
1.	Letters F No. A-60011/18/2018- LAP(JUS) Date 23/05/2018 Letters F. No. A60011/18/2018- LAP(JUS) Date 25/09/2018 Letters F.No.A60011/18/2018- LAP(JUS) Date 25/02/2019	50,00,00,000 30,00,00,000 70,00,00,000	Certified that unspent balance of previous year amounting to Rs.5,63,75,285/- was added by grant received during the year of Rs.150,00,00,000/- as per details given in the margin, unspent grant received back Rs. 56923111.10/-, cost collection Rs.7,500/-, other receipts Rs.113750/- and interest income of Rs.20,45,126 making a total of Rs.1,61,54,64,772.10. Out of this amount
	<u>Total</u>	150,00,00,000	Rs.1,55,00,00,000.00 were distributed as grants to different State Legal Service Authorities and Rs,34,22,435/- were spent by NALSA on other Legal aid Programme, vendor advance Rs 2099366/ and unspent balance of Rs.5,99,42,971.10 which is lying with bank in Current account.

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of checks exercised:-

- 1. Audited Accounts.
- 2. original Vouchers
- 3. Original Utilization Certificates

DANE	ALLOCATED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES	( As on 31.03.2019
	ALLOCATED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES	
S.No	Name of the State Authority	Grant Allotted
		(Rs.)
1	Andhra Pradesh State Legal Services Authority	40,000,000.00
2	Assam State Legal Services Authority	60,000,000.00
3	Bihar State Legal Services Authority	25,000,000.00
4	Chhattisgarh State Legal Services Authority	80,000,000.00
5	Delhi State Legal Services Authority	100,000,000.00
6	Gujarat State Legal Services Authority	35,000,000.00
7	H.P. State Legal Services Authority	40,000,000.00
8	Haryana State Legal Services Authority	85,000,000.00
9	Jammu & Kashmir State Legal Services Authority	45,000,000.00
10	Jharkhand State Legal Services Authority	70,000,000.00
11	Karnataka State Legal Services Authority	85,000,000.00
12	Kerala State Legal Services Authority	105,000,000.00
13	Maharashtra State Legal Services Authority	60,000,000.00
14	Manipur State Legal Services Authority	35,000,000.00
15	Mizoram State Legal Services Authority	40,000,000.00
16	Nagaland State Legal Services Authority	30,000,000.00
17	Odisha State Legal Services Authority	70,000,000.00
18	Punjab State Legal Services Authority	95,000,000.00
19	Rajasthan State Legal Services Authority	180,000,000.00
20	Sikkim State Legal Services Authority	-
21	Tamil Nadu State Legal Services Authority	60,000,000.00
22	Tripura State Legal Services Authority	30,000,000.00
23	U.T. Pandecherry State Legal Services Authority	
24	U.P. State Legal Services Authority	10,000,000.00
25	Uttarakhand State Legal Services Authority	20,000,000.00
26	West Bengal State Legal Services Authority	90,000,000.00
27	Telagana State Legal Services Authority	20,000,000.00
28	M P State Legal Services Authority	30,000,000.00
29	U.T. Chandigarh State Legal Services Authority	-
30	Arunachal Pradesh State Legal Services Authority	10,000,000.00
	TOTAL	1,550,000,000.00

Member Secrectary

# Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of National Legal Services Authority for the year ended 31 March 2019.

We have audited the attached Balance Sheet, Income & Expenditure and Receipts & Payments Account for the year ended 31 March 2019 of National Legal Services Authority (NALSA) under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 18(2) of "The Legal Services Authorities Act, 1987". These financial statements are the responsibility of the management of National Legal Services Authority. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller & Auditor General of India Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material miss statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- Based on our audit, we report that:
- i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Legal Services Authority (NALSA) in so far as it appears from our examination of such books.

#### iv We further report that:

#### A. Balance Sheet

#### A.1. Current Liability

As per the Schedule 24 of the "Significant Accounting Policies" the financial statement of NALSA were based on the accrual basis of accounts. Audit scrutiny revealed that NALSA had appointed a consultant vide office order dated December 2018 for a period of one year with effect from January 2019. The payment of ₹ 0.27 lakh to consultant for the period of March 2019 was made in April 2019. This payment should have been shown in the Income and Expenditure Account as well as current liability in the Balance sheet as per accrual basis. However, it was noticed that the payment was not depicted in the expenditure side of Income and Expenditure Account and current liability in the Balance sheet. Thus there has been understatement of expenditure and current liability.

#### A.2. Fixed Assets

A.2.1. NALSA had purchased one software worth ₹ 0.91 lakh and two pieces of hand held speech mikes for ₹ 0.50 lakh totaling to ₹ 1.41 lakh (₹ 0.91 lakh + ₹ 0.50 lakh) in January 2019 which was not added to the fixed assets resulting in understatement of Fixed Assets.

The depreciation which was to be charged on these assets amounting to ₹ 0.21 lakh was also not deducted resulting in understatement of expenditure and overstatement of the corpus fund.

A.2.2. Value of building was shown in the account of NALSA as ₹ 23.73 lakh since its inception in 1995. As per depreciation schedule written down value of building as on 31.03.2019 was ₹ 0.71 lakh. However, it was noticed that the building in question was a government building and does not belongs to NALSA. This has resulted in over statement of Fixed Assests by ₹ 0.71 lakh.

Further, depreciation of ₹ 0.08 lakh (@10%) charged on this Building is deducted from the Corpus fund. Thus there has been understatement of Corpus fund by ₹ 0.08 lakh. This was also pointed out in the last audit.

#### B. Grants-in-Aid

0

- National Legal Services Authority received grant-in-aid of ₹ 150 Crore from the Ministry of Law and Justice during 2018-19. The previous year's unspent balance was ₹ 5.52 Crore. The actual unspent balance was ₹ 5.64 crore, the difference of ₹ 0.12 crore was due to the adjustment of previous years balance as claimed in the Utilisation Certificate of 2017-18. The internal generated income was ₹ 0.21 crore (cost collection imposed by the Honourable court etc. and interest income) and unspent balance of grant received from the State amounting to ₹ 5.69 crore. Out of the total available fund of ₹ 161.54 crore (₹ 150 Crore + ₹ 5.64 crore + ₹ 0.21 crore + ₹ 5.69 crore), NALSA utilized ₹ 155.55 crore leaving an unspent balance of ₹ 5.99 crore(₹161.54 crore ₹ 155.55 crore) at the end of  $31^{st}$  March 2019.
- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Legal Services Authority as at 31 March 2017; and
  - b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the excess for the year ended on the date.

For and on behalf of C& AG of India

Place: New Delhi

Date: 02 .09.2019

Director General of Audit (Central Expenditure)

GERAGHE\_

#### Annexure to audit report

## 1. Adequacy of internal audit system

There is no internal audit department or cell. Internal audit of NALSA is conducted by Chief Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice. The internal audit was conducted upto 2017-18.

#### 2. Adequacy of internal control

The internal control was not adequate due to the following reasons:

- i) The National Legal Services Authority (NALSA) had given Grant-in-Aid to different State Legal Service Authority, NGO's and Universities etc. The Utilization Certificates amounting to ₹ 5202 lakh involving 36 State Legal Services Authorities and 29 NGO's/Universities were outstanding since 2008-09.
- ii) As per point 8 of the Schedule 24, the grants in aid in excess of the sanction were released to the grantees as huge amount was lying in National Legal Fund being the unspent balances in previous years.
- iii) Audit scrutiny of the grant release revealed that out of ₹ 155 crore grant released, a total of ₹ 73 crore were lying as unspent balance which was allowed to be carry forwarded during the year 2018-19. Neither the unspent balances were required to be surrendered not they were adjusted with future release. Thus excess of ₹ 73 crore were released during 2018-19.
- iv) Eighteen paras of internal audit observations and Eleven paras of external audit observations for the period from 1995-96 were pending for settlement as on 31.03.2019.
- v) The Trial Balance was not maintained.

#### 3. System of Physical Verification of assets

The physical verification of fixed assets on the assets created out of the grants was conducted for the year 2018-19 on 24.05.2019 and no discrepancy was noticed.

# 4. System of Physical verification of inventory

No purchase of books, stationery or consumables were made from the grants.

# 5. Regularity in payment of dues

As per accounts, no payments in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2019.

## ACRONYMS

DLSA	District Legal Services Authority
HCLSC	High Court Legal Services Committee
NALSA	National Legal Services Authority
PLV	Para Legal Volunteer
SCLSC	Supreme Court Legal Services Committee
SLSA	State Legal Services Authority
TLSC	Taluk Legal Services Committee

S.No.	Content	Page No(s)
1	About Us	
	Introduction	4
	Vision & Mission	5
	Organogram of Legal Services Authorities/Committees	
	Our Presence Across the Country	
2	Year at a Glance	
	2.1 Legal Aid & Advice	8-9
	2.2 Legal Awareness Programmes	
	2.3 Lok Adalats	
	2.4 Mediation	11
	2.5 Success Stories	12
	2.6 Legal Services Clinics	13
	2.7 New Initiatives	
	2.7(1) Legal Services/Empowerment Camps	14-15
	2.7(2) Victim Compensation Scheme	16-17
	2.7(3) Campaigns	
	(i) Enhancing Legal Services to Women Prisoners and their accompanying children in Prisons	18-20
	(ii) Door to Door Campaign	21-24
	(iii) Campaign for Convicts	25-26
	2.7(4) Legal Literacy Clubs in Schools	26
	2.7(5) Digitisation of Legal Services Clinics	27

	2.7(6) Access to Justice and Remedies for People Living in Far-flung Areas	27-28		
3	Strengthening the Legal Services Institutions			
	3.1 Round Table Consultation	28-30		
	3.2 Local Level Consultations	30		
	3.3 Central Authority Meets			
	3.3(1) 29 <sup>th</sup> Central Authority Meet	31		
	3.3(2) 30 <sup>th</sup> Central Authority Meet	32		
	3.4 Upgradation of Front Offices	33		
	3.5 Capacity Building-Training of Panel Lawyers & PLVs	34		
4	Unique Initiatives of the SLSAs/DLSAs Some other initiatives by the SLSAs/DLSAs	35-39		
5	Other Highlights			
	5.1 Participation in Expert Group Meeting at UNODC, Vienna	39-40		
	5.2 Legal Assistance to Disaster Victims	40-42		
	5.3 PLV Intervention for a Better Society	42-43		
	5.4 Success Stories of the Para Legal Volunteers	43-46		
	5.5 Commendation Ceremony	47-49		
6	Finances	50		
7	Way Forward	51		

## INTRODUCTION

Access to justice is much more than improving an individual's access to courts, or guaranteeing legal representation, it is ensuring that legal and judicial outcomes are just and equitable. Democratic governance is undermined where access to justice for all citizens, irrespective of gender, race, religion, age, class or creed is absent. Lack of access to justice limits the effectiveness of democratic governance by limiting participation, transparency and accountability.

One of the fundamental features that form the edifice of the Indian legal system is ensuring social, economic and political 'justice', which is critical for humanity as it restores a sense of equal citizenship. Public awareness of the availability of legal aid services and how to access them is critical in delivering legal aid services, particularly for poor and marginalized population. For reasons such as lack of financial resources, the lack of awareness on how to access the justice system and long travel distances to come in contact with the justice system, the vulnerable groups find themselves in challenging and complex situations.

Towards this end, the Legal Services Authorities Act, 1987, was enacted to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society. The Act provides for establishment of an apex body in the name of the National Legal Services Authority ("NALSA") which has the duty of making people aware about the existence of the legal services institutions and providing free and competent legal services to poor and vulnerable, spreading legal literacy and awareness as well as, undertaking social justice litigation for people belonging to diverse socio-economic, cultural and political backgrounds which forms the excluded groups within the country. At the State, District and Taluka level exists the network of legal services institutions.

## VISION


To promote an inclusive legal system in order to ensure fair and meaningful justice to the marginalized and disadvantaged sector.

#### MISSION

To legally empower the marginalized and excluded groups of the society by providing effective legal representation, legal literacy and awareness and bridging the gap between the legally available benefits and the entitled beneficiaries.


To strengthen the system of Lok Adalats and other Alternate Dispute Resolution mechanisms in order to provide for informal, quick, inexpensive and effective resolution of disputes and minimize the load of adjudication on the overburdened judiciary.

#### ORGANOGRAM OF LEGAL SERVICES AUTHORITIES/COMMITTEES





## OUR PRESENCE ACROSS THE COUNTRY



- ✓ National Legal Services Authority (NALSA)
- ✓ Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC)
- √ 36 State Legal Services Authorities (SLSAs)
- √ 36 High Court Legal Services Committees (HCLSCs)
- √ 665 District Legal Services Authorities (DLSAs)
- √ 2254 Taluk Legal Services Committees (TLSCs)

## 2. YEAR AT A GLANCE


## 2.1 LEGAL AID & ADVICE:

Free Legal aid and advice form the core functions of the Legal Services Authorities. Our focus was to ensure that quality legal aid and advice was rendered to the legal aid seekers. Amendments were made to the NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 ("Regulations").



The amended Regulations provided that while selecting a Lawyer for empanelment, factors such as his or her competency, integrity, suitability and experience will be taken into account. The Regulations also contain a provision that in order to empanel a Senior Lawyer, the Executive Chairman or Chairman of a Legal Services Institution may suo-moto empanel any

legal practitioner. Monitoring Committees were further transformed into Monitoring and Mentoring Committees. Total 14,755,77 number of persons were beneficiaries of the Legal aid and advice during the financial year 2018-2019.



## 2.2 LEGAL AWARENESS PROGRAMMES:



Knowledge of law is power and helps in empowerment. India, being the largest democracy in the world, has a dawning need for generating awareness of rights as knowledge, so that people live in consonance with the true dictates of democracy and rule of law. Legal illiteracy is one of the barriers to access to justice to people who are not aware of their entitlements under the welfare laws and schemes of the Central and State Governments. To make people aware of their entitlements as well as their duties under law, legal awareness camps were held across the country by Legal Service Authorities on various topics such as women law, child labour law,

fundamental rights and duties enshrined in the Constitution of India etc.



Awareness camp for the labourers

Programmes Held During the	Persons attended During the financial Year
financial year 2018-2019	2018-2019
1,765,46	1,97,507,67

#### 2.3 LOK ADALATS:

Lok Adalats have added an important dimension to iustice dispensation system of India. Based on a conciliatory principle, Lok avoid persistence of Adalat helps animosity between the litigant parties. It can infuse a spirit of amity and peace amongst the contenders. The mechanism saves the litigants from anxiety, bitterness, litigation expenses and protracted litigation.



Lok Adalats were organized periodically by the concerned Legal Services Institutions at every level. Under the aegis and conceptualization of NALSA, five National Lok Adalats were held during the financial year 2018-2019 across the country. Cases settled included matters relating to NI Act, Bank Recovery cases, Labour Dispute cases, Service matters, Criminal Compoundable matters, MACT, etc.

#### PERFORMANCE FOR THE YEAR

719	Disposal of Pre- litigation	Disposal of Pending Cases	Total Cases settled
Lok Adalat (other than National Lok Adalat	375130	672525	1047655
National Lok Adalat	3283466	2612169	5895635
Total	3658596	3284694	6943290


In order to create awareness amongst the masses about the success of Lok Adalats, 21 episodes in the name of ' Akele Nahi Hai Aap' were created in relation to settlement of cases through Lok Adalats. These episodes were telecasted in Doordarshan and were uploaded in Youtube as well as, on NALSA website.



#### 2.4 MEDIATION:



This year promotion of Mediation remained one of the focus areas. Particularly, with the amendment in "Commercial Courts, Commercial Division Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018", which was passed by both the Houses of Parliament and received the assent of the President on 20.08.2018, for all disputes falling within the definition "Commercial Dispute" under Section 2 (1) (c) of the Commercial Courts Act, which are valued at Rs.3 lacs or more, and do not contemplate interim relief, it made mandatory for the Plaintiff to exhaust the remedy of Pre-Institution Mediation which is to be conducted by the Legal Services Authorities. Legal Services Institutions provide Mediation facility in court annexed cases too.



## 2.5 Some Success Stories

#### 34 Years Old Dispute Resolved

A 34 years old civil dispute known as 'Jahaj Kothi Case' pending in the Court of Civil Judge, Sr. Division, Ranchi, was resolved through mediation. Two cases were filed for a multi storied building constructed upon a three acre 9.5 decimal land known as 'Jahaj Kothi'. The brief facts of the case was that one Riya Majumdar(named changed) was a descendant of Ram Nath(named changed) who took the land in 1919 from one Shyam(named changed), thereafter Architect Arun(named changed), who then inherited the land from his

father Ram Nath constructed a building in shape of an aeroplane on the land for which it was known as "JAHAJ KOTHI". But when Mr. Arun went to England in 1982 several encroachers tried to grab the land.

The case was referred to Mediation Centre, Ranchi and thereafter, matter was handed over to the mediator Sri L.K. Giri for proper mediation between the parties and after prolonged 9 sittings with both the parties, the matter was resolved. The parties agreed that 5500 Sq.Ft. Land would be given to the defendant as their share and it was also settled that plaintiff will deposit a sum of Rs. 25 Lacs in the Court as a value of 500 Sq.Ft. Land of her share to be paid to the defendants. In view of the settlement reached in mediation, the matter was disposed off by the Court and finally decree was passed.

#### Civil Dispute Amicably Settled

In brief, the Mandir land situated at Kantoatoli P.S Lower Bazar, Ranchi was disputed and for this, both the parties were at loggerheads.

The committee members of Mandir who were one of the parties made allegations on the other party members that the land on which the Mandir stands was encroached and the possession of the same was taken illegally. On 10th March, 2018, when the measurement of the said land was being carried out, an altercation took place. The members of both the parties were seriously injured after which a case and a counter case were lodged at Lower Bazar Police Station by both the parties.

The Court referred the matter to the Mediation Centre, Ranchi. After the spot verification and 12 rounds of mediation sittings the land dispute was amicably settled between the parties. The role of Mediator was praise worthy in settling the matter amicably through mediation.

## 2.6 LEGAL SERVICES CLINICS:

#### i) In Jails:

Jail Legal Services Clinics were manned by Para Legal Volunteers ("PLVs") and Panel Lawyers across the country. Panel Lawyers visit these Clinics 3-5 times in a week depending upon the needs of the prisoners. In the year 2018, some of convicts were also trained as PLVs and they work as such in these Clinics.

354449 prisoners visited the Jail Legal Services Clinics. Out of them legal services to 274433 prisoners were rendered in the form of legal advice, drafting of application etc.

## ii) At Villages & Communities:

Jail Legal Services Clinics primarily act as a point of contact for the undertrials in the prisons from where they can enquire about the status of their cases, next date etc.

	Legal Services Clinics functioning	No. of perso ns visite d	No. of persons provided Legal Assistance
Colleges / Universities	899	6163 0	44800
Villages	15210	8415 28	665044
Community Centres	1411	164685	131182
Courts	1031	166853	131878
JJBs	411	80012	34812
For the people of North-East	97	9724	3483
Others	3428	201705	153622
Total	22,487	15,26,137	11,64,821

In these Legal Services Clinics, legal services were rendered in the form of advice, drafting of applications, representations, filling up of forms relating to various welfare schemes. These centres, particularly in villages, also acted as conciliation centres for settlement of minor disputes.

## 2.7 NEW INITIATIVES:

## 2.7 (1) Legal Services / Empowerment Camps -



Mega Camp held at Kargil, J&K

NALSA has formulated a Module for Legal Services Camps which marks a departure from the traditional approach of spreading general legal awareness and orchestrates a model of true empowerment with the foundation of need based analysis and focused action. The module is chiefly divided into 3 parts viz., Pre-Camp Steps, During Camp Activities and After Camp Activities.

#### Pre Camp Activities

- Identification of Target Population.
- Formation of Teams.
- Identification of Specific Welfare Schemes & Departments implementing them.
- Holding of pre camp preparatory meetings with stakeholders.
- Identification of venue for the camp.
- •Field visits by Outreach teams,
- Publicizing the organization of Legal Services Camps.
- Identification of presenters by government departments / ministries.
- Preparing physical lay-out of the camp.


#### **During Camp Activities**

- Short presentation by the department / ministries relating to the core theme of the camps.
- Real time registration of the beneficiaries.
- NGos / teams to fill up forms and attach necessary documents under different schemes and submit the same to the concerned departments.

#### After Camp Activities

- Preparation of report spelling out activities carried out at different stalls, application forms filled up with regard to different schemes, etc.
- Follow up action to be taken on various applications, forms submitted during the camp.
- Clearanace of all bills of agencies, Panel Advocates & PLVs within a week
- Clearance of garbage, etc. at the place where the camp was held

1354 such Legal Services /empowerment Camps were organised benefitting 31,87,624 people.









Mega Legal Services Programme organised by DLSA, Tawang, Arunachal Pradesh in collaboration with various Department.



Legal Services Camp at Sitamarhi District



Legal Services Camp held at Smit, East Khasi Hills District

## 2.7(2) Victim Compensation Scheme -

## KEY HIGHLIGHTS

Legal Services Authorities implement Victim Compensation Schemes u/s 357 A Cr.P.C. These schemes implement the concept of payment of compensation by the State to the victims of crime	Model Schemes gives compensation slabs for victims of sexual assault, acid attacks and even loss of foetuses, and earmarks a minimum Rs 5 lakh and Rs 7 lakh respectively for women who go through a crisis after sexual or acid attacks	In case of victims of burning and acid attacks, the minimum compensation will be Rs 7 lakh for total disfigurement, with a maximum of Rs 8 lakh. Rs 5 lakh has been fixed in case of 50 per cent burns, while the upper limit is Rs 8 lakh.
16354 applications were received including references to Court Orders out of which 10753 applications were decided. Compensation of Rs 168.43 Cr was awarded to the victims during the financial year.	State Governments to restructure their schemes keeping in view the victim compensation scheme prepared by NALSA	For loss of limb or body part resulting in 80 per cent permanent disability, Rs 2 lakh is to be given, with Rs 2 lakh in case of grievous physical injury
To bring uniformity in payment of compensation to women and children who are victims of crime,NALSA constituted a Committee to prepare Model Scheme for women who are victims of crime	A minimum of Rs 5 lakh and maximum of Rs 10 lakh in case of loss of life or gang rape. A minimum of Rs 4 lakh and maximum of Rs. 7 Lakh is to be paid in case of rape or unnatural sexual assault.	The scheme provides that in case of pregnancy on account of rape, the victim will get between Rs 3 lakh and Rs 4 lakh, while for miscarriage or loss of fertility due to such assaults, the amount will be between Rs 2 lakh and Rs 3 lakh

## PERFORMANCE DURING THE YEAR

Applicati ons received directly by Legal Service Institutio ns (A)	Applications / orders marked / directed by any Court (B)	Applications received including Court Orders (A+B)	Applications Decided	Compensation Awarded in (Crores)
9413	6941	16354	10753	168.43

# SOME INSTANCES OF VICTIM COMPENSATION PAID TO THE VICTIMS UNDER THE VICTIM COMPENSATION SCHEME:

The DLSA, Ranchi, came to the rescue of one 'A' (name withheld) who became a victim of acid attack by her own in-laws. Not finding any recourse, the victim approached the doors of judiciary. With the assistance of the Chairman, DLSA Ranchi, she was at once admitted to RIMS, Ranchi. The PLV of Ranchi deployed at RIMS actively provided all sort of assistance and guidance to the victim and her family in getting her admitted in the hospital. The victim got a compensation of Rs. 3 lakhs under the Jharkhand Victim Compensation Act, 2015.



Two victims, X & Y of acid attack approached DLSA, Ludhiana. Medical expenses borne by victim X for her treatment were reimbursed as per the directions of Punjab & Haryana High Court, Chandigarh. Victim Y was also granted a compensation of Rs. 3 Lakhs under the Punjab Victim Compensation Scheme, 2011. Apart from these, their medical treatment was conducted by DMC, Ludhiana free of cost with the help of DLSA, Ludhiana. Further Panel Advocates and PLVs were also assigned to them for assisting them in getting pensions from the Punjab Government.

## 2.7(3) Campaigns:

## (i) Enhancing Legal Services To Women Prisoners And Their Accompanying Children In Prisons




All SLSAs across the country conducted the campaign for 10 days from the 17th May 2018. The main objective of the campaign was to empower the women inmates by creating awareness about their rights and the services of the legal services institutions. The main focus of the campaign were women prisoners, pregnant prisoners, prisoners with children accompanying them in prison, those suffering from medical ailments including those suffering from depression. The prominent issues to be addressed through this campaign were the legal aid, health, education, vocational training and recreational facilities for women inmates and their dependent children. Efforts were also undertaken to ensure that identification documents of children of women prisoners were available and where they were not, assistance was provided in preparing these documents.

#### OBJECTIVES OF THE CAMPAIGN

- Make women prisoners aware about their rights and also of the functioning of the Legal Services Authorities so as to decrease their vulnerability.
- Secure the rights of pregnant women.
- ✓ Select women convicts as Para Legal Volunteers (PLVs).
- Ensuring treatment of women prisoners suffering from mental illness and depression.
- ✓ Facilitate their access to educational and vocational skills.
- ✓ Actualize health, educational and recreational needs of children.
- Facilitate preparation of identity documents of children living with their mothers in jails.

## Strategy For The Campaign:

- Formation of teams comprising of Panel Lawyers, Psychologists, Lady doctors, NGOs, various govt. departments.
- Identification & engagement of NGOs working for the welfare and rehabilitation of women prisoners.
- Collection of details and the current status of each case of women prisoner.
- Briefing team members regarding objectives and activities of the campaign.
- Framing the schedule for visits and organization of camps by the DLSA
- Team members to visit jails, interact with the women prisoners and carry out activities under the campaign.



#### Success Stories From The Campaign

#### Parents in Jail meet their children

X, an undertrial prisoner, in Prakasam District, Andhra Pradesh, had been in remand since 11-05-2018. Her husband, Y, was also arrested and in remand in connection with the same crime. During the campaign, the team members interacted with her and found that the couple have three minor children named A, aged 10 years, B aged 8 years and C who was aged 4 years. As both of them were in detention, there was no one to look after their children and she had no information of their whereabouts. She requested the team members to help locate their children. The team members immediately brought this to the notice of the Secretary, DLSA, Prakasam District, who promptly initiated steps to help. The Secretary coordinated with the concerned Department of the State as well as, local NGOs, confirmed their whereabouts and enrolled the said children in a school and provided them shelter. The campaign thus helped the prisoner in connecting her with her children, and affording due protection to them.

## 62 years old lady saved

At the District Jail, Biswanath Chariali, in Sonitpur District of Assam, an old inmate, viz., D, aged about 62 years, was found residing. She was an accused in a case of murder of her husband. The team members interviewed her and found out that she was medically ill. A team of doctors examined and found that her blood pressure was too high and immediately thereafter, medication was given to her. The timely examination of the women inmate by the doctor prevented her from collapsing. Even though general health screening was conducted at the time of her entry into the jail, but, no regular health screening was being conducted. Also, there was absence of a permanent doctor in the said district jail and hence, everyday screening of inmates was not possible. The campaign conducting the medical camp was a blessing in disguise, wherein her screening was done and she was saved.

#### Shaped the future of a class 9 girl

Accused female inmate, M, has been under custody since 22-02-2017 in Araria District of Bihar. She was a student of Class 9 and willing to pursue her education further. During the campaign the social activist cum retired teacher, F, encouraged M to study further by supplying her with books and other writing materials. The District Education Officer, Araria, also promised to get her registered for matriculation examination from National Open School. She showed tremendous interest in the campaign and has also been trained to act as a Para Legal Volunteer to provide legal services to her fellow female jail inmates under DLSA, Araria.

#### Changed lives for the better

An undertrial prisoner, P, who was charged with certain offences under the I.P.C during the campaign informed that due to motivational campaigns being organized in the jail she is enthusiastic about pursuing further studies while serving her time in jail. Talking about the campaign, she praised the fact that the facilities which were previously difficult to get access to were provided right at their doors. In addition she also stated that medical facilities were quite good as eye checkup, tooth checkup and good doctors did gynecological checkup. She was thankful to the DLSA, Ahmedabad, for organizing such kind of camps in the jail through which the jail authorities were inspired to provide the women, rights available to the prisoners with the help of different Government agencies.



#### ABOUT THE CAMPAIGN

NALSA devised a campaign titled 'Door to Door Campaign' carried out during the year to make the public aware about the various functions and activities of the Legal Services Authorities and availability of free legal services to the weaker and marginalized sections of the society. Awareness about the availability of free legal services would enable the vulnerable sections of the society to assert their rights and empower them to approach the justice delivery system.

## OBJECTIVE OF THE CAMPAIGN

- ✓ To make weaker and marginalized sections of society aware about the existence of Legal Services Institutions and availability of free legal services.
- ✓ To make them aware about Legal Services Clinics, Front offices and legal aid help line numbers.
- ✓ To identify people who are in need of legal assistance but have not taken recourse to justice delivery system on account of economic or other disability.





## Strategy of The Campaign:

- Formation of Teams of PLVs headed by Panel Advocates.
- Apprising the teams of the objectives of the campaign and handing over relevant literature such pamphlets, brochures, booklets, etc.
- Identifying remotest villages which are backward economically, educationally and socially, slums and colonies of migrant labourers and other relevant areas.
- To distribute the literature to the people living in such areas.
- To identify and provide assistance to persons who are in need to legal assistance and help them
  approach the justice delivery system.



Images taken during the Door to Door Campaign









## Some Success Stories

#### Widow aided in getting her rights

Due to the sudden death of one S, his wife 'X' was completely broken down as her financial condition was not good, owing to no source of livelihood. In this adverse condition PLV Neha Navnita came in to contact during door to door campaign with 'X'. With small efforts of PLVs of DLSA, Ranchi, 'X' got an aid of five thousand rupees from the Labour Department, Ranchi for carrying out the last rituals of her husband. She also got a sum total of INR 3750/- per month under Family Pension Scheme from the government of Jharkhand.



#### Defects in land records cured

During the course of the door to door campaign, Mr. M, Village I Gabhi, under block Kanke, came in contact with the team of door to door campaign. M submitted an application and prayed that his land records were wrongly listed in the C.O. Office and that the defects therein may be rectified.

After receiving the said application the team of the DLSA including PLV and Panel Lawyers helped in removing the defects after verifying the documents of the petitioner. A fresh application for rectifying the defects was filed before the Circle Officer, Kanke and accordingly the said defects were removed with the efforts of the team.

## (iii) Campaign For Convicts:

#### ABOUT THE CAMPAIGN

This pan India campaign was launched to address the issues of the convicts such as lack of legal information and awareness about the right to appeal and its processes, and availability of free legal aid, to address difficulties in engaging lawyers, lack of information about the status of their appeals/SLPs/bail applications, lack of interaction with the lawyers representing them before Supreme Court and High Courts, lack of knowledge and information of Parole, Furlough, Remission etc. and its processes.



Objectives of the Campaign

- ✓ To secure rights of appeal of the convicts.
- Ensuring that incarceration does not go beyond the period of their imprisonment or after remission.
- ✓ To secure parole, furlough and remission rights of the convicts.

#### Strategy of the Campaign

## Stage 1:

- Formation of teams comprising of Panel Advocates by each DLSA.
- Collection of data of each convict.
- Awareness camps to be held inside jails to make convicts aware about free legal aid.
- Collection, translation of documents and other formalities to be carried out.



Stage 2

- Filing appeals / SLPs in the appropriate judicial forum.
- Maintaining and updating data of each convict.
- The Legal Aid Lawyers to interact with convicts.
- Drafting applications for parole, furlough, remission, etc.
- Identifying cases where prisoners are incarcerated beyond their imprisonment period.
- Follow up action to be carried out.

#### OUT COME OF THE CAMPAIGN

- √ 99284 convicts were made aware about the availability of free legal services
- √ 528 applications for filing appeal before High Court were sent to High Court Legal Services
  - Committee
- ✓ 267 application for filing SLP/Appeals were sent to Supreme Court Legal Services
  Committee

## 2.7(4) Legal Literacy Clubs in Schools:

Towards realizing the common goal of equal access to justice, NALSA has strived to equip the children with legal literacy and rights awareness. To kindle this vision of an empowered future generation, Legal Literacy Clubs were opened across the nation. During the financial year 2018-2019, 4328 LLCs were opened across the country. The SLSAs were given a target to open at least 5 Legal Literacy Clubs in each district.





## 2.7(5) Digitization of Legal Services Clinics:

For the purpose of rendering effective legal services, it is necessary to take advantage of the technology and in view of the same, a number of Legal Services Clinics in Jails were digitized. The digitized Legal Services Clinics shall provide information expeditiously with regard to next date of hearing, status of bail applications, trial, appeals, etc., to prisoners. Data with regard to the same is maintained at Legal Services Clinics in Jails. The total number of Legal Services Clinics digitized in Jails during the financial year 2018-2019 is around 696.



# 2.7(6) Access To Justice and Remedies for people living in far-flung areas Background and Rationale

A range of factors operate as barriers to access to justice for people living in far-flung areas. These include remoteness and physical distance from judicial institutions, often exacerbated by limited access to affordable and regular communication facilities and public transport. A Project which would facilitate filing of petitions, appeals, replies and responses etc. in the High Court is envisioned on a pilot basis at Leh & Kargil. It is expected that the said Project would enhance Access to Justice to people living in these far-flung areas and make judicial remedies a reality.

#### Objective

The objective of the project is to provide access to remedies for people living in farflung areas by facilitating their access to High Courts for filing of petitions and appeals etc., and making use of tele and video communication, wherever possible, in updating litigants about their cases and facilitating interaction with lawyers representing them at High Court.

#### Operational Framework

- Front Offices of District Legal Services Authority shall work as collection counters where litigants can submit their appeals, petitions, replies and responses to be filed in the High Court along with the copies of documents, affidavits etc.
- The Retainer Lawyers present in the Front Offices may also help in drafting the
  petitions, applications etc to be submitted before the High Court, if the litigant
  seeks legal aid in this regard.
- The Front Offices of DLSAs after receiving documents shall send them to SLSA
  Front Office by way of air mail or any other available speedy mode. SLSA would file
  the same in the filing counter of the High Court.
- In case of any technical objections, SLSAs will help the litigants in removing the same. In case a situation necessitates physical return of same document or some new documents are needed to be filed, the SLSA may send it back to DLSA in the same manner, who shall help in getting the needful done and send it back to SLSA for further necessary action. This will obviate long distance movement by litigants, who sometimes cannot afford the travel and accommodation expenses.
- Phone number, Video Conferencing facility etc. be also used by the DLSAs for such litigants in areas having good connectivity so that they may interact with their lawyers with regard to their cases.
- District Legal Services Authorities shall adequately make publicity of the Project so that people are made aware of the availability of such service.

## 3. STRENGTHNING THE LEGAL SERVICES INSTITUTIONS

#### 3.1 Round Table Consultation:

Amid rapid expansion of Legal Services activities, there was a need to consolidate and strengthen the existing legal service activities; especially court based legal aid by intensifying focus on organizational practices, qualitative aspects and constant evaluation and monitoring of legal services activities. With this vision, NALSA organized a Round Table Consultation with the Member Secretaries of all the SLSAs in the framework of its programmatic activities on Access to Justice, which was held on 26th and 27th July, 2018.



## KEY TAKEAWAYS:

<ul> <li>To periodically evaluate the court based</li></ul>	<ul> <li>Lawyers, Remand Lawyers and Retainer</li></ul>
legal services and to promulgate and	Lawyers, etc. and guidelines for honorarium
adopt changes for its improvement.	payable to PLVs and Lawyers.
To clarify, define and expand the role of Retainer Lawyers and to adequately utilize their services beyond the Front Offices.	To work out the modalities of the honorarium to be paid to the convicts working as PLVs.
<ul> <li>To improve the operational framework of Front Office so that it works as a One Stop Centre for legal aid beneficiaries.</li> </ul>	<ul> <li>To ensure that Jail Legal Services Clinics are digitized and data is updated regularly.</li> </ul>
To make operational Legal Aid Helpline	To address the disconnect between the Legal
Numbers at District & State Level.	Services Clinics and Front Offices.
To strengthen and monitor the work of	To ensure maintaining proper documentation,
Remand advocates by providing training	developing a Monitoring Mechanism and
regarding laws on arrests and various	carrying out periodic evaluation properly and
legal aspects of remand.	efficiently.
To develop a mechanism to ensure that the Panel Lawyer representing a prisoner gets inputs from the prisoner for preparing his / her defense case. To reassess the size of Panel Lawyers by all SLSAs so that its size remains in consonance with the requirements of a District.	To ensure that Legal Services Clinics engage law colleges for carrying out research work and assisting the Panel Advocates. To convince the respective State Governments through proper and effective presentations about the need to provide grants to the SLSAs.

- To ensure that the SLSAs properly document the legal services programmes and activities being carried out at District & Taluka level.
- To ensure that the bills relating to the payments of Panel Lawyers and PLVs are cleared on time. To ensure that Panel Lawyers are frequently trained for capacity building.
- To formulate SOP for Monitoring Committees, Jail Clinics, standard appointment letters and job details of Panel

- To evaluate programmes, activities and the impact with regard to legal services periodically.
- To report in time the utilization of grants by the SLSAs to NALSA.
- To make optimum use of NALSA's portal. The DLSAs be sensitized about feeding correct data which shall be overseen by their respective SLSAs.
- To plan Legal Services Camps based on NALSA's new module.

#### 3.2Local Level Consultation:

Local level Consultations were organized at Patna, Mathura, Hyderabad, Kolkata and Goa on 12.7.18, 31.7.18, 6.9.2018, 22nd to 24th January and 7th February respectively with an objective to assess the implementation of Legal Services Programmes.

The Member Secretary, Director and Additional Director NALSA held consultations with the District Secretaries, Panel Lawyers and PLVs and with the members of the SLSAs to examine and assess the functioning of the DLSAs vis-à-vis implementation of NALSA's Regulations, Schemes, Programmes and Campaigns.

Following areas were identified for strengthening of the working of legal services institutions:

- > Effective decentralization of financial powers
- Proper functioning of Legal Aid helpline in DLSAs
- Monitoring of Court Based Activities
- Uniformity in functioning of Front Offices and Utilisation of LED monitors
- Requirement of basic facilities in legal services clinics
- Capacity building programmes
- Strengthening legal services provided at remand stage
- Use of NALSA Portal
- ➤ To make use of computers in Jail Legal Services Clinics

## 3.3 Central Authority Meets:

## 3.3(1) 29th Central Authority Meet:



The 29th Meeting of the Central Authority of NALSA was held on 19th May, 2018, at 11 a.m. in the Judges Lounge, Supreme Court of India, New Delhi.

#### KEY TAKEAWAYS

- Amendments to NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, were approved.
- Approval of amendments to NALSA (Lok Adalat) Regulations, 2009.
- Constitution of a Committee for framing guidelines for legal services institutions engagement with legal aid/services clinics set up in Law Colleges and Universities.
- The Committee would also delve into the feasibility and relevance of devising NALSA Scheme for the Victims of Road Accidents.

#### 3.3(2) 30th Central Authority Meet:

The 30 Central Authority meeting of the Central Authority of the NALSA was held on 27 October, 2018, in the Judges Lounge in the Supreme Court of India, New Delhi. The Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi, Chief Justice of India and Patron-in-Chief, NALSA, chaired the meeting along with Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA.

#### KEY TAKEAWAYS

- To carry out Impact Assessment Studies of all legal services activities and programmes.
- To organize Legal Services Camps with a targeted approach for effective empowerment and service delivery.
- To repeat periodically PAN India campaigns like Connecting to Serve, etc.
- To prepare reports of each of the camps with brief details as to the benefit delivered.
- To strengthen Front Offices and use technology for collecting information.
- To carry out the project relating to Legal Services for Ex-servicemen by NALSA in collaboration with the Department of ExServicemen Welfare.
- To undertake leveraging of technology and to improve operational efficiency by NALSA. To explore the role of Legal Services Authorities in the framework of Gram Nyayalayas.
- To finalize NALSA's protocol for early access to justice for fresh arrestees and victims of crime.

- To reconsider honorarium and framework for hiring Project Consultants / Project Coordinators / Project Assistants keeping in · view the need to attract best talents and covering various outreach legal services activities.
- To start the training of secretaries of District Legal Services Authorities without delay by following the training framework of 5 days formulated by the Committee.
- To frame Modal Mediation guidelines by NALSA and to make a policy framework for engaging institutions / organizations dealing with mediation with Legal Services Authorities in carrying out Pre-Institutional Mediation in Commercial Disputes.
- To examine the use of CIS 3.0 system for identification of cases for Lok Adalat and facilitating issuance of notices by NALSA.
- To strengthen access to justice for citizens living in far flung areas by facilitating filing of their petitions, appeals, etc., in the High Court with the help of Legal Services Authorities.

#### 3.4 Upgradation of Front Offices:


To make Front Offices efficient and effective so that quality and meaningful legal services are rendered to the visitors/legal aid seekers, Front Office guidelines suggesting the operational framework for rendering legal services in Front Office were circulated to all SLSAs. The objective of the same was to strengthen the Front Offices so that high-quality legal services are rendered and the same work as One Stop Centres for the legal aid seekers/beneficiaries. Front Offices have been upgraded accordingly.



#### FUNCTIONS OF THE FRONT OFFICE

- 1. Providing Legal advice
- 2. Drafting applications, petitions, replies etc.
- 3. Attending legal aid helpline number
- Receiving and maintaining record with regard to legal aid applications
- 5. Uploading legal aid applications on Web Portal of NALSA
- Maintaining up-to-date data of court based matters and maintaining data in prescribed formats
- Updating Legal Aid Beneficiary about particulars of a Panel Lawyer marked for his matter and also updating him regularly about the status of his case


### 3.5. Capacity Building - Training of Panel Lawyers & PLVs:



The workforce of the legal services consists of Panel Lawyers and PLVs. For capacity building of the Panel Lawyers, NALSA has prepared three Training Modules and one module for the PLVs.

The Legal Services Institutions conducted 1087Training programmes for Panel Lawyers during the year. Similarly for training of Para Legal Volunteers, 1537 training programmes were conducted.

NALSA has launched the 3rd Module for the training of Legal Services Lawyers, which was prepared by it under the guidance of Hon'ble Mrs. Justice Manju Goel, Former Judge, Delhi High Court, during the Commendation Ceremony, which took thplace on 15 December, 2018. The said module is expected to add value to the capacity building and the skill development of the Panel Lawyers together with the first two modules.



#### 4. UNIQUE INITIATIVES OF THE SLSAs / DLSAs

Access to justice is a basic principle of the rule of law. Access to justice means different things to different people. To make Access to Justice a reality for people in the country, the SLSAs and the DLSAs have consistently and meticulously devised and implemented certain unique initiatives and projects. Keeping in mind the issues faced by the local population in their respective areas, this year each of the agencies addressed the same in an innovative manner. The projects ranged from addressing legal needs to spreading legal awareness, however with different approaches this year.

Some of the instances of the best projects / initiatives / strategies are as follows:

#### **Teaching Innocent Minds Through Entertainment**



With inflating cases of child sexual abuse reported under POCSO Act and acknowledging the reasons why many of such cases go unreported like lack of knowledge or fear of being ostracized / stigmatized or inability of the young minds to perceive the act as wrong, DLSA (North-East, Delhi) initiated a legal awareness campaign on POCSO Act for children to make them aware of safe unsafe touch under the name and style "Sparsh". The campaign intended to cover all the government schools and willing public schools falling within the jurisdiction of this Authority.

#### Activities undertaken

- Vide the said campaign, a team of expert artists in each school performed a puppet show.
  - A small workshop on POCSO Act was conducted for children studying in class 1 to 5 along with teaching faculty of the respective schools to make them conversant with various sociolegal aspects, particularly offences against the children.

#### Outcome

- As a part of campaign "Sparsh", puppet shows along with workshop on safe and unsafe touch have already been organized in 66 government schools covering almost 30,000 students.
- On 03.02,2018, this puppet show was also exhibited for general public at Mega Legal Services
   Camp organized by Delhi State Legal Services Authority.
- The campaign was widely covered by media, and appreciated by all quarters.
- This campaign successfully disseminated the message of available legal provisions including the special facility of 'Vulnerable Witness Deposition Complex' established throughout Delhi, in addition also extended a helping hand to keep the art of 'puppetry' alive along with facilitating the rehabilitation of the artists of Katputali Colony in their difficult times.

#### Seclusion to Inclusion

"From Seclusion to Inclusion - A project for enriching lives of slum dwellers through legal services" was launched by District Legal Services Authority, Gurugram.

#### Why this Campaign?

- It is often said that there is no dearth of welfare legislations or welfare schemes meant for poor and downtrodden strata of society but, experience reveals that intended beneficiaries of society are not getting the benefits emanating from welfare schemes and legislations.
- People living in Jhuggis have their own tale to narrate. Due to factors such as illiteracy and deeprooted poverty; children, females and senior citizens are comparatively more vulnerable.

#### Outcome

- DLSA got few moving toilets stationed in these jhuggis.
- Now regular health camps are being organized on second and last Thursday of every month in Slum near Sikandarpur and Slum near Wazirabad respectively by Fortis Hospital, Gurugram.

- Almost 108 students are taking classes.
- During this campaign almost 18 students were mainstreamed from slums to Government Primary and Middle School, Sikandarpur and regular follow up is done by PLVs.
- One Anganwadi Kendra has been opened in slum area (behind marble market) near Nathupur village, which is serving the nutritional needs of pregnant women, lactating mothers, toddlers, etc.
- A camp was organized in the Sikandarpur slum to prepare Adhaar cards, and almost 31 Adhaar Cards, were prepared.
- · Five disabled persons were identified and their disability certificates were prepared.
- 6 women were connected to the Agrasar Silaai Kendra to help them earn their livelihood.

## Campaign to prevent the misuse of Social Media - "Think Before You Send"

Social Media, today, is a vital platform for most people, especially the younger generation. Social media networking websites and apps create captivating content to make people excited and conversational, but this happens to such an extent that people find themselves being addicted to it.

#### Objective of the Campaign

To prevent the increasing crime due to social media, special awareness campaign to prevent such misuse was launched by DLSA Alwar.

#### Highlights of the Campaign

- A comprehensive booklet "Sach Say Dosti" "Think before You Send" containing precise information about the use and abuse of social media was prepared and distributed amongst the masses to create awareness;
- Awareness camps in schools, colleges as well as public places were organized;
- 8 Informative posters were displayed at public places;
- Printed Paper Cups and Ceramic Mugs were prepared and distributed;

- To make it attractive and to spread legal awareness to common man, this information was planned to be printed on recycled teacups and freely distributed in college's offices and canteens.
- Nukkad Nataks were also prepared for the same.

#### Beggars Free and Hunger Free Municipality

The project of the DLSA, Pathanamthitta was supported by the Pathanamthitta Municipality, Kennedy Chacko Charitable Trust and Vyapari Vyavasai Ekopana Samithy.

#### Objective of the Campaign

To make the municipality beggar free and to ensure that no one is deprived of food

#### Outcome of the Campaign

- The Pathanamthitta Municipality was declared as Beggar Free and Hunger Free Municipality.
- The Kennedy Trust took over 5 beggars from the Municipal area and rehabilitated at the Kennedy Trust's house, the NEST.
- The food was served in the Court premises, Police Station, Municipal Office and Civil Station in association with trust.
- About 25 persons have been using this facility everyday.

#### SOME OTHER INITIATIVES BY THE SLSAs/DLSAs

- The District Legal Services Authority, Kokrajhar, Assam, had undertaken a 'Project of Adoption of Village' by the students of the Kokrajhar Law College under the "Reach Out and Respond Programme" of A.S.L.S.A., and to that effect the students of the said college were encouraged to work towards the motto of providing access to justice for all. The Brahmapara Village of the Kokrajhar District was adopted by the students of the law college to impart legal services and to help in addressing the issues of the local villagers and also to educate them regarding the same. Accordingly, the students visited the area under the guidance of the D.L.S.A, and imparted knowledge and also assisted the public in filling up of forms etc. for filing application (s) before the concerned Authorities for availing benefit under various welfare schemes of the Government.
- Under the guidance of the Imphal East DLSA, the PLVs of the Legal Aid Clinic, Chanam

Sandrok spearheaded a drive to make the village of Chanam Sandrok free from the use of drugs. The PLVs and the youth of the village worked together to take into custody the drug users/peddlers and get proper rehabilitation at various centres. The parents of such persons were also encouraged to take extra caution and care of their wards by requesting to help and cooperate with the PLVs and youths of the clinic. The DLSA provided guidance to the PLVs to ensure that such persons are not left at the hands of angry mob and that they must not be subjected to physical torture and that proper rehab must be advised to such persons.

The Pathanamthitta DLSA, Kerala, conducted certain activities for sensitising children in the age group of 5 to 18 years under a project called 'VELICHAM' regarding Narcotics, Cyber Law, Traffic Act, Sexual violence, Value based education, Health and Legal Services. Activities and classes were conducted during summer vacation in each of the Anganwadis of the district, where upto 4 classes were held by the Anganwadi teachers with the assistance of Child Line and officials of Excise, Police and Health Departments. Around 2,05,000 students attended these classes.

#### 5. Other Highlights

#### 5.1 Participation in Expert Group Meeting at UNODC, Vienna

NALSA participated in an Expert Group Meeting for Framing, Establishing and Monitoring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes on 26th -27th September, 2018 at Vienna. Three presentations were made by NALSA officials, highlighting the policies, framework and Access to Justice Campaign in India by Legal Services Institutions. It was the first participation of NALSA officials before the UN Organisation.

The main learnings of the Vienna convention, which are quite relevant in Indian context are as follows:

- The Legal Services Institutions in India have empanelled a very large number of Lawyers and Para Legal Volunteers which do not profitably match with the number of legal aided cases pending at any given time. However, one reason for this is that the Indian Legal Services Authorities Act envisages a much wider range of services to be provided by them, than merely providing legal representation in the Court. Panel Lawyers are also regularly engaged in providing legal awareness, holding of legal services camps and other activities. However, there is a need to re-assess the size of the panels of various SLSAs and DLSAs to optimize the outcome in all the activities.
- In India the case assignment system of legal aid is adopted whereby private practitioners are
  empanelled, assigned cases and an honorarium is paid to them case wise. Representatives of
  some of the countries highlighted the advantages of 'public defender system' wherein lawyers are
  appointed on a monthly salary basis and are totally accountable to the Legal Services Authority.

It was emphasized that such a system puts more accountability on the lawyers and the lawyers employed full-time by the authority can be trained and monitored more effectively. In view of this, 'public defender system' may be tried in India to a limited extent, at some places on a pilot basis.

- Better use of technology in assignment of the cases, receiving and updating the case proceedings through lawyers feedback or through inputs from the case information system of the courts can lead to a better monitoring of the court based legal services.
- There is a need to strengthen the monitoring and mentoring committee in each district for maintenance and gradual upgradation of the quality.
- Relevant parameters and key performance indicators should be drawn up for each aspect of
  quality of legal services and a system of evaluation of the individual panel lawyers based on the
  said KPIs needs to be put in place.
- Qualitative assessment of the basic units of Legal Services Institutions and the key activities, done by an outside agency will help us identify the areas of concern and take corrective measures.

#### 5.2. Legal Assistance to Disaster Victims

#### Kerala Disaster

In the months of July and August of 2018, heavy rains brought about a devastating effect in the State of Kerala resulting in huge loss of life and property. The non-stop rains added to the increasing catastrophe as the water level in the 42 dams of Kerala reached dangerous levels, for which 35 dams had to open their overflow gates thereby affecting all 14 districts of Kerala drastically. Many people lost their lives, many more were trapped in their homes which were surrounded by water while thousands of people got displaced.

To respond to this crisis, the following actions were taken by Kerala SLSA:

- Formed a 'Core Group' to coordinate rescue and relief activities guided by the NALSA (Legal Services to Disaster Victims Through Legal Services Authorities) Scheme, 2010.
- Carried out rescue operations by constituting rescue teams. A survey was conducted by the PLVs of DLSAs to determine the status of the basic facilities and health care in the relief camps and the problems faced by them and undertook the relief work successfully by coordinating with various departments of the Government and numerous NGOs engaged in the task.
- 3. Provided basic amenities to the people such as food, clothes, medicines, etc. To this end, in

certain camps where there was shortage of food, the DLSAs did not hesitate to start a kitchen in the premises of the ADR centers with the active support of Judicial Officers, Panel Lawyers, PLVs, staff, etc. and ensured that adequate food was supplied to the needy.

- 4. The DLSAs and TLSCs formed their own center for collection and distribution of relief materials. Water, food items, clothes and other cleaning items were distributed regularly alongwith relief kits by the collection centers. A distress relief fund was created, money from which was utilized to buy relief materials and provide financial aid to the needy.
- Generators were installed in places where power supply was interrupted, medical support was provided in and around relief camps and awareness programmes were also conducted for dealing with stress management.
- Mediators of Ernakulam Mediation Centre visited various relief camps, along with Psychologist and Psychiatrist and provided group counselling to victims.
- 7. Help desks in the name of "Neethidhara" were established in all the affected areas by KeLSA to assist the victims, which were managed by the Panel Lawyers and Para Legal Volunteers. Efforts were taken to restore valuable documents like title deeds, ration card, driving license, Aadhar, etc. by conducting legal services camps and Lok Adalat.

#### Amritsar Disaster

On 20<sup>th</sup> October, 2018, around 61 people lost their lives, and many were severely injured due to a horrific train accident which occurred during Dussehra celebrations in Amritsar, Punjab. On receiving information regarding the accident, the Punjab State Legal Services Authority immediately swung into action.

The Member Secretary of Punjab SLSA immediately contacted the Executive Chairman of the State Authority and sought directions and guidance on the course of action to be taken.

#### Following action was taken by the Punjab SLSA:

- A 'Rescue Team of the Legal Services' was constituted by the DLSAs of Amritsar, Tarn
  Taran and Kapurthala. The rescue teams helped the administration in carrying victims to the
  hospitals from the accident spot, for which purpose the Secretaries of nearby DLSAs made
  their vehicles available in the Civil Hospital and in Guru Nanak Dev Hospital, Amritsar.
- The Member Secretary of Punjab SLSA took the initiative of creating a WhatsApp group for the rescue team wherein a copy of the NALSA Scheme for disaster victims was forwarded

- along with blood donors and their numbers.
- In all the three hospitals where the injured were being treated, the rescue team set up a 'Help Desk' and briefed the Advocates and PLVs regarding their duties and how to help people in need.
- 4. A pro-forma to gather information relating to the deceased, injured, their relatives and their contact details was prepared at the site. The same was then forwarded to the office of the DLSA, who were directed to send a copy of the information to the help desk.
- Some of the PLVs working with the injured brought the slips of the medicines required by the doctor and the help desk arranged for the medicines through the said voluntary donors.
- The PLVs also helped the people in locating and re-uniting with their family members who went missing after the disaster.

#### 5.3 PLV INTERVENTION FOR A BETTER SOCIETY

PLVs serve as the backbone to bridge the gap and bring about a connection between the people and the Legal Services Institutions. They play an effective role in bringing the Legal Services Institutions to cater to the needs of the masses. Being soldiers at the frontiers of the Legal Services Programmes, they act as the messenger of the Legal Services Institutions. PLVs not only help in creating awareness about the laws, they also play a key role in reaching out and including the last disadvantaged man who stands in the remotest corner of the country in the Legal Services system.

Till date the total number of PLVs that are working in different states across the country are 73,596.PLVs ensure Access to Justice by securing the entitlements and rights of the people under the law of the land.

#### **DUTIES OF PLVs**

- PLV educate people, especially those belonging to weaker sections of the society about their constitutional and statutory guaranteed rights.
- They make people aware about the nature of the disputes /issues/problems and inform them that they can approach the TLSC/DLSA/HCLSC/SLSA/SCLSC so as to resolve them.
- PLVs constantly keep a watch on transgressions of law or acts of injustice in their area of operation and bring them immediately to the notice of the LSIs.
- When the PLV receives information about the arrest of a person in the locality, the PLV

- visits the Police Station and ensures that the arrested person gets legal assistance, if necessary, through the nearest legal services institutions.
- The PLVs also ensure that the victims of crime get proper care and attention. Efforts are made by the PLVs to secure compensation for the victims of crime under the relevant legislations and schemes.
- PLVs with proper authorization from the DLSA/TLSC visit jails, lock-ups, psychiatric hospitals, children's homes/observation homes and ascertains the legal service needs of the inmates.
- PLVs report cases of violations of child rights, child labour, missing children and trafficking of girl children to the nearest legal services institutions or to the child welfare committee.
- PLVs assists the DLSA/TLSC in organizing legal awareness camps in their area of operation. They generate awareness amongst people about the benefits of settlement of disputes including pre-litigation stage through Lok Adalats, Conciliation, Mediation and Arbitration.
- PLVs disseminate information to the people of their locality about the legal services activities of SLSA/DLSA/TLSC/HCLSC/SCLSC and provide their addresses to the people.
- 10. PLVs submit monthly reports of their activities to the DLSA/TLSC under whom they are working in the prescribed format.

#### 5.4 SUCCESS STORIES OF PARA LEGAL VOLUNTEERS

PLVs play a crucial role in society as their actions can have a positive impact on the lives of people. There are many instances, which showcase that the intervention by the PLV have brought a ray of hope to persons who were left helpless, destitute and outcast. Some of the instances are as follows:

#### Matrimonial dispute resolved

In the month of May, 2017, one woman namely 'X' from an interior village of Manipur came to the Legal Aid Clinic, Nungourok and complained about her husband. According to the lady, her husband does not maintain her, their 3 daughters and his old mother. He had stopped giving financial assistance in the running of the home even though he worked in the field etc. The lady used to go for work in the hills and the family survived on her earning. Her daughters could neither pursue education due to lack of financial resources nor they had the knowledge of schemes relating to education of the tribal people.

The PLV, Darngam Khaling on hearing the plight of the women called husband in the said Legal Aid Clinic. The husband wrote a letter to the PLV stating that the Village Chief should take the matter. The PLV then, wrote an application on behalf of the lady to the concerned District Legal Services Authority requesting therein to provide an Advocate to the lady. On getting to know about the engagement of a lawyer by his wife, the husband appeared in the Legal Aid Clinic. After certain discussions and conciliation sessions, the case was settled on compromise and the husband agreed to maintain his family. The said PLV also assisted the family by availing the benefits of the social welfare schemes and also helped the children in continuing with their further education.

#### Helping hand landed to a victim of bear attack & his family

This is a tragic story of an unfortunate tribal man who lost his eyesight on being attacked by a wild animal but the efforts shown by a PLV brought light in his family. Mr. 'Z' aged 34 years, who belongs to the Schedule Tribe Community, is a native of Punupudu village of Kanigiri mandal of Prakasam District. He, along with his family consisting of his wife, 2 sons and a daughter, aged, 10, 8, and 6 years respectively, earned their livelihood by grazing cattle in Peddarikatla village of Konakamatta Mandal.

In the wee hours of 27-10-2017, when 'Z' and his wife were searching for their goat, who had been missing since the previous day, a wild bear attacked him. He fought for his life vehemently with the said bear for about half an hour. In the meanwhile, neighbors reached the spot and with great difficulty, rescued him. He was immediately shifted to the Government General Hospital, Guntur. The attack by the bear was so severe that it resulted in loss of his sight in both his eyes. The Doctors declared that he could not regain his vision and discharged him from the hospital. Since becoming blind, 'Z' lost his livelihood, and his entire family was on the verge of starvation. Consequently, his small children were forced to attend to domestic chores and rear cattle and sheep foregoing their studies. This incident was published in Andhra Prabha, a local Telugu daily on 03-12-2017.

On reading the said article, Mr. B.V.Sagar, PLV of Prakasam District Legal Services Authority went to the village of the victimand collected details of the incident. Observing the pathetic situation in which the family was in, he, with his own funds provided necessary provisions sufficient for one month. He also prepared a representation addressed to the Secretary, DLSA. On the instructions of Secretary, DLSA, SriB. Vijaya Sagar, PLV, took further steps by taking the victim to Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences Hospital in Ongole, which is District head quarters of Prakasam District, where the Doctors issued Disability Certificate certifying that 'Z' was suffering from a 100% disability. He also presented an application through 'Z' to the Department of Disabled Welfare of the State in order for the latter to get benefit under IKP-DRDA Scheme.

Through the PLV's efforts, 'Z' was given SADAREM Certificate, which enabled him to get a pension of Rs.1500 /- per month. The PLV also helped 'Z' register a case with the Police under the Head of Wild Animal Attack. As a result of the registration of the incident, enclosing of the Disability Certificate and other medical certificates, as the victim comes within the eligibility criteria to get

insurance under Chandranna Bheema Scheme, his application for insurance of Rs.5 lakhs is currently under process. In the meanwhile, both the sons of 'Z' were admitted in a Social Welfare Home at Ongole and his daughter is studying in a local school. Now all the 3 children of 'Z' are attending school. Because of the efforts of PLV Sri B.V. Sagar, the family of the victim is now receiving a pension of Rs.1500/- per month regularly. As all the 3 children of the victim were admitted in Social Welfare schools of the State, the monthly pension of Rs.1500/- (Rupees Fifteen Hundred Only) is for the victim and his wife. All this could not have happened but for the dedicated service of Mr B.Vijaya Sagar, PLV of Prakasam District Legal Services Authority.

#### 45 year old woman rescued from her family

A PLV upon coming to know that one female aged around 45 years had been locked/detained by her family members for more than 25 years in one room. She along with another PLV Rajani Lohiya filed a report before the police about the same, after taking guidance from the DLSA. The police alongwith the PLV Nayan Borkar and other PLVs went to the house of the female who was detained for years and rescued her and further took her to the hospital IPHB Bambolim for treatment. Nayan Borkar, Rajani Lohiya and other PLVs visited the IPHB and TB Hospital and met the female where she was admitted for treatment. Mrs. Ratna Borkar also tried to settle the matter and brought the sister of the detained female in the DLSA North Goa who provided assurance to the Secretary Ms. Shabnam Shaikh, that no further problems will be posed to her sister in future in the house and that she will be given good treatment at home. Now the female has been taken to her home and she is staying happily with her family. Mrs. Ratan Naik alongwith other PLVs visit the female once in a month to check if she has any problem.

#### Helped a minor girl get back to her family

A PLV helped one minor girl from Myanmar who was kidnapped by some unknown persons and was detained in the juvenile Home Harwan for 2 years and was desperate to meet her parents. She came to the Free Legal services Clinic Juvenile Home Harwan, Srinagar on August, 2017 and narrated her story to the PLV. She told the PLV that her case was pending in the High Court of J&K, for the last 16 months. She expressed her desire to hire legal services to secure her release from custody. The PLV contacted the girl's lawyer Mr. Fasil Qadiri from time to time for speedy disposal of her case and visited High court of J&K, Srinagar many times to meet her Advocate Faisal Qadri and finally the Division Bench of Hon'ble High Court of J&K at Srinagar passed a direction on 21/11/2017 to the Respondent State to hand over the minor girl to her Maternal Uncle namely, Mohammad Feroz by the authorities of Juvenile Observation Home, Harwan, Srinagar.

#### Saved the life of a minor

Dense forests surround the village Shikaripara and adjoining villages. The nearest road is 15 kilometres away. One has to walk on foot through the forest & falls to reach the road. Mangala Dehri, a PLV, has carried hundreds of patients (all primitive tribals) on his shoulder or cot to the road and then to the nearest Hospital, which saved their lives. One minor, aged about 4 years was seriously ill for days. Her parents were too poor to even think of taking her to a hospital. They were engaged in earning daily meals for themselves and their children. Mangala Dehri took this minor in his lap and carried her for 15 Kms to the road and brought her to the Hospital on an auto rickshaw. She has since recovered and is doing well now.

#### Prevented road accidents

At adangerous U-turn near Parekkundu Mosque in Perlassery Grama Panchayath, Kannur, a house owner had put up the gate of his house in such a manner that it opened towards the road making the area very vulnerable and accident prone.

The PLV viz., Sri Ragesh P.C. came to know about the said situation and personally went and requested the owner of the house to make arrangements to keep the gate closed. The said owner turned a deaf ear to the repeated requests of the PLV to keep the gate closed. Not finding any way out, the PLV then approached the Peralassery Panchayat Office and lodged a complaint on behalf of the public. The Panchayat on coming to know about the same issued a warning notice to the house owner who on receiving the notice started keeping the gate closed thus saving many from being injured by way of accidents.

#### Facilitated availability of food to tribals

On 06.02.2018, the PLV Smt. Subhashini went to the Puthanoor Naika Colony, Chethalayam. Naika is a sub caste under the Scheduled Tribe class. The people of the said caste reside in the forest. The tribal colony is situated in a remote area. During a visit to the colony she found that there was non-supply of rice through the public rationing system at subsidised rates. As per the said system, AAY Card holder is entitled to get 28 Kg of rice and 7 Kg of wheat per. It became apparent that, rice was not being supplied through the rationing system. She took up the matter with the Taluk Supply Officer through the Taluk Legal Services Committee, Sulthan Bathery. Owing to the timely intervention of Smt. Subhashini, the Taluk Supply Officer issued necessary directions to the ration shop concerned to supply all eligible ration articles to the residents of Puthanoor Naika Colony. As rice was the staple food of the tribals, she worked hard to make available the food grains to the people of the colony as entitled under the AAY Card.

# 5.5 Commendation Ceremony to Award The Best by NALSA

On 15<sup>th</sup> December, 2018, the National Legal Services Authority (NALSA) held a Commendation Ceremony at Vigyan Bhawan, Delhi, in collaboration with the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) to felicitate the best SLSA, DLSA, Panel Lawyer and Para Legal Volunteer (PLV) in the country.

The Chief Guest for the said programme was Sri Ravi Shankar Prasad, the Union Minister of Law & Justice and Electronics and Information Technology. Other dignitaries included Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri, Judge, Supreme Court of India & Chairman, Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC), Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon, Chief Justice, High Court of Delhi and Patron-in-chief (DSLSA), Hon'ble Mr. Justice S. Ravindra Bhatt, Judge High Court of Delhi and Executive Chairman, DSLSA.

During the ceremony, the 3<sup>rd</sup> Module for the training of Legal Services Lawyers which was prepared by NALSA under the guidance of Hon'ble Mrs. Justice Manju Goel, Former Judge, Delhi High Court, was released. The 3<sup>rd</sup> module is expected to add value to the capacity building and the

skill development of the Panel Lawyers. So far the first and the second training modules have remained very effective in providing training to the lawyers. Around 980 training programmes for Panel Lawyers were conducted by the Legal Services Institutions based on the modules.

Moreover, the project 'Access to Justice and Remedies for People living in Far Flung Areas' devised by NALSA was also launched. It will be implemented on pilot basis at Leh and Kargil with the objective of facilitating filing of petitions, appeals, etc. in the High Court. Awards were presented to the best PLV, Panel Lawyer, SLSA and DLSA of different states in both Zonal as well as, in the National category. In the East Zone, the best PLV award was received by Mr. Mangla Dehri from Jharkhand, the best Panel Lawyer by Mr. Jayanta Narayan Chatterjee from West Bengal, best DLSA by Raipur (Chhattisgarh) and the best SLSA by Jharkhand. In the North East Zone, the best PLV award was won by Mr. Tingkai Konyak from Nagaland, Mr. Gulley Sumnyan from Arunachal Pradesh, best DLSA by Kokrajhar (Assam) and best SLSA by Nagaland. In the North Zone, the best PLV award was received by Ms. Bilquees Tantray from J&K and best DLSA by Gurugram (Haryana). The National award for the best Panel Lawyer and the SLSA went to Mr.

Rajesh Kumar from Punjab and Haryana respectively from the North Zone. In the South Zone, the best Panel Lawyer award was won by Ms. Sreeja Sasidhara from Kerela and the best SLSA went to Kerela. The national award for the best PLV and the DLSA went to Mr. B.V. Sagar from Andhra Pradesh and Pathanamthitta respectively who hailed from South Zone. In the Small states / UTs category, the award for the best PLV and Panel Lawyer was won by Ms. Sunita Devi and Mr. Gautam Bhardwaj respectively, both hailing from Chandigarh, the best DLSA was won by North East Delhi and the best SLSA was won by Delhi. In the West Zone, Mr. Nathabhai Nondhabhai Chavda from Gujarat won the award for the best PLV, Mr. Deepak Naik from MP won the award for the best Panel Lawyer, Alwar (Rajasthan) won the best DLSA and Rajasthan won the best SLSA awards.

Mr. B.V. Sagar, who won the National Best PLV was awarded for his dedication in helping people in need by connecting them to various beneficial schemes, arranging drinking water, anganwadi centre in an isolated village in the forest area, stopping several child marriages, rescuing street children etc. Mr. Rajesh Kumar, who won the National Best Panel Lawyer, as a master trainer has conducted several training programmes for other Panel Lawyers, spearheaded plea bargaining campaigns in jails, covered several villages in door to door campaign and started legal literacy clubs and anti drug clubs in colleges. The National Best DLSA Pathanamthitta, Kerela, was awarded for its substantial work done through various projects and campaigns on different topics. Its major contribution was in making the district a beggar free and hunger free municipality in assistance with

the District Authorities. The best SLSA went to Haryana for its effective management of all legal services clinics and front offices, well-coordinated capacity building programmes as well as, programmes on social and legal causes Mr. Ravi Shankar Prasad while appreciating the efforts of the Legal Services Institutions and its workforce, emphazised upon the importance of access to justice which is inclusive of all sections of the society specially, people living in the far flung areas.

Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur talked about having an impact assessment study of all the legal services activites and programmes. Justice Lokur also emphasized the need to strengthen basic units of Legal Services Institutions to render high quality legal services to poor and vulnerable.

Hon'ble Mr. Justice A. K. Sikri in his speech threw light on the changing scenario of the legal services institutions which have transformed itself from merely providing legal aid to the needy to facilitating 'access to justice for all'.

Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon stated that in order to bring law to the doorsteps of the common people, there must be a radical change in the thinking of the elite, intellectuals

and the lawyer community in particular.

Hon'ble Mr. Justice S. Ravindra Bhatt stated that access to justice which is the motto of the legal services institutions would be meaningless unless and until each and every individual can avail their rights under the judicial system.

The ceremony ended with a vote of thanks by Mr. Alok Agarwal, Member Secretary, NALSA.

## **FINANCES**

#### GRANT ALLOCATED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES DURING THE YEAR 2018-19 S. Name of the State Legal Services Authority Grant allocated No. (Rs.) Andhra Pradesh State Legal Services Authority 4,00,00,000 1 2 Arunachal Pradesh State Legal Services 1,00,00,000 Authority 3 Assam State Legal Services Authority 6.00.00.000 4 Bihar Pradesh State Legal Services Authority 2.50.00,000 5 Chhattisgarh State Legal Services Authority 000,00,00,8 Gujarat State Legal Services Authority 6 3,50,00,000 7 Haryana State Legal Services Authority 8,50,00,000 8 Himachal Pradesh State Legal Services 4,00,00,000 Authority 9 J&K State Legal Services Authority 4.50.00.000 10 Jharkhand State Legal Services Authority 7,00,00,000 Karnataka State Legal Services Authority 8,50,00,000 11 Kerala State Legal Services Authority 12 10,50,00,000 13 Madhya Pradesh State Legal Services Authority 3,00,00,000 14 Maharashtra State Legal Services Authority 6.00.00.000 15 Manipur State Legal Services Authority 3,50,00,000 Mizoram State Legal Services Authority 4,00,00,000 16 17 Nagaland State Legal Services Authority 3,00,00,000 18 Odisha State Legal Services Authority 7,00,00,000 19 Punjab State Legal Services Authority 9,50,00,000 Rajasthan State Legal Services Authority 20 18,00,00,000 21 Tamil Nadu State Legal Services Authority 000,00,00,0 22 Telangana State Legal Services Authority 2,00,00,000 23 Tripura State Legal Services Authority 3,00,00,000 24 Uttar Pradesh State Legal Services Authority 1,00,00,000 25 Uttrakhand State Legal Services Authority 2,00,00,000 26 West Bengal State Legal Services Authority 9,00,00,000 27 Delhi State Legal Services Authority 10,00,00,000

Total

1.55,00,00,000

## WAY FORWARD

The year 2019 promises initiatives to explore new approaches to delivering improved access to justice, focused on legal empowerment, innovation and improving data and evidence.

Moving forward, the legal services institutions strive to be efficient and work in a professional manner in order to ensure that quality legal aid is provided. To this effect, we are working towards carrying out an impact assessment of all the activities, workforce and monitoring mechanisms which would aid in identifying our strengths and challenges. In addition, these legal needs assessments shall aid in determining the demand for legal aid services, bridging gaps in the delivery of services, road mapping specific priorities for different marginalized groups as well identifying areas of improvement on legal aid service delivery.

Since their inception, the Legal Services Institutions have marched forward vigorously in fulfilling the constitutional vision of 'Access to Justice for All'. India is a land of diversity not only culturally but also economically, geographically, physically and demographically. Though the horizons of the Legal Services Institutions have expanded over time, yet the people living in far flung areas do not have access to the justice delivery systems because of the different road blocks and without providing them with access to seek justice one cannot say that the legal services mechanism is an inclusive one.

The concerns of the marginalized groups of the population need to be included in programme conception and design, in order to ensure that they do not fall through the cracks of justice reform. People's perception of justice, the obstacles they face and the ways they address them need to be understood. The objective is to make available specialized and targeted legal aid provision for marginalized population, provide professional and competent legal services and carry out awareness programmes with a special focus. This shall remain the focus area of legal services authorities.

Underlining the importance of legal service functionalities at the grass root level, we endeavour to strengthen basic units such as legal services clinics and updating and digitizing Front Offices to work as One Stop Centres for legal aid. Further, in the wake of the 'Digital India Movement', we also seek to bring technology into the fold by digitizing records at various places such as jails, legal services clinics and websites to ensure better coordination amongst all legal aid providing institutions. Inter se as well as amongst all stake holders of legal services movement.

Lastly, it is critical to note that legal aid services are demand oriented and they accordingly need to be strengthened and aligned with marginalised and vulnerable people's legal needs. Keeping this in mind, we aim to improve the quality of legal services by undertaking capacity building exercises of workforce dedicated in providing legal aid such as PLVs and panel lawyers. Reaching the unreached shall remain the core strategy for reaching out to weaker and vulnerable sections of society, and meeting their unmet legal needs.

## वार्षिक लेखा राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष

\*

## भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली की लेखाओं पर ऑडिट रिपोर्ट

\*

## राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की वार्षिक रिपोर्ट

2018-19



## राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

12/11, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110011 फोन नं. : 011-23382778, 23382121 (फैक्स)

वेबसाइट: www.nalsa.gov.in

## वार्षिक लेखा राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष

\*

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की लेखाओं पर ऑडिट रिपोर्ट

\*

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की वार्षिक रिपोर्ट

2018-19



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12 / 11, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड नई दिल्ली— 110011 फ़ोन नं.—011—23382778, 23382121 (फ़ैक्स) वेबसाइटः www.nalsa.gov.in

## विषय सूची

- 1. वर्ष 2018-19 की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पेज 1 से 26
- 2. वर्ष 2018—19 की राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष पर पेज 27 से 29 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट
- 3. वर्ष 2018-19 की राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष का वार्षिक लेखा पंज 30 से 86

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेख-परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है/ यदि अनुवाद है यदि इसमें विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा /

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

के

राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष

का

वित्तीय विवरण

12/11 जामनगर हाउस शाहजहाँ रोड

नई दिल्ली - 110011

वर्ष 2018-19

## विषय सूची

## परिशिष्ट

- अ. बैलेंस शीट (वित्तीय स्थिति वितरण)
- ब. आय और व्यय लेखा
- स. पूर्व वित्तीय लेखों के विवरण
- द. लेखा (अकाउंट) सिध्दांत
- ध. अनुसूची विषयक विवरण
- न. प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण

#### परिशिष्ट -अ

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष बैलेंस शीट दिनांक 31.03.2019 के अनुसार प्राधिकरण / समिति का नाम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (राशि रु. में) चालू वर्ष संग्रह (कोष) / पुँजी पूर्व वर्ष अनुसूची निधि और ऋण राशि राशि कुल कुल कोष / पुँजी निधि 18,29,537.12 1 17,61,551.68 राष्ट्रीय विधिक सहायता राशि 550,71343.50 2060,30,447.00 1 अप्रैल 2018 तक बैलेंस जमाः हस्तांतरित आय और 607,37,396.10 56,66,052,60 (1509,59,103,50) 550,71,343.50 (विधिक सहायता) 2 रिसर्व एवं अधिशेष प्रतिभृति ऋण और उधार 3 राशियाँ संरक्षित ऋण और उधार 4 आरक्षित ऋण और उधार 5 अस्थागित ऋण उत्तरदायित्त्व वर्तमान उत्तरदायित्त्व और 6 प्रावधान 7 1.000.00 624,99,947.78 569,00,880.62 परिसंपत्तियां 8 4,57,610.67 5,25,596.12 अचल संपत्तियां 9 निवेश 10 32,50,553.00 निश्चितां वृत्तिदान राशि से 531,24,731.50 11 620,42,337.10 निवेश अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण , अग्रिम, एडवांस आदि विविध व्यय अलिखित या एडजस्ट किया गया हो कुल 624,99,947.78 569,00,880.62 महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां 24 लेखा विषयक संभाव्य उत्तरदायित्व 25

आत्रोम अग्रहात

#### परिशिष्ट - ब

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के आय और व्यय का व्यौरा पूर्व वर्ष अनुसूची चाल् वर्ष आय बिक्री / सेवाओं से आय 12 अनुदान / रियायतें 15569,23,111.10 10000,20,621.50 13 शुल्क / रियायते / छूट 14 निवेश से आय (निश्चित / वृतिदान निधि से निवेश 15 16 रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय 20,45,126.50 107,29,840.00 17 प्राप्त ब्याज 27,00,600.00 18 1,21,250.00 अन्य आय 19 वृद्धि (कमी)-समाप्त वस्तुओं और कार्य प्रगति से 15590,89,487.60 10,134,51,061.50 कुल (अ) व्यय स्थापन खर्च 20 अन्य प्रशासनिक खर्च आदि 21 34,23,435.00 142,90,391.00 अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च 15500,00,000.00 11500,00,000.00 22 23 अवमूल्यन (अनुसूची के सन्दर्भ में वर्षांत पर कुल योग ) 15534,23,435.00 कुल (ब) 11,642,90,391.00 व्यय पर आय की अधिकता का बैलेंस (अ -ब) 56,66,052.60 (1508, 39, 329.50) पहले के वर्षों के टी.डी.एस. की निकासी 1,19,774.00 विशेष संचय को स्थानान्तरण (प्रत्येक के बारे में बताएं) सामान्य संचय को /से स्थानान्तरण कानूनी सहायता कोष में हस्तांतरित ग्रांट /अन्य 56,66,052.60 (1509, 59, 103, .50) संग्रह का उपयोग किया गया

महत्त्वपूर्ण लेख मीतियां

आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां

25

24

SHOP HUMAN

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के आय और व्यय का व्यारा

अनुसूची	পূৰ্ব বৰ্গ	चाल् वर्ष
आय		-
बिक्री सेवाओं से आय		
अनुदान / रियायतँ		9
श्ल्क / रियायते /छूट	-	- 1
निवेश से आय (निश्चित वृतिदान निधि से निवेश	•	
पर)		
रोयल्टी /प्रकाशन आदि से आय		
प्राप्त ब्याज		9
अन्य आय	•	
वृद्धि (कमी )-समाप्त वस्तुओं से और कार्य प्रगति से		
কুন (31)	(e)	8
ट्यस		7
स्थापन खर्च		Œ
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	145	194
अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च	2	0.0
ब्याज		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
मूल्यहास (अनुसूची के सन्दर्भ में वर्षान्त पर कुल		
योग)	67,985.44	78,574.64
কুল (a)	67,985.44	78,574.64
व्यय पर आय की अधिकता का बैलेंस (अ - ब)	67,985.44	(78,574.64)
विशेष संचय को स्थानान्तरण (प्रत्येक के बारे	CATAGORICA DE LA CATAGORICA DEL CATAGORICA DE LA CATAGORICA DE LA CATAGORICA DE LA CATAGORI	# 30-10-00 Minutes
मैंबताएं)		œ.
सामान्य संचय को / से स्थानान्तरण		
समग्र पूँजी निधि का अधिशिष्ट बैलेंस/ घाटा	(67,985.44)	(78,574.64)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां 24 आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां 25

आलोंन अप्रधाल

## परिशिष्ट - स

प्राधिक	राष्ट्रीय विधिक सह त्रण का नाम -राष्ट्रीय र्ग			
	2019 के अनुसार बैलैंस		ण	
अनुसूची -1 समग्र निधि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
वर्ष के आरम्भ में बैलेंस जोड़ें -अचल संपत्तियों के मृल्य में जोड़ की	18,29,537.12	18,29,357.12	54,00,90796	54,00,907,96
लागत जमा / घटा : आय और व्यय लेखा (समग्र		(67,985.44)		(78,574.64
निधि) का निवल शेष आय और व्यय खाते से भवन, वाहन, फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों के WDV के समायोजन को निकल कर		*		(34,92,796.20
वर्ष के अंत में बैलेंस		17,61,551.68		18,29,537.12

आलीन अप्रचाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण अनुसूची -2- आरक्षित और अधिशेष निधि चालू वर्ष पूर्व वर्ष पूंजीगत संचय : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांकन : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती विशेष आरक्षित निधि : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती सामान्य आरक्षित निधि : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती

आलोंन अप्रवास

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

	7.				1	
		धनराशि	के अनुसार	वर्गीकरण	कुल	योग
अनुसूची -3- निश्चितं / वृत्तिदान राशि	यू.एन.डी.पी. फंड	फंड का नाम	फंड का नाम	फंड का नाम	चाल् वर्ष	पूर्व वर
अ) फंड का प्रारम्भिक शेष	725	24/		. 51141	22	121
a) फण्ड के परिवर्धन	1	-	"		-	
1. दान / अनुदान	646			3	-	143
<ol> <li>धन राशि के निवेश से उत्पन्न आय</li> </ol>		*				
<ol> <li>अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)</li> </ol>	89.	10.	1.5			
कुल योग (अ +ब)			(=	12		
स) निधि का उद्देश्यों हेतु उपयोग / खर्च	(*)		- 12	- 14	8	(+)
1. पूँजी खर्च	848	1.6		3	- 2	143
स्थिर परिसंपत्तियां		- 5	1	9		
अन्य	8.0		1.			
कुल	S±3:	1.60	135			10.00
2. राजस्व व्यय		R5	592	12		(*)
वेतन, दिहाड़ी, भत्ते आदि	020	1.20	- 02	- 2	27	520
भुगतान किया गया	(-1)	.07	(=	17	-	
अन्य प्रशासनिक खर्च	39 <b>±</b> 31	(8)	13	- 33		10.00
कुल योग	(#)	1.5	12	3	- 2	848
वर्ष के अंत में निवल शेष (अ+ब+स)		- 5	19			

नोट :- 1. अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक मदों के अंतर्गत प्रकटन किया जा सकता है |

अगलाम अग्रमाल

<sup>2.</sup> केंद्र /राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजित राशिओं को अलग से दिखाया जाए उन्हें किसी अन्य फण्ड के साथ न मिलाया जाये |

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसुची रूपण

1.			
77.5	केंद्र सरकार	2	
2. 3	राज्य सरकार		
3. 1	वित्तीय संस्थान	<b>±</b>	
	i. सावधिक ऋण	*	*
	ii. प्राप्त ब्याज और बकाया	2	2
4. 1	र्देक		8
	।. अन्य ऋण	-	
	II. प्राप्त ब्याज और बकाया	*	
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां	2	2
6.	ऋण पत्र और बांड	3	
7.	अन्य		

आलोंग अप्रवास

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची -	5 - असुरक्षित ऋण और उधार	चाल् वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	केंद्र सरकार		
2.	राज्य सरकार	*	
3.	वित्तीय संस्थान	*	
4.	बैंक	2	
	ा. सावधिक ऋण	9	
	ii. अन्य क्ण		
5.	अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	*	
6.	ऋण पत्र और बांड	2	
7.	सावधि जमा	9	
8.	अन्य	*	
	कल		•
अनुसूची =	6- विलंबित ऋण दायित्त्व	चाल् वर्ष	पूर्व वर्ष
	पूंजीगत उपकरणों और अन्य वस्तुओं के बंधीकरण द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	•	(*)
ब	अन्य	2	-

आलीम अग्रमाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

वी -	7 - वर्तमान देनदारियां :	चाल् वर्ष	দুৰ্ব বৰ্ণ
ж.	वर्तमान देनदारियां	-	3.50
	1 स्वीकृतियां	*	
	2. विविध ऋणदाता		20
	अ. वस्तुओं के लिए	9	
	ब. अन्य	8	
	<ol><li>अप्रयुक्त अनुदान राशि</li></ol>		
	<ol> <li>अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं -</li> </ol>	(A)	
	अ. रक्षित ऋण / उधार	¥	1.2
	ब.अरिक्तत ऋण / उधार		
	<ol><li>वैधानिक देनदारियां</li></ol>		3.0
	अ. अतिदेय (ओवर इयू)		
	ब. अन्य (ठेकेदारों पर टीडीएस)	1000.00	2
	<ol><li>अन्य वर्तमान देनदारियां</li></ol>		
	कुल (अ)	1000.00	( <b>3</b> )
<b>a</b> .	प्रावधान	चाल् वर्ष	पूर्व वर्ष
	<ol> <li>कराधान के लिए</li> </ol>	2	1743
	2. उपदान	8	
	<ol> <li>सेवानिवृत्ति / पॅशन</li> </ol>	8	
	<ol> <li>संचित अवकाश भुगतान</li> </ol>		3.00
	<ol> <li>व्यापार वारंटियाँ / दावे</li> </ol>		-
	6. अन्य	ν	12
	कुल ब		350
	कुल (अ + ब)	1000.00	-

आलीय अञ्चाल

राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेस शीट का अनुसूची रुपण

1     2     3       वर्ष के आरम्भ     वर्ष प्रथम     वर्ष के मार्ग       1.4.18 में     माग     दुसरे       सगत मृत्य     एडिशन्स     माग       2,373,356.00     0.00     0.00       2,007,057.00     0.00     0.00       3,939,821.00     0.00     0.00       1,796,430.00     0.00     0.00       1,796,430.00     0.00     0.00       458,703.00     0.00     0.00       5,990.00     0.00     0.00       5,990.00     0.00     0.00       62,400.00     -     -       14,221,218.00     -     -       14,221,218.00     -     -	वर्ष प्रथम व मान न मान व 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	वर्ष प्रथम वर्ष के माग वर्ष वर्ष वर्ष के माग वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष के माग वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष के माग वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष	e		विवरण	भवन नहीं ) वाहन कहीं ) वाहन फर्नीचर व अन्य औड़े गए उपकरण दफ्तर के उपकरण कन्प्यूटर व उसके उपकरण मोबाईल एक्सेसरीज़ कैमरा माईक्रोफोन कम-स्पीकर आई सी रिकोर्डर		पूर्व वर्ष
के प्रथम वर्ष के मान स्थान वर्ष के मान देखें के मान देखें के मान देखें के मान स्थान वर्ष के मान स्थान वर्ष के मान स्थान	के प्रथम वर्ष के मान मान दुसरे मान दूर मान दुसरे मान दुर मान दुसरे मान दुर मान दुसरे मान दुर मान दुसरे मान दुसरे मान दुसरे मान दुसरे मान दुसरे मान दुसरे मा	के प्रथम वर्ष के स्द भाग दुसरे /विकी वि शाम मुन्म मान में एडिशन्स मान में एडिशन्स मान में एडिशन्स मान में एडिशन्स मान में एडिशन्स मान में एडिशन्स निकेश विकी ०.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		1	वर्ष के आरम्भ 1.4.18 में लगत मूल्य	2,373,356.00 3,939,821.00 2,007,057.00 3,241,297.00 1,796,430.00 1,796,430.00 106,000.00 458,703.00 230,164.00 5,990.00 62,400.00	14,221,218.00	14,221,218.00
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	33.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3 के के कि स्टिंग कि की स्टिंग कि स्ट		2	वर्ष प्रथम भाग एडिशन्स	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	6	a
	\—	4 計算 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0		က	34 年 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	000000000000000000000000000000000000000		Ü
5 6 31.3.19 하 1.4.18 तक लिए मूल्य हास मूल्य हास 2,373,356.00 2,294,355.12 2,007,057.00 3,778,542.42 2,007,057.00 3,778,542.42 2,007,057.00 3,778,542.42 1,796,430.00 1,868,925.18 1,796,430.00 1,796,419.38 106,000.00 458,703.00 5,990.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00	6 1.4.18 तक मूल्प हास 1,294,355.12 3,778,542.42 1,868,925.18 3,094,122.78 1,796,419.38 1,796,419.38 1,796,419.38 1,596,000 62,400.00 62,400.00 62,400.00			7	31.3.19 के लिए मूल्य हास	7,900.09 24,191.79 13,813.18 22,076.13 4.25	67,985.44	78,574.64
6 1.4.18 तक 3 मूल्य हास वि 2,294,355.12 2,294,355.12 1,868,925.18 3,094,122.78 1,796,419.38 1,796,419.38 1,796,419.38 1,06,000.00 458,703.00 230,164.00 5,990.00 62,400.00 62,400.00	₩ d2	7 31.3.19 के लिए मूल्य हास 7,900.09 13,813.18 22,076.13 4.25		80	मृत्य हास	0 0000000000000000000000000000000000000	5.	3492796.20
1.4.18 तक 31.3.19 के मूल्य हास मूल्य हास लिए मूल्य हास हास हास हास हास 3,778,542.42 24,191.79 0.0 1,868,925.18 13,813.18 0.0 1,796,419.38 22,076.13 0.0 1,796,419.38 4.25 0.0 1,596,419.38 67,985.44 0.0 230,164.00 - 0.0 5,990.00 - 0.0 62,400.00 - 0.0 62,400.00 - 0.0 62,400.00 - 0.0	7 8 31.3.19 के मूल्य हास हिए मूल्य । मूल्य हास हास हास हास 24,191.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	8 मूल्य हास 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.		6	31.3.19 तक	2,302,255.21 3,802,734.21 1,882,738.36 3,116,198.91 1,796,423.63 106,000.00 458,703.00 230,164.00 5,990.00 62,400.00	13,763,607.32	9,296,409.31
1.4.18 तक 31.3.19 के मूल्य हास	7 8 31.3.19 के मूल्य हास हिए मूल्य हास हिए मूल्य हास हिए प्राप्त हिए पुरुष हास हिए पुरुष मूल्य हास हिए पुरुष मूल्य हास हिए पुरुष मूल्य हास हिए	8 मूल्य हास 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		10	31.3.19 तक इब्लुडी.वी.	71,100.79 137,086.79 124,318.64 125,098.09 6.37	457,610.67	525,596.12
1.4.18 तक 31.3.19 के मूल्य हास 31.3.19 तक मूल्य हास	7 8 9 9 31.3.19 के मूल्य हास 31.3.19 तक हिस हास हास कुल हास हास कुल हास कुल हास हास हास कुल हास	क्रिक्य हास     31.3.19 तक       मूल्य हास     31.3.19 तक       5.00     2,302,255.21       0.00     3,802,734.21       0.00     1,882,738.35       0.00     1,796,423.63       0.00     1,796,423.63       0.00     1,796,423.63       0.00     230,164.00       0.00     230,164.00       0.00     5,990.00       0.00     5,990.00       0.00     5,990.00       0.00     5,990.00       0.00     9,296,409.31		्रा	31.3.18तक डब्लु. डी.वी.	79,000.88 161,278.58 138,131.82 147,174.22	525,596.11	4,096,966.96

State State

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

## अनुसूची-9

	निश्चित /वृत्तिदान निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभृतियाँ में	*	- 61
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां	*	20
3.	शेयर्स	8	
4.	ऋण पत्र और बन्धन		
5.	रियायते और संयुक्त प्रयास / उपक्रम		*
6.	अन्य		2
	कुल		

# अनुसूची-10

	निश्चित /वृत्तिदान निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभृतियों में	:•:	
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां	*	¥1;
3.	शेयर्स	2	
4.	ऋण पत्र और बन्धन		
5.	रियायतं और संयुक्त प्रयास / उपक्रम		70
6.	सावधि जमा (बँक)		32,50,553.00
	कुल		32,50,553.00

आलोक अप्रधार

# राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिक	रण
31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची	रूपण
कण भगिम गशी / एरतांम भाटि	

अनुसूची -11-वर्तमान सम्पत्ति , ऋण , अग्रिम राशी / एडवांस आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. वर्तमान संपत्तियां :		
1. संपत्ति सूची		
अ ) अंडारण और अतिरिक्त	0	57
ब ) मुक्त उपकरण	•	*
स ) बिक्री माल		-0
निर्मित माल	2	2
अर्धनिर्मित उत्पादन	20	20
कच्या सामान	•	-
2. फुटकर ऋण / कर्ज़	2	23
अ) छः महीने से ज्यादा समय के लिए जारी ऋण	2	20
Section 1	8	8.
ब ) अन्य		
<ol> <li>हस्तगत नकद बैलेंस (चैंक / ड्राफ्ट और रकम सहित )</li> </ol>	599,42,971.10	
4. बैंक बैलेंस	17.574.17550.12.05	-0
अ ) अनुस्चित बैंक के साथ	2	531,24,731.5
चालू खातौं पर		331,24,731.3
जमा खातौ पर (मार्जिन मनी सहित )		+0
बचत खातौं पर	4	20
ब ) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	2	2
चालू खतों पर		
जमा खातौ पर	E	
5. डाकघर बचत खाते		20
कुल (अ )	599,42,971.10	531,24,731.50
अनुसूची -11-वर्तमान सम्पत्ति , ऋण , अग्रिम राशी / एडवांस आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
ब. ऋण , एडवांस और अन्य संपत्तियां		
1. ऋण:	*	*
अ) कर्मचारी ऋण	+1	**
	20	
ब ) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मदें	2	*
ब ) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा	¥	*
ब ) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ	2 2 3	• • §
ब ) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर	±	: :
ब ) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान		* *) *) *)
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियों अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्भुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/-	20,99,366.00	* * * * * * * *
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु.1000/	- - 20,99,366.00	• • • •
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा 2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/ 3. अर्जित आय :	- - - 20,99,366.00	* * * *
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अर्जित आय : अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर	- - 20,99,366.00	** ** ** **
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मदें स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्श्रुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अजिंत आय : अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर ब ) निवेश पर अन्य	- - 20,99,366.00 - -	
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अर्जित आय : अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर	20,99,366.00	
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मदें स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ अ ) पूँजी लेखा पर ब ) पुनर्शुगतान स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/- ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अर्जित आय : अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर ब ) निवेश पर अन्य	20,99,366.00	
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ  अ ) पूँजी लेखा पर  ब ) पुनर्शुगतान  स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/-  ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अर्जित आय :  अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर  ब ) निवेश पर- अन्य  स ) ऋण और एडवांस	- 20,99,366.00 - - -	
ब ) गित विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मर्दे स ) सुरक्षा जमा  2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियों  अ ) पूँजी लेखा पर  ब ) पुनर्भुगतान  स ) अन्य -अ ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र की सेवाएं रु.2098366/-  ब ) सब मीडिया सॉफ्टवेर रु. 1000/  3. अर्जित आय :  अ ) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर  ब ) निवेश पर— अन्य  स ) ऋण और एडवांस  द ) अन्य	20,99,366.00	

आयोग अग्रमाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुस्ची-12	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		
बिक्री सेवाओं से आय और व्यय	राशि	<b>કુ</b> ભ	राशि	कुल	
(अपरिवर्तनीय अनुदान औरप्राप्त रियायते )		3500		-	
बिक्री से आय					
अ ) निर्मित माल की विक्री	-	*		*	
ब ) कच्चे माल की बिक्री	143	2	S22	2	
स ) कबाड़ की बिक्री		•		*	
सेवाओं से आय					
अ ) मजदूरी और प्रक्रिया शुल्क	-	-	-	8	
ब ) व्यावसायिक / परामर्श शुल्क	143	2	-	2	
स ) एजेंसी कमीशन और दलाली		*		*	
द ) रख रखाव खर्च (उपकरण/सम्पत्ति )	120			-	
ध ) अन्य	200	*	: <u>*</u> €	*	
কুল		•	•		
नुसूची -13 वर्तम		वर्ष	 पूर्ववर्ष		
अनुदान / रियायतें	राशि	कुल	राशि	कुल	
(अपरिवर्तनीय प्राप्त अनुदान और रियायते )		720			
1. केंद्र सरकार					
प्राप्त अनुदान	en on the motion of the Material Constitution				
जमा: वापस किया गया अनुदान	15000,00,000.00 569,23,111.10	15569,23,111.10	10000,00,000.00 20,621.50	10000,20,621.50	
जमा: अव्यय अनुदान वापस प्राप्त	303,23,111.10	13363,23,111.10	20,021.50	10000,20,021.30	
कमी: वर्ष के दौरान अव्यय अनुदान					
2. राज्य सरकार		<u> </u>		ğ	
<ol> <li>सरकारी एजेंसियां</li> </ol>		-			
4. संस्थान / कल्याण समितियां		2		2	
<ol> <li>अन्तर्राष्ट्रीय संगठन</li> </ol>					
6. अन्य		(E)		(=)	
Total		15569,23,111.10		10000,20,621.50	

आलोंक अवसाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

	राशि व	हपए
नुसूची-14-धुल्क /छ्ट	वर्तमान वर्ष	দুৰ্ব বৰ্ণ
1. प्रवेश शुल्क	3.5	(#7)
<ol> <li>वार्षिक शुल्क / छूट</li> </ol>		*
<ol> <li>सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क</li> </ol>	120	21
4. परामर्श शुल्क		120
<ol> <li>अन्य (विवरण दें )</li> </ol>	323	200
कुल		(4)

आत्रीय अग्रहास

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-15 -निवेशों से आय	निश्चित नि	ध से निवेश	निवेश -	अन्य
(निश्चित / वृत्द्दन निधियों से स्थानांतरित निधियों में निवेश पर आय )	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. इयाज				
अ ) सरकारी प्रतिभृतियाँ पर	727			-
ब ) अन्य बंधपर्त्रो / ऋण पत्रौ पर 2. जमा / लाभांश	24%	*		*
अ ) शेयरों पर	(*)	*	850	*
ब ) म्युचुअल फंड प्रतिभृतियां		*		8
3. किराया	143	-		
4. अन्य (विवरण दें )	20	2	-	-
71 8000 10000 7	120	*	1.5	-
कुल योग	15/1			

निश्चित / वृत्तिदान निधियों में स्थानांतरित

आलोन अप्रमाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची	-16-रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	रोयल्टी से आय		
2.	प्रकाशनौ से आय	*	*
3.	अन्य (विवरण दें )	2	2
	कुल		*:
अनुसूची	-17—अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सावधिक जमा पर	24242000	
	अ ) अनुसूचित बैंकों पर	2,03,055.00	3,50,773.00
	(पुस्तकालय कोष (एफ.डी.) पर ब्याज जो समग्र निधि को हस्तांतरित	* ·	
	किया गया कम करने के पश्चात् )	*	
	ब ) अ -स्चित बैंकों पर		**
	स ) संस्थानों के साथ		**
	द ) अन्य		
2.	बचत खतौ पर	18,42,071.50	103,79,067.00
	अ ) अनुसूचित बैंकों पर		
	ब ) अ -सूचित बैंको पर		*
	स ) डाकघर बचत खतौ पर		
	द ) अन्य-अव्यय अनुदान पर ब्याज		
	0. # 500 (500 pt d. 51 €00 pt d. 57 pt l	-	*
3.	ऋणों पर		
	अ ) कर्मचारी / स्टाफ	2	2
	बी ) अन्य	¥	€.
4.	देनदारियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		11 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1
	्कृल	20,45,126.50	107,29,840.00

आलोब अम्हाल

# राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची	-18-अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	परिसम्पत्तियों की बिक्री / निष्पादन से लाभ		
	अ ) अर्जित परिसम्पत्तियां	592	
	ब ) अनुदानों से , या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	-	-
2.	अनुदानों से प्राप्त	12	548
3.	लागत शुल्क / आर.टी.आई. शुल्क प्राप्त किया	7,500.00	26,00,500.00
4.	अन्य आय	1,13,750.00	1,00,100.00
	कुल	1,21,250.00	27,00,600.00

अनुसूची -19-समाप्त वस्तुओं और कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि / कमी	वर्तमान वर्ष	দুর্ব বর্গ
अ ) स्टॉक समाप्ति		4,000
समाप्त स्टॉक	3.85	( <b>3.</b> )
कार्य प्रगति	÷:	•
ब ) कमी: प्रारम्भिक स्टॉक		
समाप्त वस्तुएं	-	•
कार्य प्रगति	-	
शुद्ध वृद्धि / कमी (अंब )	•	
कुल		

आलोन अस्टाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष

#### प्राधिकरण का नाम - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

## 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -20-प्रतिष्ठान व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ ) वेतन और दिहाड़ी		
ब ) भत्ते और बोनस	9	
स ) प्रोविडेंट फण्ड में योगदान	\$	
द ) अंतरिम रहत बकाया		
ध ) वेतन और बकाया भत्ता	E7	
न ) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और निवृत्ति लाभ	8	
प ) अन्य		
कुल	51	0.00

आसीय अप्रधाल

# राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -21-अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	দুৰ্ব বৰ্ণ
अ) क्रय	-	
ब ) मजदूरी और प्रक्रियात्मक व्यय		
स ) भारवहन और परिवहन खर्च		
त ) विध्युत और पावर	1.6	
थ ) सात्रा खर्च		
ध ) मरम्मत और रख-रखाव		
फ ) वाहन खर्च और रख रखाव		
ब ) डाक, फोन और स्टेशनरी खर्च	1.63	-
भ ) प्रिंटिंग और स्टेशनरी	-	
म) यात्रा एवं यात्रा खर्च		
य ) सेमिनार / कार्यशाला व्यय		
ट्रेनर्स का ट्रेनिंग खर्च	5	
ल ) अंशदान खर्च	. **	37.7
व् ) ऑड़िटर्स मानदेय		
ष ) व्यवसायिक शुल्क	1,51,258.00	
ह ) खराब और दुविधापूर्ण कर्ज़ / एडवांस के लिए प्रावधान	•	28,336.00
क) बैंक शुल्क		
छ ) विज्ञापन और प्रचार	69,000.00	89,47,035.00
ग ) वार्षिक समारोह सहयोग व्यय	04 00 707 00	50 45 000 00
राष्ट्रीय विधि दिवस एवं सम्मान समारोह व्यय	31,09,727.00	53,15,020.00
लोक अदालत खर्च	93,450.00	
कुल	34,23,435.00	142,90,391.00

आलीय अप्रचाल

#### राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

## 31 मार्च 2019 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -22-अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ ) संस्थानौ, संगठनौ को दिया गया अनुदान	15500,00,000.00	11500,00,000.00
ब ) संस्थानों / संगठनों को दी गई छूट / रियायत	2	2
स ) संस्थाओं/ संगठनों को दिया गया पुस्तकालय अनुदान	•	
कुल	15500,00,000.00	11500,00,000.00
परिशिष्ट के अनुसार		
अनुसूची -23-ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ ) स्थिर ऋण	*	35
ब ) अन्य ऋणौ पर (बैंक शुल्क सहित )	*	194
स ) अन्य	2	- 2
कुल	:5:	: <b>*</b>

आयोभ अप्रधाल

Step Total

राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षात 31.03.2019 के लिए प्राप्तियां

आष्ट्रतया	चाल्वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालूवर्ष	मूर्व वर्ष
1.अथशेष		*111	1.खर्ट		
अ) हस्तमात रोकड़			अ) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)		::*
व) वैक क्रोस			ब) प्रशासनिक ट्यय (अनसची 21 के अनसार)	34,22,435.00	142,62,055.00
।) चालू खतों मे	•	*	2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोष से किए गए	15500,00,000.00	11500,00,000.00
॥) सावधि जमा खातौ में	32,50,553.00	28,99,780.00	मृगतान-अन्तरनन		
iii) बचत खातों भे	531,24,731.50	2042,86,498.00	(निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक योजना के लिए		324
2. अनुदान प्राप्त हुआ			किए गए भूगतामों		
1)भारत सरकार से	15000,00,000.00	10000,00,000.00	के विवरण को दर्शाया जाना चाहिए)	*	(#)
॥) राज्य सरकार से			3.पुस्तकालय अनुदान वितरित किया गया		
III) अन्य स्त्रोतो से - अव्ययित अनुदान	569,23,111.10	20,621.50	4.निवेश और जमा	•	
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से			।) निर्पारित बंदोबस्ती निष्टि से	•	
दिखाया जाना है )			ii) अपने कोष से (अन्य निवेश)	•	00 001 01 00
3.निवेशों से आय	4)	\$ (*)B	5.अचल संपत्तियों एवं चल रहे पूजीगत कार्यों पर व्यय	*	32,50,533.00
i) निर्धारित बंदोबस्ती निष्टि से	**	#6	i) अचल सम्पत्तियों की खरीद	•	
॥) अपने कोष से (अन्य निवेश)			ii) चल रहे प्जीगत कार्यों पर व्यय		96
4.प्राप्त ब्याज			6.अतिरिक्त धन / ऋणौं की वापसी	*	331
।) बैंकों में जमा राशि पर	18,42,071.50	103,79,067.00	।) भारत सरकार को	*	
ii) उधारी व पेशनी पर			ii) राज्य सरकारों को	•	96. 3
iii) अन्ययित अनुदान पर	1	ंग	iii)धन के अन्य प्रदाताओं को	*	3 T
iv) FDR पर ब्याज	2,03,055.00	3,50,773.00	7 अन्य भुगतान (अखिम)	20 99 366 00	<b>.</b> €53
5.अन्य स्त्रोतौ से आय (कास्ट/RTI)	7,500.00	26,00,500.00	8.कर्मचारी ऋण		*:
6.अन्य अनुदान		36	9.शेष राशि		Off.
7.TDS रिफंड प्राप्त हुआ		0	अ) हस्तगत नकदी (पी.ए.ओ. को हस्तांतरित किया		
8.अन्य प्राप्तियां	1,13,750.00	1,00,1,00.00	गया)	(C)	
9.अर्जित ब्याज	# (A)		व) बैंक बैलेस		
			) चालू खातों में	599,42,971.10	
			॥) अमा खाने मे		0000 minutes (0000 minutes)
			iii) बचत खाते		531,24,731.50
	16154,64,772.10	12206,37,339.50		16154,64,772.10	12206,37,339.50

#### फॉर्म - 3

# वर्षांत -31 मार्च, 2019 की समयावधि तक खातों का अनुसूची रूपण भाग प्राधिकरण : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

#### अन्सूची -24-महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति प्रमाण पत्र

#### लेखांकन अभिसमय

वित्तीय लेखा—विवरण (स्टेटमेंट) एतिहासिक लागत रीतियों और लेखांकन के वास्तविक तरीकों के आधार पर होता हैं, बशर्ते कि इस बारे में अन्य निर्देश न हों |

 सूची, निवेश, आस्थगित राजस्व और विक्रय प्राधिकरण की कोई वस्तुसूची, निवेश, आस्थगित राजस्व व्यय और कोई विक्रय नहीं है ।

#### सरकारी अन्दान / छूटें

- परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए पूंजीगत लागत के लिए आर्थिक सहयोग की प्रकृति के सरकारी अनुदान को पूँजी संचय माना जायेगा |
- खरीदी गई विशिष्ट स्थिर संपत्तियों के संदर्भ में अनुदानों को कोर्पस फंड के अतिरिक्त दिखाया गया है ।
- सरकारी अन्दान / छूटों का लेखा-जोखा वास्तविक आधार पर किया गया है ।
- विदेशी मुद्रा लेन-देन, लीज़ और उत्पाद-शुल्क प्राधिकरण की कोई विदेशी मुद्रा, लीज़ और उत्पाद-शुल्क नहीं है ।

#### अचल सम्पित्तयां :

- अचल सम्पत्तियों में आवक मॉल ढुलाई, शुल्क करों और अधिग्रहण से सम्बन्धित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों के
  अधिग्रहण की लागत बताई गयी है और निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में, सम्बन्धित पूर्व
  परिचालन व्यय पूंजीकृत सम्पत्ति का हिस्सा होते हैं |
- वित्त वर्ष 2015-16 से, प्राधिकरण ने केवल उन्हीं अचल परिसम्पित्तयों का लेखा रखने का निर्णय लिया है,
   जिनका वित्त पोषण राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष से किया गया है |
   चूंकि राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के अंतर्गत किसी भी अचल परिसम्पित्त का वित्त पोषण नहीं किया गया है
   इसलिए किन्ही अचल परिसम्पित्तयों पर लक्षित नहीं किया गया है |

#### अवमृल्यन

आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों के अनुसार "बकाया कम करने की विधि" पर मूल्य हास प्रदान किया गया है ।

- 7. विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि को दिए गए अनुदानों के पिछले चलन को देखते हुए उसे वर्ष के व्यय के रूप में देखा गया, जबिक उनकी उपयोगिता प्रमाणपत्र रसीद बकाया है | बाकाय उपयोगिता प्रमाणपत्र के विवरणों का सम्बन्ध 2008-09 से 2017-18 तक 5202 लाख रु. से है | वर्ष के दौरान 15500.00 रु. के अनुदान दिए गए परन्तु उसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं कराए गए हैं, जिसमें 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थता एवं मुलह परियोजना समिति तथा 29 गैर सरकारी संगठनों एवं विश्वविद्यालयों सहित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति शामिल है |
- 8. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण को कानून और न्याय मंत्रालय से सहायता के रूप में 150 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ, इस राशि में से लगभग 155 करोड़ रु. विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में वितरित किये गए | राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को दी गयी अतिरिक्त राशि का कारण राष्ट्रीय विधिक निधि में पड़ा पिछले वर्ष का अव्ययित शेष है |
- ऋण व अग्रिम राशि 2099366/- रुपये विक्रेता अग्रिमों की बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं |
- 10. रु. 1000/- की वैधानिक बकाया राशि 31.3.19 को अदत्त थी |
- 11. पिछले वर्ष के सम्बंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था पूनः व्यवस्थित किया गया है ।

अमलीय अप्रधाल

#### फॉर्म-4

31 मार्च 2019 के अंत तक राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि आय और व्यय का अनुसूची रूपण भाग, प्राधिकरण का नाम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

#### अनुसूची -25

फुटकर देनदारियों के सन्दर्भ में प्रमाणपत्र तथा लेखा टिप्पणियां

- वर्ष के दौरान निम्न संदर्भित फुटकर देनदारियां -शून्य (पूर्व वर्ष -शून्य)
  - ऋणों के रूप में किये जाने वाले दावे शून्य
  - सन्दर्भ में -
    - -सत्व के आधार पर / वस्तुओं के रूप में दी जाने वाली बैंक गारंटियां -शून्य
    - --सत्व के आधार पर बैंक दवारा खोले जाने वाले लाभ पत्र -शून्य
    - --बैंकों से छूट प्राप्त बिल -शून्य
  - विवादित मांगों के सन्दर्भ में -
    - -- आयकर रुपयों में -शून्य
    - --विक्रय कर -शून्य
    - --निगमीय कर -शुन्य
  - आदेशों को लागू न किये जाने के लिए पक्षों द्वारा किये गए दावे के सन्दर्भ में, लेकिन सत्व द्वारा प्रतिरोधित शून्य
- वर्ष के दौरान पूंजीगत वचन बद्धता -शून्य (पूर्व वर्ष-शून्य)
   अनुबंधों की अनुमानित लागत पूँजी लेखा पर अमलनीय है तथा मुहैय्या नहीं कराई -(कुल अग्रिम)-शून्य
- निम्न संदर्भित वर्ष के दौरान लीज उत्तरदायित्त्व -शून्य (पूर्व वर्ष)-- शून्य वित्तीय लीज अनुबंधों के तहत संयंत्र और यंत्रगत राशि के लिए किराया आदि के भावी दायित्त्व -शून्य
- 4. वर्तमान सम्पित्तयां, ऋण और एडवांस प्रबन्धन की राय में, वर्तमान सम्पित्तयां, ऋण और एडवांसों का मूल्य व्यापर के अनुसार ही लगाया गया है, जो बैलेंस शीट में दिखाई गयी औसत राशी के निकटतम रूप के समान है ।
- कराधान
  आयकर अधिनियम, 1961
  के तहत कर योग्य कुछ न होंने के कारण, आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया |

#### संदर्भित वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का संव्यवहार

शून्य (पूर्व वर्ष -शून्य)

	विवरण	राशि रुप	
		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सी.आई.ऍफ़. आधार पर आंकलित आयातों का मूल्य	शून्य	श्न्य
	समाप्त वस्तुओं की खरीद	शून्य	श्नय
	कच्चा सामान और कम्प्यूटर्स (पारगमन में शामिल )	शून्य	श्रूच
	पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शृन्य
	दुकार्ने, कलपुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं	शून्य	शून्य
2.	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	यात्रा	शून्य	शून्य
	भुगतान वापसी और ब्याज भुगतान वित्तीय संस्थानों / विदेशी मुद्रा के बैंक	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य
	• विक्रयों पर कमीशन	शून्य	शून्य
	• विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	शून्य	शून्य
	• अन्य खर्च	शून्य	शून्य
3.	आमदनियां	शून्य	श्रृन्य
	ऍफ़. ओ, बी. के आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य	श्र्न्य
4.	सेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) के लिए पारिश्रमिक		
	कराधान मामले	शून्य	श्नय
	प्रबंधकीय सेवाओं के लिए	शून्य	श्र्न्य
	प्रमाणीकरण के लिए	शून्य	शून्य

- 7. अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव 1.4.2011 से अली प्रकार किया जा रहा है | पूर्व अविधि की परिसंपत्तियां अले ही अचल सम्पत्ति रजिस्टर में दिखाई गयी हैं, मगर उनके मूल्य और तादाद के बारे में विस्तृत जानकारी वित्तीय रेकार्डों से मेल नहीं खाती थी | हालांकि, वर्ष 15-16 से प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि अगर इन अचल परिसंपत्तियों की खरीददारी के लिए राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है तो वह इन अचल परिसंपत्तियों की नई खरीददारियों का लेखांकन नहीं करेगा |
- 8. परिशिष्ट 1-23 बैलैस शीट और उस तिथि तक वर्षान्त की आय तथा व्यय राशि के साथ अभिन्न हिस्से के रूप में दिखाए गए हैं |
- पूर्व वर्ष के लिए समकक्ष आकड़ों को आवश्यकता अनुसार फिर से संगठित और व्यवस्थित किया गया है |

अग्रायोक अग्रह्मात

# उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2018-2019

क्र. सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. मैं	
1.	प.फा.सं. ए.60011/18/2018 एल.ए.पी. (जे.यू.एस.)तिथि-23.05.2018 पत्र फा.सं.;ए.60011/18/2018- एल.ए.पी.(जे.यू.एस.)तिथि-25.09.2018 पत्र फा.सं.;ए.60011/18/2018- एल.ए.पी.(जे.यू.एस.)तिथि-25.02.2019	50,00,00,000 30,00,00,000 70,00,00,000	यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले वर्ष का अनखर्च बकाया रू.5,63,75,285/- है जिसे मार्जिन में दिए गए विवरण के अनुसार वर्तमान वर्ष में प्राप्त अनुदान रू.150,00,00,000 के साथ जोड़ दिया गया है, रू.56,923,111,.10/- अनखर्च अनुदान वापस प्राप्त किया गया , लागत संग्रहण रू.7500/-, अन्य प्राप्तियां 113750/- और ब्याज आय रू.20,45,126.00 थी , इसका कुल योग रू.1,61,54,64,772.10 है   इस राशी में से रू.1,55,00,00,000.00/- विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में वितरित कर दिए गए और रू.34,22,435/- नालसा के द्वारा अन्य विधिक सहायता कार्यक्रमों में, रू.2099366/- विकेता अग्रिम तथा रू. 5,99,42,971.10 अनखर्च बकाया रह गया है, जो कि बैंक के करंट अकाउंट में पड़ा है
	कुल	150,00,00,000	

प्रमाणित किया जाता है कि हम संतुष्ट हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि का अनुमोदन किया गया था, उनका पालन किया गया है और दी गयी राशि का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए वह दी गयी थी |

#### जाँच प्रक्रिया के प्रकार:-

- 1. लेखा परीक्षित खाते
- 2. मूल वोउचार
- 3. मूल उपयोगिता प्रमाणपत्र

आलोक अध्याल

# प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रदत अनुदान का विवरण

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरणों के नाम	अनुदान राशि रुपयों में
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हैदराबाद	400,00,000.00
2.	आसाम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गोहाटी	600,00,000.00
3.	बिहार राज्य सेवा प्राधिकरण, पटना	250,00,000.00
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	800,00,000.00
5.	दिल्ली राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण, नई दिल्ली -110001.	1000,00,000.00
6.	गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अहमदाबाद	350,00,000.00
7.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	400,00,000.00
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	850,00,000.00
9.	जम्मु-काश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीनगर	450,00,000.00
10.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची	700,00,000.00
11.	कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बंगलौर	850,00,000.00
12.	केरल राज्य विधिक सेवा, कोच्ची	1050,00,000.00
13.	महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंबई	600,00,000.00
14.	मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लम्फेलपेट	350,00,000.00
15,	मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,आइजोल	400,00,000.00
16.	नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कोहिमा	300,00,000.00
17.	उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कटक	700,00,000.00
18.	पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस.नगर, मोहाली	950,00,000.00
19.	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	1800,00,000.00
20.	सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गंगटोक	7-1111111111111111111111111111111111111
21.	तमिलनाड् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,चेन्नई	600,00,000.00
22.	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अगरतला	300,00,000.00
23.	के.शा.प्र. पुददुचेरी विधिक सेवा प्राधिकरण, पुदुचेरी	
24.	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ	100,00,000.00
25.	उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,मैनीताल	200,00,000.00
26.	पश्चिमी बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कलकत्ता	900,00,000.00
27.	तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हैदराबाद	200,00,000.00
28.	मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	300,00,000.00
29.	के. शा. प्र. चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़	75-116-75-114-115-11-115-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
30.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ईटानगर	100,00,000.00
22.73	कुन योग	15500,00,000.00

आसीय अप्रवास

# वर्षांत 31 मार्च 2019 के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(2) के संदर्भित, कंट्रोलर एवं आडिटर जनरल (दायित्तव, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2), के तहत वर्षांत 31 मार्च 2019 तक के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संलग्न लेखा तथा आय और व्यय लेखा / प्राप्तियां और भुगतान लेखा का ऑडिट किया है | ये वित्तीय लेखा विवरण प्रस्तुत करना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व है | हमारा दायित्व इन लेखा विवरणों पर अपने ऑडिट पर आधारित सुझाव देना है |

- इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक महालेखानिरीक्षक द्वारा लेखाकरण उपचार के वर्गीकरण, बेहतरीन लेखाकरण अभ्यासों की निश्चितता, लेखा मानकों और प्रकाशन-नियमन के बारे में ही प्रतिक्रियाएं दी गई हैं | कानूनी नियम कायदों (अनुशासन व नियमितता) तथा निपुणता और कार्य प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखकर वित्तीय विनियमनों पर आडिट निरीक्षण किया गया है, इनमें से कुछ, निरीक्षण रिपोर्टों / भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की अलग ऑडिट रिपोर्ट से भी प्रेरित हो सकते हैं |
- 3. हमने अपना ऑडिट, भारत में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले ऑडिट मानदंडों के अनुसार किया है | इन स्तरों के अनुसार हम इस विश्वसमीय आश्वासन को प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि वित्तीय लेखा विवरण बिना किसी धांधली के प्रस्तुत किया गया हो | किसी ऑडिट में राशि को मदद करने वाले परीक्षण और लेखा विवरणों के प्रकाशन के आधार पर जाँच होती है | किसी ऑडिट में समग्र वित्तीय लेखा विवरणों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ प्रयुक्त लेखाकरण के सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्तवपूर्ण अनुमानों को भी शामिल किया जाता है | हमें विश्वास है कि हमारा ऑडिट हमारे सुझावों के लिए विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा |
- अपने ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:-
- (1) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण हासिल कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस ऑडिट के लिए जरुरी थे।
- (2) इस रिपोर्ट से जुड़े प्रस्तुत वित्तीय स्थिति वितरण, आय और व्यय लेखा / प्राप्ति और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है ।
- (3) हमारी राय में, एकाउंट्स की समुचित पुस्तकों और अन्य सम्बद्ध रेकॉडों का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा समुचित रख रखाव किया गया है, इन पुस्तकों की जाँच के बाद ही हम ऐसा कह पाए हैं |
- (4) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :-

#### अ. बैलेंस शीट

#### अ.1. वर्तमान देनदारियां

तत्कालीन 'महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ की अनुसूची 24 के अनुसार नालसा का वित्तीय विवरण खाते के आकस्मिक आधार पर था | ऑडिट जाँच में पाया गया कि नालसा ने कार्यालय आदेश दिनांक दिसंबर 2018 के द्वारा जनवरी 2019 से आगामी एक वर्ष के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है | मार्च 2019 के लिए सलाहकार को रु. 0.27 लाख का भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया | यह भुगतान आय और व्यय खाते में दिखाया गया है और साथ ही शेष राशी के अनुसार बैलेंस शीट में वर्तमान देयता | हालोंकि यह देखा गया है कि भुगतान को आय और व्यय खाते के व्यय पक्ष और बैलेंस शीट में वर्तमान देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है | इस प्रकार व्यय और वर्तमान देयता की न्युनोक्ति ( कम बयानी) हुई है |

#### अ.2. अचल संपत्तियां

- 3.2.1 नालसा ने जनवरी 2019 में रु. 0.91 लाख का एक सॉफ्टवेयर तथा रु. 0.50 लाख के हाथ से पकड़े जाने वाले दो भाषण माइक कुल रु.1.41 लाख ( रु. 0.91 + रु. 0.50 ) में खरीदे हैं जो कि अचल संपत्ति में नहीं जोड़े गए हैं | इस प्रकार अचल संपत्ति की न्युनोक्ति (कम बयानी) हुई है |
- 31.2.2. नालसा ने 1995 में अपनी स्थापना के बाद से भवन का मूल्य रु. 23.73 ही खाते में दिखाया है | मूल्य हास सूची के अनुसार 31.03.2019 को भवन का मूल्य 0.71 लाख दिखाया गया है | हालोंकि यह देखा गया है कि उक्त भवन सरकारी है और नालसा से सम्बन्धित नहीं था | इससे अचल संपित्तियों के मूल्य के विषय में अतिकथन हुआ है | तथा इस ईमारत पर 10% की दर से रु. 0.08 लाख का मूल्यहास शुल्क कार्पस फण्ड से काटा जाता है | इस प्रकार कार्पस फण्ड में रु. 0.08 लाख की न्युनोक्ति (कम बयानी) हुई है | यह पिछले ऑडिट में भी बताया गया था |

#### अन्दान सहायता

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वर्ष 2018-19 के दौरान विधि एवं न्याय मंत्रालय से रु. 150 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई | रु. 5.52 करोड़ की राशि पिछले वर्ष का अव्ययित बकाया था | वास्तविक बकाया राशि रु.5.64 करोड़ थी | रु॰ 0.12 करोड़ का अंतर वर्ष 2017-18 के उपयोग प्रमाणपत्र में किये गए दावे के अनुसार पिछले वर्षों के बैलेंस समायोजन की वजह से था | रु. 0.21 करोड़ की आंतरिक आय हुई (माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई लागत उगाही तथा ब्याज से हुई आय थी), इसके अतिरिक्त रु. 5.69 करोड़ की राशि राज्यों से अव्ययित अनुदान बकाया के रूप में प्राप्त हुई | कुल 161.54 करोड़ रूपए ( रु. 150 + 5.64 + 0.21 +5.69 करोड़ ) के प्राप्य फण्ड में से नालसा ने मात्र 155.55 करोड़ रूपए खर्च किये तथा वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2019 को, 5.99 करोड़ रूपए ( रु.161.54-155.55 करोड़) अव्ययित अतिशेष के रूप में बाकी बचे हुए थे |

- 5. उपरोक्त कार्यवाही के पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के आधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियों व भुगतान खातों की पुस्तकों के साथ समझौता है |
- 6. हमारी राय में और हमारी जानकारी व हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार उपरोक्त वित्त्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और उपरोक्त महत्त्वपूर्ण मामलों के आधीन हैं तथा इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में दिए गए अन्य मामले हैं जो भारत में अमतौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
  - अ. क्योंकि यह नालसा के मामलों की स्थिति की 31.3.17 तक की बैलेंस शीट से सम्बन्धित है |
  - ब. क्योंकि यह सम्बन्धित वर्ष की अतिरिक्त आय और व्यय से सम्बन्धित है |

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए

डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट

(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 02.09.2019

#### ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक

#### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

कोई आंतरिक लेखा परीक्षण विभाग या सेल नहीं है | नालसा का आंतरिक लेखा परीक्षण खातों के मुख्य नियंत्रक, विधि एवं न्याय मंत्रालय दवा किया गया है| अन्त्रिल लेखा परीक्षण 2017-18 तक ही किया गया है |

#### 2. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता :-

निम्निलल्हित कारणों की वजह से आन्त्रिल नियंत्रण पर्याप्त नहीं था :-

- गं) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, गैर सरकारी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों इत्यादि को सहायता अनुदान दिया | रु.5202 लाख की राशि के सम्बन्ध में उपयोगीकरण प्रमाणपत्र 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और 29 गैर सरकारी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से अभी प्राप्त होने हैं जो कि वर्ष 2008-09 से लंबित हैं
- अनुस्ची 24 के बिन्दु 8 के अनुसार सहायता अनुदान राशि अनुशास्ति से अधिक मात्र में अनुदान ग्राहियों को दी गयी क्योंकि राष्ट्रीय विधिक कोष के पास काफी मात्रा में धन राशि पिछले वर्ष के अव्ययित बकाया के रूप में बची हुई थीं |
- आं) अनुदान जारी करने की लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि 155 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया गया | 73 करोड़ रु. की धनराशि जो कि अव्ययित अतिशेष के रूप में रखी जा रही थी उसे वर्ष 2018-19 में स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की गई | न तो अव्ययित अतिशेष को वापिस साँपा गया न ही उसे भविष्य में की गई रिलीज़ में शामिल किया गया | अंततः 73 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि को वर्ष 2018-19 में रिलीज़ किया गया |
- 31.03.2019 को आंतरिक ऑडिट टिप्पणियों से सम्बन्धित 18 पैराग्राफ्स तथा बाह्य ऑडिट से सम्बन्धित 11 पैराग्राफ्स सन 1995-96 के समय से निपटन के लिए लंबित पड़े पाए गए |
- v) शेष परिक्षण को मेन्टेन नहीं किया गया था |

#### 3. संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :-

अनुदानों से निर्मित अचल संपत्तियाँ का वर्ष 2018-19 के लिए भौतिक सत्यापन 24.05.2019 को किया गया इसमें कोई विसंगति नहीं देखी गयी |

#### 4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :-

अनुदान से किसी प्रकार की पुस्तकें, स्टेशनरी अथवा उपभोज्य सामग्री की खरीद नहीं की गई |

# 5. बकाए के भुगतान में नियमितता :-

लेखानुसार 31.03.2019 को किसी प्रकार के वैधानिक बकाया का कोई भुगतान करना शेष नहीं था।

# संक्षिप्त शब्द

डी.एल.एस.एजिला विधिक सेवा प्राधिकरण
एच.सी.एल.एस.सीउच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
नालसाराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
पी.एल.वीपैरा विधिक स्वयंसेवक
एस.सी.एल.एस.सीसर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
एस.एल.एस.एराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
टी.एल.एस.सीतालुका विधिक सेवा समिति

# विषय सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	हमारे विषय में	
	• परिचय	4
	• विजन और मिशन	5
	<ul> <li>विधिक सेवा प्राधिकरणौ/ समितियों का संगठनात्मक चार्ट</li> </ul>	6
	• देश भर में हमारी मौजूदगी	7
2.	वर्ष एक नज़र में	
	2.1 कानूनी सहायता और सलाह	8
	2.2 विधिक जागरुकता कार्यक्रम	9
	2.3 लोक अदालतें	10
	2.4 मध्यस्थता	11
	2.5 सफलता गाथाएं	12
	2.6 विधिक सेवा क्लिनिक्स	13
	2.7 नई पहल	
	2.7(1) विधिक सेवाएँ/ सशक्तिकरण शिविर	14-15
	2.7(2) पीड़ित मुआवजा योजना	16-17
	2.7(3) अभियान	
	(i) महिला कैदियों तथा जेलों में उनके साथ रह रहे बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं बढ़ाना	18-20
	(ii) ' डोर टू डोर ' अभियान	21-24
	(iii) सजायापता कैदियों के लिए अभियान	25-26
	2.7(4) स्कूलों में कानूनी साक्षरता क्लब्स	26
	2.7(5) विधिक सेवा क्लिनिक्स का डिजिटलीकरण	27
	2.7(6) दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय और उस तक पहुंचने के उपाय	27-28
3.	विधि सेवा संस्थानों को मजबूत बनाना	
	3.1 गोल मेज(राउंड टेबल) मंत्रणा	28-30
	3.2 स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श	30
	3.3 सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक	
	3.3(1) 29 वी सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक	31
	3.3.(2) 30 वी सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक	32
	3.4 फ्रंट कार्यालयों को बेहतर करना	33
	3.5 पैनल अधिवक्ताओं एवम पैरा विधिक स्वयंसेवको का योग्यता प्रशिक्षण	34
4.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की अनोखी पहल	35-39

5.	अन्य विशिष्टताएं	
	5.1 यू.एन.ओ.डी.सी , वियना में विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लेना	39-40
	5.2 आपदा पीड़ितों को कानूनी सहायता	
	5.3 एक बेहतर समाज के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवकों का हस्तक्षेप	42-43
	5.4 पैरा विधिक स्वयंसेवकों की सफलता गाथायें	43-46
	5.5 प्रशस्ति समारोह	47-49
6.	वित्त	50
7.	आगे का पथ	51

# परिचय

न्यायालयों में किसी व्यक्ति की पहुँच में सुधार या कानूनी प्रतिनिधित्व की गारंटी देने की तुलना में बहुत अधिक है 'न्याय तक पहुँच', ये यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी और न्यायिक परिणाम निष्पक्ष और न्यायसंगत हों। जहाँ सभी नागरिकों की लिंग, जाति, धर्म, आयु, श्रेणी व पंथ के आधार पर न्याय तक पंहुच निरपेक्ष नहीं होगी वहां लोकतान्त्रिक शासन को कम/ दुर्बल आंका गया है | न्याय तक पहुंच की कमी भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सीमित करके लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता को सीमित करती है।

भारतीय कानूनी प्रणाली का निर्माण करने वाली मूलभूत विशेषताओं में से एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 'न्याय' सुनिश्चित करना है, जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समान नागरिकता की भावना को पुनर्स्थापित करती है। विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने में , विधिक सहायता सेवाओं की उपलब्धता और उन तक कैसे पंहुचा जाए के बारे में सार्वजनिक जागरूकता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गरीब और हाशिए की आबादी के लिए। वित्तीय संसाधनों की कमी, न्याय प्रणाली का उपयोग करने के बारे में जागरूकता की कमी और न्याय प्रणाली के संपर्क में आने के लिए लंबी यात्रा की दूरी जैसे कारणों के कारण कमजोर समूह खुद को चुनौतीपूर्ण और जटिल परिस्थितियों में पाते हैं।

इस छोर तक पहुँचने के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में एक सा नेटवर्क स्थापित करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1987को अधिनियमित किया गया । यह अधिनियम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा ) के नाम से एक शीर्ष संस्था की स्थापना का प्रावधान है, जिसका कर्तव्य है लोगों को कानूनी सेवा संस्थानों के अस्तित्व के बारे में जागरूक करना और गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना । कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाने के साथ-साथ विविध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बहिष्कृत समूह के लिए सामाजिक न्याय का मुकदमा दाखिल करने का कार्य करता है । विधिक सेवा संस्थानों का तन्त्र राज्य, जिला एवम तालुका स्तर पर विद्यमान है ।


# विज़न (दृष्टिकोण)

हाशिये के और वंचित वर्ग के लोगों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए एक समावेशी न्याय प्रणाली को बढावा देना ।

# मिशन


हाशिए के और बहिष्कृत समूहों को प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी साक्षरता और जागरूकता प्रदान करना और कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों और हकदार लाभार्थियों के बीच के अंतर को भरते हुए उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाना ।

विवादों का अनौपचारिक, त्वरित, सस्ता और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए तथा अतिभारित न्यायपालिका के न्याय निर्णय करने के भार को कम करने के लिए लोक अदालतों और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की प्रणाली को मजबूत करना ।





# देश भर में हमारी मौजूदगी




- √ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
- √ सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC)
- √ 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs)
- √ 36 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (HCLSCs)
- √ 665 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs)
- √ 2254 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (TLSCs)

# वर्ष एक नजर में कान्नी सहायता और सलाह:

निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित रहा कि कानूनी सहायता चाहने वालों को उत्तम कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाए। नालसा (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010, में संशोधन किये गए। संशोधित अधिनियामानुसार विधिक सहायता अधिवक्ताओं का चयन करते समय क्षमता ,सत्यिनष्ठा, उपयुक्तता और तजुर्बे जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि एक वरिष्ठ वकील को चयनित करने के लिए, विधिक सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष अपनी और से किसी भी वकील का चयन कर सकते हैं। निगरानी समितियों को निगरानी एवं सलाह देने वाली समिति में रूपांतरित किया गया। 14,755,77 व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष के दौरान कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 वर्ष के दौरान कानूनी सहायता और सलाह के लाभार्थी



### 2.2 विधिक जागरूकता कार्यक्रम

कानून का ज्ञान शक्ति है और सशक्तिकरण में मदद करती है । भारत को ,दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, आवश्कता है अधिकारों की ज्ञानकारी के विषय में ज्ञागरूकता पैदा करने की ताकि लोग लोकतंत्र और कानून के शासन के सच्चे निर्देशों के अनुरूप रहें।

कानूनी निरक्षरता ऐसे लोगों के लिए न्याय तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं में से एक है जो केंद्र और राज्य सरकारों के कल्याणकारी कानूनों और योजनाओं के तहत अपने हकों के बारे में नहीं जानते हैं | लोगों को कानून के तहत उनके हकों के साथसाथ -उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में विभिन्न विषयों जैसे की महिला कानून, बाल श्रम कानून, मौलिक अधिकारों और भारत के संविधान में निहित कर्तव्यों आदि पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।



मजदूरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित	वितीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन कार्यक्रमों
कार्यक्रम	में उपस्थित लोग
176546	19750767

# 2.3<u>लोक अदालत</u>

लोक अदालतों ने भारत की न्याय वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है। एक-सहमित सिद्धांत पर आधारित , लोक अदालत मुकदमेबाजी में सम्मिलित दोनों पार्टियों को दुश्मनी के हठ से बचने में मदद करती है। यह दावेदारों के बीच सौहार्द और शांति की भावना को प्रभावित कर सकती है। यह तंत्र, वादियों को चिंता, कड़वाहट, मुकदमेबाजी के खर्च और लंबी मुकदमेबाजी से बचाती है।



लोक अदालतों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर सम्बंधित विधिक सेवा संस्थानों द्वारा समय समय पर किया जाता है |नालसा के तत्वावधान और अवधारणा के तहत, देश भर में वितीय वर्ष के दौरान पाँच राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गईं| सुलझाये गए मामलों में NI अधिनियम, बैंक रिकवरी के मामले, श्रम विवाद के मामले, सेवा मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, मोटर दुर्घटना आदि से संबंधित मामले शामिल हैं।

#### वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदर्शन

	मुकदमेबाजी से पूर्व सुनझाये गए मामले	सुलझाये गए लंबित मामले	कुल सुलझाये गए मामले
लोक अदालत (राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा अन्य)	375130	672525	1047655
राष्ट्रीय लोक अदालत	3283466	2612169	5895635
	3658596	3284694	6943290

लोक अदालतों की सफलता के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्येश्य से, लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाये गए मामलो पर 'अकेले नहीं है आप' के नाम से 21 एपिसोड बनाए गए। ये एपिसोड

दूरदर्शन पर प्रसारित किये गए थे और इन्हें यू ट्र्यूब के साथ साथ नालसा की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।



#### 2.4 मध्यस्थता



इस वर्ष मध्यस्थता को बढ़ावा देना ध्यान केन्द्रित कार्यों में से एक कार्य रहा| विशेषतया: द कमिशंयल कोर्ट्स, कमिशंयल डिवीज़न एंड कमिशंयल अपीलेट डिवीज़न ऑफ़ हाई कोर्ट्स (अमेंडमेंट) एक्ट ,2018 संशोधन, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और दिनांक 20.08.2018 को इसे माननीय राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हुई| इसके अनुसार व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम की धारा (1) 2 सी के अंतर्गत आने वाले संभी विवादों के लिए " कमिशंयल डिस्प्यूट " के तहत जो तीन लाख या उससे अधिक रूपये की मूल्य परिधि में आते है तथा जो अंतरिम राहत हेतु विचारणीय न हो, ऐसे मामलों में अभियोगी के लिए प्री -इंस्टीट्शन मध्यस्थता का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है , जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विधिक सेवा संस्थान, न्यायालय में चल रहे मामलों में मध्यस्थता की सुविधा भी प्रदान करते हैं।



## 2.5 कुछ सफलता गाथाएं

## 34 साल पुराने विवाद सुलझ गए

34 वर्ष पुराना एक मामला जो कि "जहाज कोठी" मामले के नाम से जाना जाता था, तथा सिविल जज , सीनियर डिविज़न, रांची की अदालत में लंबित था, मध्यथता के माध्यम से सुलझाया गया । तीन एकड़ 9.5 दशमलव भूमि पर बनी एक बहुमंजिला ईमारत जो कि 'जहाज कोठी' के नाम से जानी जाती थी पर दो मुकद्दमें फाइल किए गए थे । मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे कि-रिया (बदला हुआ नाम) राम नाथ (बदला हुआ नाम) की वंशज थी जिसने यह ज़मीन एक श्याम (बदला हुआ नाम) नाम के व्यक्ति से 1919 में ली थी, उसके बाद वास्तुकार अरुण (बदला हुआ नाम) जिसे यह ज़मीन अपने पिता रामनाथ से विरासत में मिली थी ने इस ज़मीन पर जहाज़ की आकृति की एक ईमारत बनाई, जिस कारण इसे "जहाज़ कोठी" के नाम से जाना जाता था । परन्तु जब 1982 में अरुण इंग्लैंड चला गया तो तो कई अतिक्रमणकारियों ने जमीन हइपने की कोशिश की ।

इस मामले को मध्यस्थता केंद्र, रांची को भेजा गया और उसके बाद यह मामला मध्यस्थ श्री एल.के.गिरी को दोनों पार्टियों के बीच उचित मध्यस्थता के लिए सौंप दिया गया। | लंबे समय तक 9 बैठकें करने के पश्चात यह मामला सुलझ सका | दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि 5500 स्केयर फुट ज़मीन प्रतिवादी को उसके हिस्से स्वरुप दे दी जाएगी तथा वादी अपने हिस्से की 500 स्केयर फुट ज़मीन की कीमत के रूप में रुपये 25 लाख की धन राशी प्रतिवादियों को दिए जाने के लिए कोर्ट में जमा कराएगी | मध्यस्थता में हुए समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामले का निस्तारण किया और अंततः डिक्री पारित कर दी गई |

# सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया सिविल मामला

संक्षिप्त में, कन्तातोली पुलिस बाज़ार, रांची में स्थित मंदिर की ज़मीन विवादित थी तथा दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए थे |

मंदिर समिति के सदस्य जो एक पक्ष से सम्बंधित थे उनके द्वारा दूसरे पक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाया गया कि ज़मीन जिस पर मंदिर बना हुआ था अतिक्रमण की गई थी तथा उसका कब्ज़ा अवैध रूप से लिया गया था | दिनांक 10 मार्च, 2018 को जब उस ज़मीन की मपाई की जा रही थी उस समय एक तकरार हुई | दोनों पक्षों के सदस्य बुरी तरह से ज़ख्मी हुए, तदुपरांत दोनों पक्षों के द्वारा लोअर बाज़ार पुलिस स्टेशन, में एक मामला तथा एक काउंटर मामला दर्ज़ कराया गया |

न्यायलय ने मामला मध्यथता केंद्र, रांची को भेज दिया | मौका सत्यापन व मध्यस्थता की १२ बैठकों के पश्चात् दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद का यह मामला सोहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया । मामले को मध्यस्थ्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका प्रशंसनीय थी ।

#### 2.6 विधिक सेवा क्लिनिक्स

i) जेलों में : देश भर में जेल विधिक सेवा क्लिनिक्स, पैरा विधिक स्वंय सेवकों (पी.एल.वी'स') तथा पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा चलाये जाते हैं | कैदियों की आवश्यकतानुसार पैनल अधिवक्ता इन क्लिनिक्स में सप्ताह में 3 से 5 बार तक जाते हैं | वर्ष 2018 में, कुछ दोषियों को भी पी.एल.वी'स' के रूप में प्रशिक्षित किया गया तथा उन्होंने इन जेल विधिक सेवा क्लिनिक्स में कार्य किया |

354449 कैदी जेल विधिक सेवा क्लिनिक्स में आए | उनमें से 2,74,433 कैदियों को विधिक सेवाएं, विधिक सलाह तथा आवेदन के प्रारूप तैयार करने के रूप में प्रदान की गई

ii) गाँव में और समुदायों में: जेल विधिक सहायता क्लिनिक्स मुख्य रूप से कैदियों के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं जहाँ से वे अपने केसों की स्थिति, अगली तारीख आदि के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

	कुत विधिक सेवा बत्तीनिक	इन क्तीनिस में जाने वासे व्यक्तियाँ की संक्या	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कानूनी सहायता प्रदान की गई	
कॉलेज / विश्वविद्यालय	899	61630	44800	
मांवीं	15210	841528	665044	
सामुदायिक केंद्र	1411	164685	131182	
अदासते	1031	166853	131878	
जे जे बी	411	80012	34812	
पूर्वोत्तर के सोगों के लिए	97	9724	3483	
अन्य	3428	201705	153622	
कुल	22,487	15,26,137	11,64,821	

इन विधिक सहायता क्लिनिक्स में विधिक सेवाएं जैसे सलाह, आवेदन पत्रों तथा अभ्यावेदनों के प्रारूप तैयार करने , विभिन्न कल्याण योजनाओं से सम्बंधित फार्मों को भरने आदि के रूप में दी जाती हैं | यह केंद्र विशेषतयः गांवों में छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में समाधान केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं |

#### 2.7 नई पहल

## 2.7 (1) विधिक सेवाएं/ सशक्तिकरण कैम्प



गए कदम । कारगित, जम्मू कश्मीर में आयोजित एक बहुत बड़ा शिविर

नालसा ने विधिक सेवा शिविरों के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है जो सामान्य कानूनी जागरूकता फैलाने के पारंपरिक हष्टिकोण को विदा करता है और जरूरत आधारित विश्लेषण और ध्यान केंद्रित कार्यवाही के आधार पर सच्चे सशक्तीकरण के एक मॉडल की नींव रखता है । मॉड्यूल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है: शिविर से पूर्व , शिविर गतिविधियों के दौरान और शिविर गतिविधियों के बाद उठाये

शिविर से पूर्व के कार्यकलाप	शिविर के दौरान किए गए कार्यकलाप	शिविरोपरांत किए गए कार्यकलाप
<ul> <li>तिक्षित आबादी की पहचान</li> <li>टीमें बनाना</li> <li>विशिष्ट कल्याण योजनाओं तथा उन्हें कार्यान्वित करने वाले विभागों की पहचान</li> <li>हितधारकों के साथ शिविर पूर्व तैय्यारी बैठकों का आयोजन</li> <li>शिविर के लिए स्थान का चुनाव करना</li> <li>बाहरी टीमों के द्वारा क्षेत्र का दौरा</li> <li>विधिं सेवा शिविरों के आयोजन का प्रचार</li> <li>सरकारी विभागों /मंत्रालयों के द्वारा प्रस्तुतकर्ताओं की पहचान</li> <li>शिविरों के भोतिक ले आउट तैयार करना</li> </ul>	<ul> <li>शिविरों के मूल विषयों के सम्बन्ध में विभागों /मंत्रालयों द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति</li> <li>लाभार्थियों का वास्तविक समय पंजीकरण</li> <li>गैर सरकारी संगठनों/ टीमों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फार्मों को भरना , उनके साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना तथा उन्हें सम्बंधित विभागों में जमा कराना</li> </ul>	<ul> <li>विभिन्न स्टालों पर की गई गितिविधियों की वर्तनी रिपोर्ट तैयार करना, जैसे कि-विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में कितने फार्म भरे गए वगैरह</li> <li>शिविर के दौरान जमा कराए गए विभिन्न आवेदन पत्रों व फार्मों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई</li> <li>एक हफ्ते के भीतर सभी एजेंसियों, पैनल अधिवक्ताओं और पी एल वी(स) के बिलों का भुगतान ।</li> <li>जिस जगह शिविर आयोजित किया गया था, वहां कचरे आदि को साफ़ करना ।</li> </ul>

वित्तीय वर्ष के दौरान 1354 ऐसे विधिक सेवा/ सशक्तिकरण शिविरों का आयोजन किया गया जिनसे लगभग 31,87,624 लोग लाभान्वित हुए।





जिला सीतामढ़ी, बिहार में आयोजित विधिक सेवा शिविर



पूर्वी खासी हिल्स जिला में आयोजित विधिक सेवा शिविर



पंजाब में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर



विभिन्न विभागों के सहयोग से डालसा अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा विधिक सेवा प्रोग्राम

## 2.7(2) <u>पीड़ित मुआवजा योजना(विक्टिम कंपनसेशन स्कीम</u>) आकर्षण

विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित मॉडल योजनाएं यौन उत्पीइन, जलने और एसिड हमलों के म्आवजा योजनाओं को एसिड हमलों और यहां तक कि पीड़ितों के मामले में, पूर्ण आपराधिक प्रक्रिया कोड की धारा भूण के नुकसान के पीड़ितों के लिए विरूपण के लिए न्यूनतम 357 के तहत लाग् करते हैं। मुआवजा स्लैब देती हैं। यौन मुआवजा 7 लाख रूपये और ये योजनाएं अपराध पीडितों उत्पीडन या एसिड हमलों के बाद अधिकतम 8 लाख रूपये | को राज्य द्वारा मुआवजे के संकट से ग्जरने वाली महिलाओं 50 फीसदी जलने की स्तिथि भगतान की अवधारणा को लाग् के लिए क्रमशः 5 लाख और 7 में मुआवजा 5 लाख रूपये करती हैं। लाख रूपये का मुआवजा स्निश्चित औरऊपरी सीमा 8 लाख रूपये तय की गई है। करती है | वितीय वर्ष के दौरान 16354 राज्य सरकारों दवारा नालसा की अंग या शरीर के किसी आवेदन प्राप्त हए जिसमे तैयार की गई पीड़ित मुआवजा हिस्से के न्कसान के न्यायपालिका के आदेशान्सार योजनाओं को ध्यान में परिणामस्वरूप हुई 80 आये हए मामले भी सम्मिल्लित हए ,अपने राज्य के लिए पीड़ित प्रतिशत स्थायी विकलांगता मुआवजा योजनाओ का प्नर्गठन है | इनमें से 10753 आवेदनों के लिए दो लाख रूपये पर निर्णय लिया गया | करना । मुआवजा और गंभीर वित्तीय वर्ष के दौरान पीडितों शारीरिक चोट के मामले में को करोड़ रुपये का 168.43 दो लाख रुपये का मुआवजा मुआवजा दिया गया | दिया जायेगा अपराध का शिकार होने वाली जीवन हानी या सामूहिक योजना के अनुसार बलात्कार बलात्कार के मामले में न्यूनतम महिलाओं और बच्चों को दिए के कारण गर्भावस्था के 5 लाख रुपये और अधिकतम मामले में, पीड़ित को 3 से 4 जाने वाले म्आवजे के भ्गतान में एकरूपता लाने के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा | लाख रूपये के बीच मुआवजा नालसा ने एक मॉडल योजना बलात्कार या अप्राकृतिक यौन मिलेगा जबकि इस कारण हए तैयार करने हेतु एक समिति हमले के मामले में न्यूनतम गर्भपात या प्रजनन क्षमता में का गठन किया लाख और अधिकतम 7 लाख का कमी के मामलो में म्आवजा

#### वितीय वर्ष के दौरान प्रदर्शन

राशी 2-3 लाख रूपये के

बीच होगी |

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा सीधे प्राप्त आवेदन (ए)	किसी भी न्यायालय द्वारा चिहिनत / निर्देशित आवेदन (बी)	कुल आवेदन (अदालत के आदेशानुसार ) प्राप्त हुए (ए + बी)	निर्णित आवेदन	दिया गया मुआवजा (करोड़ों में)
9413	6941	16354	10753	168.43

म्आवजा दिया जाना |

# पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को दिए गए मुआवज़े के कुछ उदाहरण

डालसा , रांची 'क' (नाम गुप्त रखा गया है) के बचाव में आया जो अपने ससुराल वालों द्वारा एसिड हमले की शिकार हुई | कोई सहारा न मिलने पर पीडिता ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया | अध्यक्ष, डालसा रांची की सहायता से पीडिता को तुरंत रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया |रिम्स में तैनात रांची के पी एल वी ने पीडित को अस्पताल में भर्ती करवाने में , पीड़ित व उसके परिवार को हर तरह की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया।| झारखण्ड पीड़ित मुआवजा अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पीडिता को रु. 3 लाख मुआवज़े के रूप में मिला |



एसिड हमले के २ पीड़ितों 'अ' तथा 'ब' ने डालसा लुधियाना से संपर्क किया | पंजाब व् हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़िता 'अ' को उसके द्वारा अपने इलाज में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की गई | पीड़िता 'ब' को भी पंजाब पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत ३ लाख का मुआवजा दिया गया | इसके अतिरिक्त डालसा लुधियाना की मदद से उनका उपचार भी डी. एम्. सी, लुधियाना द्वारा मुफ्त में किया गया | पंजाब सरकार से पेंशन प्राप्त करने में सहायता के लिए उन्हें पैनल अधिवक्ता तथा पी. एल. वी. भी मुहैय्या कराये गए|

#### 2.7(3) अभियान

# महिला कैदियों तथा जेलों में उनके साथ रह रहे उनके बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं को बढ़ाना



देश भर के सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने 17 मई 2018 से 10 दिनों तक इस अभियान को चलाया | अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला कैदियों को उनके अधिकारों और विधिक सेवा संस्थानों की सेवाओं के बारे में जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना था। महिला कैदी, गर्भवती कैदी, कैदी जिनके बच्चे जेलों में उनके साथ थे, तथा ऐसी महिला कैदी जो अवसाद या अन्य किसी बीमारी से ग्रिसत हों , इस अभियान का केंद्र बिंदु थे | इस अभियान के माध्यम से संबोधित किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे थे महिला कैदियों और उनके आश्रित बच्चों के लिए कानूनी सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजन सुविधाएं | यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए गए थे कि महिला कैदियों के बच्चों के पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे तो दस्तावेजों को तैयार करने हेत् भी सहायता प्रदान की गई थी।

#### अभियान का उद्देश्य

- ✓ महिला कैदियों को उनके अधिकारों तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में जागरूक करना ताकि उनकी vulnerability( असमानताये) कम हो सके |
- गर्भवती महिलाओं के अधिकारों को स्रक्षित करना |
- ✓ महिला अपराधियों का पैरा विधिक स्वंयसेवियों के रूप में चयन |
- ✓ अवसाद तथा मानसिक रोगों से पीड़ित महिला कैदियों का उपचार सुनिश्चित करना |

- ✓ शैक्षणिक तथा व्यवसायिक कौशल तक पंहुच की सुविधा |
- बच्चों की स्वास्थ्य, शैक्षणिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना।
- ✓ जेलों में अपनी माताओं के साथ रहने वाले बच्चों के पहचान दस्तावेज़ों को तैयार करने के लिए सुविधा प्रदान करना |

#### अभियान के लिए रणनीति

- पैनल वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, महिला डॉक्टरों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर टीमें बनाना |
- महिला कैदियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की पहचान और नियुक्ति ।
- महिला कैदी के प्रत्येक मामले का विवरण और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना ।
- अभियान के उद्देश्यों व गतिविधियों के बारे में टीम के सदस्यों को जानकारी देना |
- डालसा द्वारा शिविरों की व्यवस्था और दौरे के लिए कार्यक्रम बनाना।
- टीम के सदस्यों द्वारा जेलों का दौरा किया जाना, महिला कैदियों से बातचीत करना और अभियान के तहत गतिविधियों को अंजाम देना |



## अभियान की सफलता गाथाएं

जेल में बंद माता-पिता अपने बच्चों से मिले :- 'अ' आन्ध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में विचाराधीन कैदी, 11.05.18 से रिमांड पर थी | उसके पित 'ब' को भी उसी अपराध में गिरफ्तार किया गया तथा वह भी रिमांड पर था | अभियान के दौरान टीम के सदस्यों ने उस से बातचीत की तथा पाया कि दम्पित के तीन छोटे बच्चे थे, जिनमें 'क' की आयु 10 वर्ष, 'ख' की 8 वर्ष तथा 'ग' की आयु मात्र 4 वर्ष थी | क्योंकि दोनों ही कैद में थे अतः उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था तथा उसे उनका कोई अता-पता नहीं था | उसने टीम के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उसके बच्चों को ढूँढने में उसकी मदद करें | टीम के सदस्यों ने तुरंत प्रकासम जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव को सूचित किया, जिन्होंने सहायता के लिए तत्परता से कदम उठाये | सचिव ने राज्य के सम्बंधित विभाग के साथ साथ स्थानीय एन. जी. ओ. से भी तालमेल किया | बच्चों के पते की पुष्टि की गई और उन बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया तथा एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया |

62 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बचाया गया :- एक पुरानी महिला कैदी 'डी' जिसकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, आसाम के जिला शोणितपुर की ज़िला जेल बिस्वनाथ चारिआली में रहती हुई पाई गयी | वह अपने पित के कत्ल के केस में अभियुक्त थी | दल के सदस्यों ने उसका साक्षात्कार किया तथा पाया कि वह चिकित्सकीय रूप से बीमार थी | डॉक्टरों के दल ने उसका परीक्षण किया तथा पाया कि उसका रक्त चाप बहुत अधिक था | इसके तुरंत बाद उसको दवाई दी गयी | डाक्टरों द्वारा कैदी की समय पर जाँच ने उसकी तबियत गिरने से बचा लिया गया | भले ही जेल में प्रवेश के समय उसकी सामान्य स्वास्थ्य जाँच की गयी थी, परन्तु तदुपरांत कोई नियमित जाँच नहीं की गयी | उक्त जिला जेल में स्थाई डॉक्टर का आभाव था | अतः कैदियों की रोज़मर्रा की जाँच संभव नहीं थी | चिकित्सा शिविर

का आयोजन करने वाला अभियान सभी कैदियों के लिए एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में आया, जहाँ कैदी ' डी' की जाँच की गई और उसे बचाया गया |

कक्षा 9 की सड़की के अविष्य को आकार दिया गया:- आरोपी महिला कैदी 'एम' बिहार की अरिया जिला जेल में 22.02.2017 से हिरासत में है | वह कक्षा 9 की छात्र है तथा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है | अभियान के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सह सेवानिवृत अध्यापक 'ऍफ़' ने 'एम्' को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री देकर आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया तथा जिला शिक्षा अधिकारी, अरारिया ने भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा के लिए उसका पंजीकरण कराने का वादा किया | उसने अभियान में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई तथा उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अरारिया के तहत उसकी साथी महिला जेल कैदियों को कानूनी सेवाएं प्रदान कराने के लिए पैरा विधिक स्वंयं सेवक के रूप में प्रशिक्षित भी किया गया |

बेहतरी के लिए जीवन में बदलाव :- अभियान के दौरान एक विचाराधीन कैदी जिस पर IPC की कुछ धाराओं के तहत आरोप लगाये गए थे ने बताया कि जेल में आयोजित किये गए प्रेरक अभियानों की वजह से वह जेल में अपना समय बिताने के दौरान आगे की पढ़ाई करना चाहते है | अभियान के बारे में बात करते हुए उसने इस बात की प्रशंसा की कि जो सुविधाएं प्राप्त करना पहले मुश्किल था वो अब दरवाजे पर प्रदान करा दी जाती हैं | इस के अतिरिक्त उसने बताया कि चिकित्सा सुविधाएँ भी काफ़ी अच्छी हैं, आँखों, दांतों व स्त्री रोगों की अच्छे डाक्टरों द्वारा जांच की जाती है | उसने अहमदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति जेलों में इस प्रकार के कैम्पों का आयोजन करने के लिए आभार प्रकट किया जिनसे जेल प्रशासन विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता से कैदियों को उपलब्ध महिला अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित हुआ |



#### अभियान के बारे में

नालसा ने विधिक सेवा प्राधिकरणों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के बारे में बताने और हाशिए वाले वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए, वितीय वर्ष के दौरान ' डोर टू डोर अभियान' तैयार करके उसको देश भर में चलाया। मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में



जागरूकता समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों का दावा करने और न्याय वितरण प्रणाली से संपर्क करने के लिए सशक्त बनाएगी ।

#### अभियान के उद्देश्य

- ✓ विधिक सेवा संस्थानों के अस्तित्व और मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों को जागरूक करना
- ✓ उन्हें विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट कार्यालयों और कानूनी सहायता हेल्प लाइन नंबरों के बारे में जागरूक करना |
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें कानूनी सहायता की आवश्यकता है लेकिन आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण न्याय वितरण प्रणाली का सहारा नहीं लिया है।



#### अभियान की रणनीति

- पैनल अधिवक्ताओं की अगुवाई में पैरा विधिक स्वयं सेवकों की टीमों का गठन |
- टीमों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराना और उन्हें विधिक सहायता से सम्बंधित साहित्य जैसे की पर्चे , विवरण पुस्तिका एवम पुस्तिकाएं इत्यादि सौंपना।
- दूर दराज के गाँव जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए है, प्रवासी मजदूरों
   की बस्तियों और कॉलोनियो और अन्य सम्बंधित क्षेत्रों की पहचान करना ।
- ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क़ान्नी सहायता से सम्बंधित साहित्य वितरित करना |
- कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें सहायता प्रदान करने
   और न्याय वितरण प्रणाली से संपर्क करने में उनकी मदद करना |



# डोर टू डोर कैंपेन के दौरान ली गई छवियां









# सफलता की कुछ कहानियाँ

#### विधवा की उसके अधिकार प्राप्त करने में मदद की गयी

'एस' की अचानक मृत्यु के कारण, उसकी पत्नी 'एक्स' पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आजीविका का भी कोई स्रोत नहीं था | इन विपरीत परिस्तिथियो में, डोर टू डोर अभियान थोड़े से प्रयासों से, 'एक्स' को अपने पित का अंतिम संस्कार करने के लिए श्रम विभाग, रांची से पाँच हजार रुपये की सहायता मिली | उन्हें पारिवारिक पेंशन योजना के तहत हर महीने 3750 / - की राशि झारखंड सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मिली|



## जमीन के रिकॉर्ड में आई त्रुटी ठीक हुई

डोर टू डोर अभियान के दौरान कांके ब्लाक के अंतर्गत गाँव गाभि के श्री एम्, डोर टू डोर अभियान दल के सम्पर्क में आये | श्री 'एम' ने उन्हें एक प्रार्थनापत्र दिया और प्रार्थना की कि उनके भूमि रिकॉर्ड सी. ओ. कार्यालय में गलत तरीके से सूचीबद्ध है उसमे मौजूद त्रुटियों को ठीक किया जाए।

उक्त आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम, पैरा कानूनी स्वयंसेवक और पैनल अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात, उन त्रुटियों को हटवाने में वादी की सहायता की | त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्कल अधिकारी, कांके के समक्ष एक ताज़ा आवेदन पत्र दायर किया गया, तदनुसार टीम के प्रयत्नों से उन त्रुटियों को दूर किया जा सका |

### (iii) <u>सजायाफ्ता मुजरिमों के लिए अभियान</u> अभियान के विषय में

यह अखिल भारतीय अभियान सजायाफ्ता मुजिरमों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था जैसे कि क़ानूनी जानकारी की कमी ,अपील का अधिकार और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता, मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता , वकीलों की नियुक्ति में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए , उनकी अपीलों, जमानत आवेदनों की स्थिति , एसएलपी के के बारे में जानकारी की कमी, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के सामने उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ बातचीत न हो पाना ,पैरोल, फरलो , क्षमा आदि की जानकारी और इनकी प्रक्रियाये के बारे में जानकारी आदि का आभाव होना |



#### अभियान के उद्देश्य

- ✓ सजायाफ्ता मुजिरमों की अपील के अधिकारों को सुरक्षित करना |
- ✓ यह सुनिश्चित करना कि उनके कारावास की अविध, उनके दी गई सजा अविध से अधिक अथवा रैमिशन्न के अविध से अधिक न जाए |
- √ सजायाफ्ता मुजिरमों की पैरोल, फरलो और सजा में माफ़ी या कमी के अधिकार सुरक्षित
  करना।

## अभियान की रणनीति

#### स्तर 1:

- प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को सम्मिलित करते हुए टीमो का गठन ।
- प्रत्येक सजायाफ्ता मुजरिम के डेटा का संग्रहण।
- सजायाफ्ता मुजिरमों को मुफ्त विधिक सहायता के बारे में जागरूक करने के लिए जेलों के अंदर जागरूकता शिविरो का आयोजन |
  - दस्तावेजों को एकत्रित करना, उनका अनुवाद और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना।



#### स्तर 2

- उपयुक्त न्यायिक फोरम में अपीलों/ एसएलपी को दाखिल करना |
- प्रत्येक दोषी के डेटा को रखना और अपडेट करना.
- कानूनी सहायता अधिवक्ताओं का दोषियों से बातचीत करना
- ऐसे मामलों की पहचान करना जहाँ कैदियों को उनके कारावास की अविध से अधिक रखा गया
   है।
  - अनुवर्ती कार्यवाही करना |

#### अभियान के परिणाम

- 99284 दोषियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया।
- √ 528 आवेदन उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमिति को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर
  करने के लिए भेजे गए |
- 267 आवेदन सर्वोच्च न्याययालय विधिक सेवा समिति को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील/एसएलपी दायर करने के लिए भेजे गए |

## 2.7(4) स्कूलों में कानूनी साक्षरता क्लब:

न्याय तक पहुँच के समान अवसर के सामान्य लक्ष्य को साकार करने की ओर, नालसा ने बच्चों को अधिकार जागरूकता और कानूनी साक्षरता से लैस करने का प्रयास किया है | इस सशक्त भावी पीढ़ी के विजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में कानूनी साक्षरता क्लब खोले गए वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान, देश भर में 4328 लीगल लिटरेसी क्लब खोले गए. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रत्येक जिले में कम से कम 5 कानूनी साक्षरता क्लब खोलने का लक्ष्य दिया गया था।





## 2.7(5) विधिक सेवा क्लीनिक का डिजिटलीकरण:

प्रभावी कानूनी सेवाओं को देने के उद्देश्य से, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना आवश्यक है और उसी के मद्देनजर, जेलों में कई विधिक सेवा क्लीनिकों को डिजिटाइज्ड किया गया। डिजिटाइज्ड विधिक सेवा क्लीनिक, कैदियों को सुनवाई की अगली तारीख, जमानत आवेदनों की स्थिति, ट्रायल, अपील आदि के संबंध में शीघ्रता से जानकारी प्रदान करेगा। उपरोक्त से सम्बंधित सभी डेटा जेल विधिक सेवा क्लीनिक में रखा गया है | वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान जेलों में 696 विधिक सेवा क्लीनिकस को डिजिटलाइज्ड किया गया है |



# 2.5(6) दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय और उस तक पहुचने के उपाय

# पृष्ठभूमि और तर्क

दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में बाधा के रूप में कई कारक काम करते हैं | इन कारकों में पृथकतता और न्यायिक संस्थानों से दूरी शामिल है| प्राय: सस्ती और नियमित संचार सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन तक सीमित पहुंच इस दूरी को और बढ़ा देती है |

लेह और कारगिल में प्रारंभिक आधार (पायलट बेसिस) पर एक प्रोजेक्ट की कल्पना की गई है जो लोगों को उच्च न्यायालय में याचिका, अपील, जवाब और प्रतिक्रिया आदि दाखिल करने में सुविधा प्रदान करेगा | यह उम्मीद की जाती है कि यह परियोजना इन दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच और न्यायिक उपायों को एक वास्तविकता बना देगी।

#### <u> उद्देश्य</u>

परियोजना का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च न्यायालयों तक उनकी पहुँच को आसान बनाने के लिए याचिकाएँ और अपील इत्यादि दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना है | वादियों को उनके केसों के बारे में अपडेट करना और उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ उनकी बातचीत की सुविधा प्रदान करना है और जहाँ तक संभव हो टेली और वीडियो संचार सुविधा का उपयोग करना है

#### परिचालन तन्त्र

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट कार्यालय संग्रह काउंटर के रूप में काम करेंगे, जहां वादी उच्च न्यायालय में दाखिल हेतु अपनी अपील, याचिका, जवाब और प्रतिक्रियाएं दस्तावेजों, हलफनामों आदि की प्रतियाँ जमा कर सकेंगे ।
- फ्रंट कार्यालयों में मौजूद रिटेनर वकील भी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं, आवेदनों आदि को प्रारूपित करने में वादियों की मदद कर सकते हैं, यदि वादी इस संबंध में कानूनी सहायता लेना चाहता हो तो |
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के फ्रंट कार्यालय, दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद उन्हें एयर-मेल या किसी अन्य उपलब्ध तीव्र माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट कार्यालय को भेजेंगे

| राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के फाइलिंग काउंटर में दाखिल करेगा |

- किसी प्रकार की तकनीकी आपित्तियों के मामले में, एसएलएसए वादियों की उन आपितयों को हटाने में मदद करेगा। यदि किसी स्थिति में उसी दस्तावेज को वापिस करने की या कुछ नए दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता होती है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे वापस उसी तरह डालसा को भेज सकता है, जो जरुरी मदद करेगा और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे वापस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज देंगा । यह वादियों द्वारा लंबी दूरी की आवाजाही को कम करेगा, जो कभी-कभी यात्रा और आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा ऐसे वादियों के लिए जो अच्छे संपर्क क्षेत्रों में रहते हैं, फोन तथा वीडियों कांफ्रेंसिंग आदि सुविधाओं का उपयोग भी किया जाता है ताकि वे अपने मामलों के संबंध में अपने वकीलों से बातचीत कर सकें |
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर्याप्त रूप से परियोजना का प्रचार करेगा, ताकि लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके।

# 3. विधिक सेवा संस्थानों को मजबूत बनाना 3.1 राउंड टेबल/गोल मेज मंत्रणा :

कानूनी सेवाओं की गतिविधियों के तेजी से विस्तार के बीच, संगठनात्मक रीतियों, गुणात्मक पहलुओं तथा निरंतर मूल्यांकन व् विधिक सेवाओं की गतिविधियों की निगरानी पर धयान केन्द्रित करते हुए विशेषतया: न्यायालय आधारित विधिक सहायता प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता थी | इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नालसा ने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों के साथ 'न्याय तक पहुंच पर कार्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ' पर 26 और 27 जुलाई,2018 को एक राउंड टेबल (गोल मेज) मंत्रणा का आयोजन किया |



## महत्वपूर्ण निर्णय

- समय-समय पर न्यायालय आधारित कान्नी सेवाओं का मूल्यांकन करना और इसके सुधार के लिए परिवर्तनों की घोषणा करना और उन परिवर्तनों को अपनाना।
- निगरानी समितियों व् जेल क्लीनिकों के लिए एसओपी तैयार करना, पैनल वकीलों, रिमांड वकीलों और रिटेनर वकीलों, आदि के मानक नियुक्ति पत्र और नौकरी का विवरण तैयार करना एवम पीएलवी और वकीलों को देय मानदेय(पारिश्रमिक) के लिए दिशानिर्देशों को निरुपित करना ।
- रिटेनर वकीलों की भूमिका को स्पष्ट, परिभाषित और विस्तृत करना तथा फ्रंट कार्यालयों के अतिरिक्त उनकी सेवाओं का पर्याप्त उपयोग करना
- पीएलवी के रूप में काम कर रहे सजायाफ्ता मुजरिमों को दिए जाने वाले मानदेय सम्बन्धित विभिन्न पहलुओ पर काम करना |
- फ्रंट ऑफिस के परिचालन ढांचे में सुधार करना ताकि यह कानूनी सहायता लाभार्थियों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम कर सके |
- यह सुनिश्चित करना कि जेल विधिक सेवा क्लिनिक कम्प्यूटरीकृत हैं और उन क्लीनिकस में डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
- जिला और राज्य स्तर पर कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर का परिचालन ।
- विधिक सेवा क्लीनिक और फ्रंट कार्यालयों के बीच में आपसी संपर्क की कमी को दूर करना |
- अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी और रिमांड के विभिन्न कान्नी पहलुओं पर कान्न के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करके, उनके कार्य को मजबूत करना व उनके कार्य की निगरानी करना ।
- दस्तावेजो का उचित संकलन, विधिक सेवा संस्थानों के कार्यो पर निगरानी हेतु एक निगरानी तंत्र विकसित करना , समय समय पर उचित व कुशल मूल्यांकन सुनिश्चित करना ।
- एक ऐसा तंत्र विकसित करना , जो यह सुनिश्चित करे कि कैदी का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल अधिवक्ता को कैदी द्वारा जानकारी मिले जिससे अधिवक्ता उस कैदी का डिफेंस केस तैयार कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि विधिक सेवा क्लिनिक, लॉ कॉलेजों को शोध कार्य करने और पैनल अधिवक्ताओं की सहायता के लिए नियुक्त करते हैं |
- सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पैनल अधिवक्ताओं की संख्या का फिर से निर्धारण किया जाए ताकि उनकी संख्या जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे
- संबंधित राज्य सरकारों को उचित और प्रभावी प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में समझाना ।
- यह सुनिश्चित करना कि एसएलएसए जिला और तालुका स्तर पर किए जा रहे कानूनी सेवाओं के कार्यक्रमों और गतिविधियों का सही ढंग से दस्तावेजीकरण करता है.
- विधिक सेवाओं से सम्बंधित कार्यक्रमों, गतिविधियों और
   उनके प्रभावों का समय समय पर मूल्यांकन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पैनल अधिवक्ताओं तथा पैरा लीगल स्वयंसेवकों के
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उनको दिए गए अनुदान के उपयोग की रिपोर्ट नालसा को समय पर देना।
- नालसा के पोर्टल का सर्वोतम उपयोग करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को सही डेटा (विवरण) भरने के लिए जागरुक करना जिसकी देख रेख उनके सम्बंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा की जाएगी।

भुगतान से सम्बंधित	बिल	समय	से	पास
किये जाते हैं।				

- नालसा के नए मॉड्यूल के आधार पर विधिक सेवा शिविरों की योजना बनाना |
- यह सुनिश्चित करना की पैनल अधिवक्ताओं की योग्यता बढाने के लिए उन्हें बार बार प्रशिक्षित किया जाता है।

#### 3.2 स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श :

विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के उद्देश्य से 12.7.18,31.7.18,6.9.2018,22 से 24 जनवरी और 7 फरवरी को क्रमशः पटना, मथुरा, हैदराबाद, कोलकाता और गोवा में स्थानीय स्तर की मंत्रणा आयोजित की गई।

इस मंत्रणा कार्यक्रमों में, सदस्य सचिव, निदेशक और अतिरिक्त निदेशक नालसा ने जिला सचिवों, पैनल अधिवक्ताओं, पीएलवी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों के साथ, नालसा के अधिनियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन व उनके कामकाज की जांच और आकलन आदि पर विचार विमर्श किया।

# निम्नलिखित विषयों की पहचान, विधिक सेवा संस्थानों के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए की गई:

- वित्तीय अधिकारों का प्रभावी विकेंद्रीकरण
- 🗲 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में विधिक सेवा हेल्पलाइन का सुचारू रूप से काम करना
- न्यायालय सम्बंधित गतिविधियों की निगरानी
- फ्रंट कार्यालयों के कामकाज में एकरूपता व फ्रंट कार्यालयों में एलईडी मॉनिटर का उपयोग
- विधिक सेवा क्लीनिकों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता
- पैरा लीगल स्वयंसेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं के योग्यता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- रिमांड स्तर पर प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं को सुदढ़ करना
- नालसा पोर्टल का इस्तेमाल
  - जेल विधिक सेवा क्लीनिक में कंप्यूटर का उपयोग करना

## 3.3 सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक :

# 3.3.(1) 29वी सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक:



नालसा की 29वी सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक का आयोजन 19 मई, 2018 को प्रातः 11 बजे न्यायाधीश लाउंज, सर्वोच्च न्यायालय भारत , नई दिल्ली में किया गया |

## महत्वपूर्ण निर्णय

- नालसा (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
- नालसा (लोक अदालत) रेगुलेशन , 2009 में संशोधन को मंजूरी।
- विधिक सेवा संस्थानों का लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित कानूनी सहायता / सेवा क्लीनिकों के साथ मिलकर काम करने हेतु, दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन।
- सिमिति सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए, नालसा योजना को तैयार करने की संबंधता और
   उपयुक्तता पर भी गहन शोध करेगी |

#### 3.3(2) 30वी सेंट्रल अथॉरिटी बैठक

नालसा के केंद्रीय प्राधिकरण की 30वी सेंट्रल अथॉरिटी बैठक 27 अक्टूबर, 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायाधीश लाउंज में आयोजित की गई । माननीय न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई, भारत के मुख्य न्यायाधीश और पैटून-इन-चीफ, नालसा ने माननीय श्री मदन बी लोक्र, तत्कालीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया एवम कार्यकारी के साथ बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष, नालसा

# महत्वपूर्ण निर्णय

- कार्यक्रमों के 'प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन' करना
- प्रभावी सशक्तीकरण और सेवा प्रदान करने के लिए, लक्षित दृष्टिकोण के साथ विधिक सेवा शिविरों का आयोजन करना।
- समय-समय पर पैन इंडिया अभियानों जैसे 'कनेक्टिंग टू सर्व' को दोहराना
- प्रत्येक शिविर की रिपोर्ट तैयार करना जिसमे विधिक सहायता लाभार्थियों को वितरित लाभ का संक्षिप्त विवरण हो।
- फ्रंट कार्यालयों को स्दृढ़ करना और जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोधोगिकी का उपयोग करना
- नालसा द्वारा ' पूर्व सैनिकों के लिए विधिक सेवाए' से संबंधित प्रोजेक्ट को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सहयोग से कार्यान्वित करना।
- नालसा द्वारा कार्यकारी क्षमता में सुधार के लिए प्रौदयोगिकी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना | ग्राम न्यायलयो के ढांचे में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका का पता लगाना।
- नए बंदियों और अपराध के पीड़ितों की न्याय तक जल्दी पहुच को पूरा करने के लिए नालसा के प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देना ।

- सभी कान्नी सेवाओं की गतिविधियों और •सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विभिन्न विधिक सेवा गतिविधियों को कवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स / प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर / प्रोजेक्ट असिस्टेंट को काम पर रखने हेत् मानदेय और रूपरेखा के विषय पर पुनर्विचार करना
  - जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए 5 दिनों के प्रशिक्षण की रूपरेखा का बिना देरी किये पालन
  - नालसा दवारा मोडल मध्यस्थता दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार करना । मध्यस्थता कराने वाले वाले संस्थान / संगठनों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर वाणिज्यिक विवादों में मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त करना |
  - लोक अदालत के लिए मामलों की पहचान के लिए सीआईएस 3.0 प्रणाली के उपयोग की जांच करना और नालसा द्वारा नोटिस जारी करने की सुविधा प्रदान करना।
  - दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की न्याय तक पह्ंच को सुदृढ़ करने के लिए , विधिक सेवा प्राधिकरणों की सहायता से उनकी याचिकाए, अपील इत्यादि को उच्च न्यायालयों में दाखिल करने की स्विधा प्रदान करना।

#### 3.4 फ्रंट कार्यालयों को और बेहतर बनाना :


फ्रंट कार्यालयों को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए ताकि आगंतुकों / कानूनी सहायता चाहने वालों को उत्तम और सार्थक विधिक सेवाए प्रदान की जा सके ,फ्रंट ऑफिस दिशा- निर्देश सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को परिचालित किया गए इसका उद्देश्य फ्रंट कार्यालयों को मजबूत करना था ताकि उत्तम और सार्थक विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें और विधिक सहायता चाहने वालों / लाभार्थियों के लिए फ्रंट ऑफिसेस वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम कर सके। फ्रंट कार्यालयों का तदनुसार उन्नयन ?



## फ्रंट कार्यालयों के कार्य

- 1. कानूनी सलाह प्रदान करना |
- 2. आवेदन, याचिका, जवाब आदि का मसौदा(ड्राफ्ट) तैयार करना |
- 3. विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर पर सलाह देना |
- 4. विधिक सहायता हेतु आये आवेदनों को प्राप्त करना व उनसे सम्बंधित रिकाईस को संभालना।
- 5. विधिक सहायता आवेदनों को नालसा के वेब पोर्टल पर अपलोड करना |
- न्यायालय सम्बंधित मामलों का डेटा अप-ट्-डेट बनाए रखना और निर्धारित फोर्मट्स पर डेटा रखना।
- विधिक सहायता लाभार्थी को उसे मुहैया किये गए वकील के बारे में बताना और लाभार्थी को मामले की स्थिति के बारे नियमित रूप से अपडेट करना |


## 3.5 <u>योग्यता निर्माण - पैनल अधिवक्ताओ और पैरा विधिक स्वयंसेवको का</u> प्रशिक्षण



विधिक सेवाओं के कार्यबल में पैनल अधिवक्ता और पीएलवी शामिल हैं। पैनल अधिवक्ताओं के योग्यता निर्माण के लिए नालसा ने तीन प्रशिक्षण मॉड्यूल और पैरा विधिक स्वयंसेवकों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।

विधिक सेवा संस्थानों ने वितीय वर्ष के दौरान पैनल वकीलों के लिए 1087 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए इसी प्रकार पैरा विधिक स्वयंसेवकों के लिए 1537 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए नालसा ने 15 दिसंबर 2018 को प्रशस्ति समारोह के दौरान विधिक सेवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए तृतीय मॉड्यूल का विमोचन किया, जिसे माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति मंजू गोयल, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था।

उम्मीद है किउक्त मॉड्यूल पैनल अधिवक्ताओं के योग्यता निर्माण और कौशल विकास के लिए पहले तैयार किये गए दो मॉड्यूल को और बेहतरी प्रदान करेगा |



## 4. <u>राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की अनोखी</u> पहल

न्याय तक पहुंच कानून के नियमों का एक मूल सिद्धांत है | न्याय तक पहुंच का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हैं| देश में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुँच को एक हकीकत बनाने के लिए, सालसा और डालसा ने लगातार कुछ नए प्रयासों और विशिष्ट योजनाओं को तैयार कर उन्हें कार्यान्वित किया है| अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आबादी द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष प्रत्येक विधिक सेवा संस्थानों ने उन मुद्दों को नवीन तरीकों से संबोधित किया| इस वर्षइन योजनाओं का उद्देश्य कानूनी आवश्कताओं के संबोधन से लेकर विधिक जागरूकता को फैलाना था, हालाँकि कार्यप्रणाली विभिन्न रही |

## सर्वश्रेष्ठ योजनाओं / पहलों / रणनीतियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

## मनोरंजन के माध्यम से निर्दोष मन को पढ़ाना

यह अभियान क्यों?

पोक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट किये गए बाल यौन शोषण के बढते हुए मामलों को और इस बात को ध्यान में रखते हुए की ऐसे कई मामले असूचित (अन रिपोर्टेड) क्यों रह जाते हैं? घ्यान की कमी के कारण, बहिष्कृत / लांछित होने के डर से या युवा दिमाग की इस कृत्य को गलत समझने की असमर्थता के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (नॉर्थ-ईस्ट, दिल्ली) ने बच्चों के लिए 'स्पर्श' नाम से पोक्सो एक्ट पर एक कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया, ताकि बच्चों को सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक किया जा सके। प्राधिकरण का इरादा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और इच्छुक पब्लिक स्कूलों इस अभियान में शामिल करना था।

## आरंभ की गईं गतिविधियां

- अभियान के जिरये, प्रत्येक स्कूल में विशेषज्ञ कलाकारों की एक टीम ने एक कठपुतली
   शों का प्रदर्शन किया।
- कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों एवम उनके शिक्षक वर्गों के लिए पोक्सो अधिनियम पर एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे उन्हें विभिन्न सामाजिक कानूनी पहलुओं, विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ अपराधों की जानकारी प्रदान की गई |

#### परिणाम

- अभियान "स्पर्श " के तहत ,कठपुतली शो के जिरये सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श पर 66 सरकारी स्कूलों में कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है जिसका लाभ लगभग 30,000 छात्रों को मिला।
- 03.02.2018 को, यह कठपुतली शो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर में आम जनता के लिए भी प्रदर्शित किया गया था।
- अभियान को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था, और सभी द्वारा इसकी सराहना की गई थी।
- इस अभियान ने दिल्ली भर में प्राप्य कानूनी प्रावधानों जिसमे ' ' के लिए बने गए
  परिसर की विशेष सुविधा भी सम्मिलित है के संदेश को सफलतापूर्वक प्रसारित किया|
  इसके अलावा इस अभियान ने 'कठपुतली' कला को सजीव बनाए रखने में मदद के साथ
  ही साथ कठपुतली कॉलोनी के कलाकारों की कठिन समय में उनके पुनर्वास समस्या
  को सुगम बनाने में भी मदद की |

## पृथकता से समावेश तक

पृथकता से समावेश तक – यह योजना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा विधिक सेवाओं के जरिये झुग्गीवासियों के जीवन को समृद्ध करने के लिए शुरू की गई।

#### यह अभियान क्यों?

- यह अक्सर कहा जाता है कि कल्याणकारी कानूनों या समाज के गरीब और दिलत वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ की कोई कमी नहीं है लेकिन अनुभव यह बताता है कि समाज के लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं और कल्याणकारी कानूनों से होने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं।
- झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास बयान करने के लिए अपनी अपनी कहानी है। अशिक्षा और जड़ों से गहरी गरीबी जैसे कारकों के कारण बच्चे, महिलाएं और विरष्ठ नागरिक तुलनात्मक रूप से अधिक कमजोर हैं।

#### परिणाम

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इन झ्गियों में कुछ चल शौचालय स्थापित किये
- अब फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम द्वारा सिकंदरपुर और वज़ीराबाद के पास के झुग्गी झोपडी इलाके में हर महीने के दूसरे और अंतिम गुरुवार को नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- लगभग 108 छात्र कक्षाएं ले रहे हैं।
- इस अभियान के दौरान लगभग 18 छात्रों को मिलन बस्तियों से सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल, सिकंदरपुर में दाखिला दिलवा कर मुख्यधारा में लाया गया और पी एल वी द्वार नियमित रूप से सहायता की जानती है |
- नाथ्पुर गांव के पास की गन्दी बस्ती में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है, जो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, आदि की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहा है।
- आधार कार्ड तैयार करने के लिए सिकंदरपुर झुग्गी में एक शिविर आयोजित किया गया था जिसमे लगभग 31 आधार कार्ड तैयार किए गए थे।
- पांच विकलांग व्यक्तियों की पहचान की गई और उनके विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार किए गए।
- 6 महिलाएं को आजीविका कमाने में मदद करने के लिए अग्रसर सिलाई केंद्र से जोड़ा गया।

# सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान -"भेजने से पहले आप सोचे"

सोशल मीडिया, आज, ज्यादातर लोगों के लिए खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट और ऐप लोगों को उत्साहित और संवादात्मक बनाने के लिए लुभावने विषय बनाते है, लेकिन यह इस हद तक प्रचलित हो गया है कि लोग अपने आप को इसका आदि पाते हैं।

#### अभियान का उद्देश्य

सोशल मीडिया के कारण बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा विशेष जागरूकता अभियान इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरू किया गया था।

### अभियान की मुख्य विशेषताएं

- एक व्यापक पुस्तिका "सच से दोस्ती"- "भेजने से पहले आप सोचे " सोशल मीडिया
  के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में जानकारी से युक्त पुस्तिका तैयार की गई और
  इसे आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वितरित किया गया;
- स्कूलों, कॉलेजों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता शिविर आयोजित
   किए गए:
- 8 सूचनात्मक पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए गए थै;
- मुद्रित पेपर कप और सिरेमिक मग तैयार कर वितरित किए गए थे;
- इसे आकर्षक बनाने के लिए और आम लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए,
   इस जानकारी को रीसाइकल्ड चायकपो पर मुद्रित करने और कॉलेज के कार्यालयों
   और कैंटीनों में स्वतंत्र रूप से वितरित करने की योजना बनाई गई थी।
- नुक्कड नाटक भी तैयार किए गए थे।

# भिखारी मुक्त और भूख मुक्त नगर पालिका

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पठानमथिट्टा की उपरोक्त योजना को पठानमथिट्टा नगर पालिका, कैनेडी चाको चेरिटेबल ट्रस्ट और व्यपारी व्यवसाई एकोपना समिति द्वारा समर्थित किया गया था।

#### अभियान के उद्देश्य

नगरपालिका को भिखारी मुक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी भोजन से वंचित न रहे|

#### अभियान का परिणाम

- पठानमथिट्टा नगर पालिका को भिखारी मुक्त और भूख मुक्त नगर पालिका के घोषित किया गया था।
- कैनेडी ट्रस्ट ने नगर क्षेत्र से 5 भिखारियों को कैनेडी ट्रस्ट के घर, नेस्ट में पुनर्वासित किया।
- ट्रस्ट के सहयोग से कोर्ट परिसर, पुलिस स्टेशन, नगर निगम कार्यालय
   और सिविल स्टेशन में भोजन परोसा गया।
- लगभग 25 व्यक्ति प्रतिदिन इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

# राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों / जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की अन्य पहलें

- ञिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोकराझार, असम ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के "रीच आउट और रिस्पोंड प्रोग्राम" के तहत कोकराझार लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा 'गाँव को गोद लेने की योजना' को शुरू किया और उस सन्दर्भ में उक्त कॉलेज के छात्रों को सभी के लिए न्याय तक पहुँच प्रदान करने के आदर्श की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कोकराझार जिले के ब्रह्मापारा गांव को लॉ कॉलेज के छात्रों ने कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और स्थानीय ग्रामीणों को शिक्षित करने और उनके मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए, गोद लिया। तदनुसार, छात्रों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में उस गाँव का दौरा किया, गाँव वालो को ज्ञान दिया और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित दफ्तरों के समक्ष आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए प्रपत्र आदि भरने में जनता की सहायता की।
- इम्फाल ईस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में, लीगल एड क्लीनिक के पीएलवी, चानम सैंड्रोक ने चानम सैंड्रोक गांव को ड्रग्स के उपयोग से मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया।

पीएलवी और गाँव के युवाओं ने एक साथ काम करते हुए ड्रग उपयोगकर्ताओं / और ड्रग बेचने वालों को पकड़ कर और उन्हें विभिन्न सुधार केन्द्रों में उनके पुनर्स्थापन करने हेतु दाखिल करवाया। ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता को क्लिनिक के पीएलवी और युवाओं की मदद और सहयोग करने का अनुरोध करके उन्हें उनके परिजनों की अधिक देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरा विधिक स्वयंसेवकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी मार्गदर्शित किया कि ऐसे व्यक्तियों को क्रोधित भीड़ के हाथों में न छोड़ा जाए और उन्हें शारीरिक यातना न दी जाए और पुनर्वसन हेतु उन्हें उचित सलाह दी जाए।

केरल के पठानमिथटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 'वेलिचम" नामक एक योजना के तहत नारकोटिक्स, साइबर लॉ, ट्रैफिक एक्ट, यौन हिंसा, स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं आदि के संबंध में 5 से 18 वर्ष के बच्चों को जागरूक बनाने के लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन किया | इन गतिविधियों का आयोजन जिले के प्रत्येक आंगनवारी केन्द्र में गर्मी की छुट्टियों के दौरान चौथी कक्षा तक के आंगनवाड़ी शिक्षकों द्वारा चाइल्ड लाइन और चुंगी, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया |

#### अन्य विशिष्टताएं

## 5.1 यू.एन.ओ.डी.सी , वियना में विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लेना

नालसा ने विएना, यूरोप, में 26 -27 सितंबर, 2018 को गुणवत विधिक सहायता सेवाओं का निर्धारण, स्थापना और निगरानी विषय पर एक विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया। नालसा अधिकारियों द्वारा तीन प्रस्तुतियां दी गईं जिनमे विधिक सेवा संस्थानों द्वारा भारत में नीतियों, रूपरेखा और न्याय तक पहुच अभियान पर प्रकाश डाला गया। नालसा अधिकारियों ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की संस्था की बैठक में भाग लिया।

वियना सम्मेलन में मिली मुख्य सीख , जो भारतीय संदर्भ में काफी प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:

- भारत में विधिक सेवा प्राधिकरणों ने बड़ी संख्या में वकील और पैरा लीगल वालंटियर्स को भर्ती किया है जो उन लंबित केसो की संख्या के साथ लाभकारी रूप में मेल नहीं खाते जिनमे विधिक सहायता दी गई है। हालाँकि, इसका एक कारण यह है कि भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक बहुत व्यापक श्रेणी की परिकल्पना की गई है, केवल न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना नहीं । पैनल अधिवक्ता नियमित रूप से कानूनी जागरूकता प्रदान करने, विधिक सेवा शिविरों और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने में व्यस्त रहते हैं। सभी गतिविधियों के परिणामों में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में अधिवक्ताओं और पी.एल.वी की संख्या का फिर से आकलन करने की आवश्यकता है।
- भारत में विधिक सहायता के लिए केस प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को भर्ती किया जाता है, उन्हें केसों में नियुक्त किया जाता है और मानदेय का भुगतान किया जाता है। कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने 'पब्लिक डिफेंडर प्रणाली' के लाभों पर प्रकाश डाला, जिसमें वकीलों को मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया जाता है जो विधिक सेवा प्राधिकरण को पूरी तरह जवाबदेह होते हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की प्रणाली वकीलों को अधिक जवाबदेही बनाती है और प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक वकीलों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनके कार्य पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके मद्देनजर, भारत में कुछ स्थानों पर एक सीमित सीमा तक 'पब्लिक डिफेंडर सिस्टम' को पायलट आधार पर शुरू करने का प्रयास किया जा सकता है।
- टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से, केसों का असाईनमेंट, केसों का वकीलों द्वारा प्राप्त किया जाना,
   केसों में हुई कार्यवाही को वकीलों द्वारा की गई प्रतिपुष्टि अथवा न्यायालयों द्वारा मामलो की जानकारी से सम्बंधित आदानों के आधार पर न्यायालय आधारित विधि सेवाओं की निगरानी और अच्छे ढंग से की जा सकती है |
- गुणवत्ता के रखरखाव और क्रमिक उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले में निगरानी और सलाह समिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता के प्रत्येक पहलू के लिए उचित मापदंड और और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) बनाये जाए और उक्त केपीआई के आधार पर अलग-अलग पैनल वकीलों का मूल्यांकन करने हेत् एक प्रणाली बनाई जाए।
- एक बाहरी एजेंसी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की मूल इकाइयों और उनके मुख्य कार्यकलापों का गुणात्मक मूल्यांकन कराया जाना हमें चिंता के विषयों की पहचान और उनके सुधारात्मक उपाय करने में मदद प्रदान करेगा।

#### 5.2 आपदा पीड़ितों को कानूनी सहायता

#### केरल आपदा

जुलाई अगस्त 2018 के महीने में, केरल राज्य में बारिश ने भारी तबाही मचाई जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ | लगातार बारिश के कारण केरल के 42 बांधों में जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने से 35 बांधों के ओवरफ्लो द्वार खोलने पड़े, जिससे केरल के सभी 14 जिले बहुत अधिक प्रभावित हुए | कई लोगों की जान चली गई और लोग अपने घरों में पानी से घिर कर फंस गए और इस प्रकार हजारों लोग विस्थापित हो गए।

# इस संकट से निपटने के लिए, केरल राज्य विधिक सेवा द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

- नालसा (विधिक सेवा आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ) योजना,
   2010 के निर्देशानुसार बचाव और राहत गतिविधियों के बीच समन्वय हेतु एक कोर ग्रुप'
   का गठन किया गया |
- 2. बचाव दल का गठन कर बचाव अभियान चलाया गया | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा विधिक स्वयंसेवको ने राहत शिविरों में बुनियादी और स्वास्थ्य सुविधाओ और लोगो द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की स्थिति जानने के लिए एक सर्वक्षण किया और फिर सरकार के विभिन्न विभागों और कार्य में लगे कई गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके सफलतापूर्वक राहत कार्य शुरू किया।
- 3. लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि प्रदान की गई शिविरों में जहां भोजन की कमी थी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने ए डी आर केंद्रों के परिसर में न्यायिक अधिकारियों, पैनल वकीलों, पी एल वी , कर्मचारियों, आदि के सिक्रय समर्थन से एक रसोईघर शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि जरूरतमंदों को पर्याप्त भोजन दिया जाए।
- 4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुका विधिक सेवा सिमितियों ने राहत सामग्री के संग्रह और वितरण के लिए अपने स्वयं के केंद्र बनाये | संग्रह केंद्रों द्वारा राहत किटों के साथ पानी, खाद्य सामग्री, कपड़े और अन्य सफाई के सामान नियमित रूप से वितरित किये गए | . एक संकट राहत कोष बनाया गया, जिसके धन का उपयोग राहत सामग्री खरीदने

और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।

- एर्नाकुलम मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थों ने मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के साथ विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों के समूह को परामर्श प्रदान किया।
- 6. पीड़ितों की सहायता के लिए केरला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी प्रभावित क्षेत्रों में "नीथिधारा" के नाम से मदद डेस्क स्थापित किए गए थे, जिन्हें पैनल के वकीलों और पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा प्रबंधित किया गया था। पीडितों के मूल्यवान दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व् टाइटल डीड्स आदि को पुनःबहाल करने हेतु विधिक सेवा शिविरों और लोक अदालत का आयोजन किया गया |

### अमृतसर आपदा

20 अक्टूबर 2018 को अमृतसर, पंजाब में दशहरा समारोह के दौरान हुई एक भयानक ट्रेन दुर्घटना में लगभग 61 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के संबंध में सूचना मिलने पर, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तुरंत कार्यवाही में जुट गया।

पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने तुरंत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से संपर्क किया और कार्यवाही के निर्देश और मार्गदर्शन माँगा।

#### पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

- 1. अमृतसर, तरनतारन और कप्रथला जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा एक 'विधिक सेवा बचाव टीम' का गठन किया गया. इन बचाव कार्य टीमो पीड़ितों को दुर्घटनास्थल से अस्पतालों में ले जाने में प्रशासन की मदद की, जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने अपने वाहनों को सिविल अस्पताल और गुरु नानक देव अस्पताल, अमृतसर में उपलब्ध कराये ।
- 2. पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बचाव दल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की पहल की, जिसमें आपदा पीड़ितों के लिए नालसा योजना की एक प्रति रक्त दाताओं के नाम उनके फ़ोन नम्बरों सहित अग्रेषित की गई।
- 3. तीनों अस्पतालों में जहां घायलों का इलाज चल रहा था, बचाव दल ने एक 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की और अधिवक्ताओं और पीएलवी को उनके कर्तव्यों और जरूरतमंद लोगों की मदद कैसे की जाए के बारे में जानकारी दी गई।
- 4. मृतकों, घायलों, उनके रिश्तेदारों और उनके संपर्क विवरणों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रो-फ़ॉरमा वेबसाइट के लिए तैयार किया गया जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भेजा गया तथा उन्हें उपरोक्त एकत्रित की गई जानकारी को

हेल्प डेस्क को भेजने के लिए निर्देशित किया गया |

5. घायलों के साथ काम कर रहे कुछ पैरा विधिक स्वयंसेवक लिखी गई डॉक्टर द्वारा आवश्यक दवाओं की पर्ची लेकर आए और हैल्प डेस्क में स्वैच्छिक दाताओं के माध्यम से दवाओं की व्यवस्था की गई।

## 5.3 एक बेहतर समाज के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवको (पी एल वी) का हस्तक्षेप

पीएलवी विधिक सेवा प्राधिकरणों और लोगों के बीच की दूरी को ख़त्म करने और उनके बीच संपर्क बनाने में रीढ़ की हड़डी के रूप में काम करते हैं। वे विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। विधिक सेवा कार्यक्रमों के मोर्चे के सैनिक होने के नाते, वे विधिक सेवा संस्थानों के दूत के रूप में कार्य करते हैं। पी एल वी न केवल कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं अपितु वे देश के सबसे दूर कोने में खड़े अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में कुल 73,596 पी एल वी कार्यरत हैं। कानून के तहत लोगों की पत्रताओं और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वेई उनकी न्याय तक पहुच को सुनिश्चित करते हैं।

#### पैरा विधिक स्वयंसेवकों के कर्तव्य

- पी एल वी लोगों को विशेषत: समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को उनके संवैधानिक और वैधानिक गारंटीकृत अधिकारों के बारे में साक्षर बनाते हैं |
- 2. वे लोगों को विवादों / मुद्दों / समस्याओं की प्रकृति के बारे में जागरूक करते है और उन्हें बताते है की वे इनके निवारण हेतु तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति /राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को संपर्क कर सकते हैं |
- पी एल वी अपने कार्यक्षेत्र में कानून की अवेलना अथवा अन्याय पर नजर रखते है
   और इसके बारे में विधिक सेवा प्राधिकरणों को तुरंत सूचित करते है ।
- जब भी पी एल वी को इलाके में किसी व्यक्ति की गिगिरफ्तार व्यक्ति को, यदि जरूरी हो तो, निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण से कान्नी सहायता मिले |
- 5. पी एल वी यह भी सुनिश्चित करते है कि अपराध पीड़ित को उचित देखभाल मिले | पी एल वी अपराध पीडितों को सम्बंधित कानूनी विधान और योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजों को दिलवाने का भी प्रयास करते है |
- 6. पी एल वी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉक उप, मानसिक रोग चिकित्सालयों ,बाल गृह / देखभाल गृह आदि का दौरा करते है करे और उनमें रहने वाले लोगों की कानूनी सेवा सम्बन्धी

आवश्यकताओं का पता लगाये।

- वें बाल अधिकारों के उल्लंघन , बाल श्रम, लापता बच्चों और बालिकाओं की तस्करी से सम्बंधित मामलों की जानकारी निकटतम विधिक सेवा संस्थाओं या बाल कल्याण समिति को देते हैं।
- 8. वें अपने कार्यक्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित किये जाने वाले विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजनभी मदद करता है | वें लोगों को सुलह के फायदों जिनमें लोक अदालत, मध्यस्थता, और मुकदमेंबाजी से पूर्व सुलह, मध्यस्थम और सुलह सम्मिल्लित है, के लाभों के बारे में जागरूक करते है |
- 9. पी एल वी अपने क्षेत्र में तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति / सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की विधिक सेवा गतिविधियों की जानकारी को प्रचारित करता है और इन संस्थानों के पते लोगों को प्रदान करता है |
- 10. पीएलवी अपनी गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं, जिसके तहत वे काम कर रहे हैं।

# 5.4 पैरा विधिक स्वयंसेवकों की सफलता गाथाएं

पैरा विधिक स्वयंसेवक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनके कार्यों का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि पी एल वी द्वारा हस्तक्षेप उन लोगों के लिए आशा की किरण लेकर आया है जो असहाय, निराश्रित और निर्वासित थे। इनकी सफलता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

## वैवाहिक विवाद सुलझाया गया

मई 2017 में, एक महिला 'एक्स' ( नाम गुप्त रखा गया है ) जो की मणिपुर के एक सुदूर गाँव की रहने वाली है, विधिक सहायता क्लिनिक , नुन्गौरोक में अपने पित के खिलाफ शिकायत लेकर आई | महिलानुसार उसका पित उसका, उनकी तीन बेटिओं और अपनी माँ का भरणपोषण नहीं करता था| खेत में काम करने के बावजूद उसने घर चलाने में आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था महिला पहाड़ों में काम करने के लिए जाती थी और उसी की कमाई से परिवार चलता था | आर्थिक स्त्रोतों की कमी के कारण उनकी बेटियाँ न तो शिक्षा ग्रहण कर पा रही थी और न ही उन्हें आदिवासी लोगों की शिक्षा से संबंधित योजनाओं का ज्ञान था। पीएलवी, डारंगम खालिंग ने उक्त महिला की दुर्दशा सुनी और उसके पित को विधिक सेवा क्लिनिक में बुलाया। पित ने पीएलवी को एक पत्र लिखा और कहा की इस मामले को ग्राम प्रधान को देखना चाहिए | पीएलवी ने तब महिला की ओर से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक आवेदन लिखा, जिसमें महिला को एक वकील प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जब उसके पित को यह पता चला तो

वो तुरंत लीगल एड क्लिनिक में उपस्थित हो गया। कुछ चर्चाओं और सुलह सत्रों के बाद, पित पत्नी में समझौता हुआ, पित अपने पिरवार का पालन पोषण करने के लिए सहमत हो गया। इस प्रकार यह मामला सुलझ गया। उक्त पीएलवी ने समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाओं को प्राप्त करने में भी पिरवार की सहायता की और बच्चों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने में भी मदद की।

### भालू के हमले से पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवार की सहायता हेतु हाथ बढाया

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण आदिवासी आदमी की दुखद कहानी है जिसने जंगली जानवर द्वारा हुए हमले में अपनी दृष्टि खो दी थी लेकिन एक पी एल वी द्वारा किये गए प्रयासों से उनके परिवार में प्रकाश आया । 34 वर्षीय श्री 'जेड ', जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध रखते हैं, प्रकाशम जिले के किनिगरी मंडल के पुनुपुडु गाँव के मूल निवासी हैं। वह अपने परिवार जिसमें उनकी पत्नी, 2 पुत्र और एक पुत्री, जिनकी उम्र क्रमशः 10, 8, और 6 वर्ष है, का बरन पोषण करने के लिए कोंकणमत्ता मंडल के पेद्दरिकटला गाँव में मवेशी चराकर अपनी आजीविका अर्जित करता था ।

दिनांक 27.10.2017 को देर रात में जब 'जेड' और उसकी पत्नी अपने बकरे को जोकि पिछले दिन से लापता था खोज रहे थे, एक जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया।

इसी बीच उनके पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से 'जेड' को बचाया। उसे तुरंत सरकारी जनरल अस्पताल, गुंटूर में स्थानांतरित कर दिया भालू द्वारा किया गया हमला इतना भीषण था कि इससे उसकी दोनों आँखों की रौशनी चली गई। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया किया कि वह अपनी दृष्टि को फिर से हासिल नहीं कर सकता और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। अँधा हो जाने के कारण 'Z' ने अपनी आजीविका खो दी, और उसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया था। नतीजतन, उसके छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई को भूलकर आजीविका हेतु घरेलू काम करने और मवेशियों - भैड़ों को चराने पर मजबूर हो गए

उक्त लेख को पढ़ने पर, प्रकाशम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी श्री बी.वी. सागर ने पीड़ित के गाँव में जाकर घटना का विवरण एकत्र किया। परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए, उन्होंने उस परिवार को अपने स्वयं की धनराशी से एक महीने के लिए आवश्यक समान प्रदान किए। उन्होंने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संबोधित एक निरूपण भी तैयार किया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, श्री बी. विजय सागर, पीएलवी ने पीड़ित को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल, औंगोले, जो प्रकाशम जिले का जिला मुख्यालय है में ले कर गए, जहां डॉक्टरों ने 'जेड' को 100 % विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है।

पी एल वी ने 'जेड' के द्वारा राज्य के विकलांग कल्याण विभाग से आईकेपी-डीआरडीए योजना के तहत 'लाभ प्राप्त करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। पीएलवी के प्रयासों के कारण, 'जेड' को 'सदेर्म' सर्टिफिकेट दिया गया, जिससे उसे 1500 रुपये प्रति माह पँशन मिल सकी। पी एल वी ने पुलिस में वन्य प्राणी हमले के तहत मामला दर्ज करवाने में भी 'जेड' की मदद की । घटना के पंजीकरण के परिणामस्वरूप, विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए, चूंकि पीड़ित व्यक्ति चंद्रभान स्कीम योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड के भीतर आता है, वर्तमान में 5 लाख रुपये के बीमा के लिए उसका आवेदन प्रक्रिया में है | इस बीच, ओन्गोले के सोशल वेलफेयर होम में 'जेड' के दोनों बेटों को भर्ती कराया गया और उसकी बेटी एक स्थानीय स्कूल में पढ़ रही पीएलवी श्री बी.वी. सागर के प्रयासों के कारण, पीड़ित के परिवार को अब नियमित रूप से 1500 / - रूपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। चूँकि पीड़ित के सभी 3 बच्चों को राज्य के सोशल वेलफेयर स्कूलों में भर्ती कराया गया था, रु। 1500 / - (मात्र पंद्रह सौ केवल) की मासिक पेंशन है केवल पीड़ित और उसकी पत्नी के लिए है । श्री बी.विजय सागर जो प्रकाशम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी है उनकी समर्पित सेवा के बिना ये सब कुछ मुमिकन नहीं हो सकता था।

#### 45 साल की महिला को उसके परिवार से बचाया

एक पीएलवी को जब यह पता चला कि 45 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला को उसके परिवार के सदस्यों ने एक कमरे में 25 साल से अधिक समय तक बंद / हिरासत में रखा है तो उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मार्गदर्शन लेने के बाद, पी एल वी ने एक अन्य पीएलवी रजनी लोहिया के साथ मिलकर पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज की। पीएलवी नयन बोरकर और अन्य पीएलवी के साथ पुलिस उस महिला के घर गई, जिसे सालों तक उसके परिवारवालों ने बंद कर रखा था और उसे बचाया गया और आगे के उपचार के लिए उसे आई पी एच बी बम्बोलिम अस्पताल ले जाया गया। नयन बोरकर, रजनी लोहिया और अन्य पीएलवी ने आईपीएचबी और टीबी अस्पताल में जाकर उस महिला से मिले जहां उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। श्रीमती रत्ना बोरकर ने भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और पीड़ित महिला की बहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरी गोवा में बुलाया गया, जिन्होंने सचिव सुश्री शबनम शेख को आश्वासन दिया कि आगे से उनकी बहन को घर में कोई समस्या नहीं होगी और उससे घर पर अच्छा बर्ताव किया जाएगा. अब पीड़ित महिला को उसके घर ले जाया गया है और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही है। श्रीमती रतन नाइक अन्य पीएलवी यह देखने के लिए की महिला को कोई समस्या तो नहीं है, महीने में एक बार महिला को देखने के लिए जाती हैं।

### नाबालिंग लड़की को उसके परिवार के पास वापस लाने में मदद

की म्यांमार की एक नाबालिंग लड़की जिसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और जो 2 साल से किशोर गृह हरवाँ में हिरासत में रह रही और अपने माता-पिता से मिलने के लिए बेताब थी, उसकी मदद एक पी एल वी ने की । वह निः शुल्क विधिक सेवा क्लिनिक जुवेनाइल होम हार्वान, श्रीनगर में अगस्त, 2017 को आई और उसने पीएलवी को अपनी कहानी सुनाई। उसने पीएलवी को बताया कि उसका मामला

पिछले 16 महीनों से जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में लंबित था। उसने हिरासत से अपनी रिहाई के लिए कानूनी सेवाएं लेने की इच्छा व्यक्त की। पीएलवी ने उसके मामले के तेजी से निपटारे के लिए समय-समय पर लड़की के वकील श्री फ़ासिल कादिरी से संपर्क किया और जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय श्रीनगर भी गया। अंत जम्मू-कश्मीर की माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच श्रीनगर ने 21/11/2017 को एक निर्देश दिया कि किशोर लड़की को जुवेनाइल ऑब्ज़र्वेशन होम, हरवान, श्रीनगर के अधिकारियों द्वारा उसके मामा मोहम्मद फ़िरोज़ को सौंप दिया जाए।

### नाबालिंग की जान बचाई

घने जंगल शिकारीपुरा और आसपास के गांवों को घेरते हैं। निकटतम सड़क वहां से 15 किलोमीटर दूर है। सड़क तक पहुचने के लिए जंगल और झरनों से पैदल चलना पड़ता है। मंगला डेहरी, एक पीएलवी, ने सैकड़ों मरीजों (सभी आदिम आदिवासियों) को अपने कंधे या खाट पर लादकर सड़क और फिर निकटतम अस्पताल में पहुँचाया, जिससे उनकी जान बच पाई | लगभग 4 साल का एक नाबालिग गंभीर रूप से कई दिनों से बीमार था। उसके माता-पिता इतने गरीब थे की उसे अस्पताल ले जाने की सोच भी नहीं पा रहे थे । वे अपने और अपने बच्चों के लिए रोज की रोटी कमाने में लगे हुए थे। मंगला डेहरी ने इस नाबालिग को अपनी गोद में लिया और उसे 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर सड़क तक ले गए और फिर उसे ऑटो रिक्शा पर अस्पताल ले गए । वह नाबालिग अब ठीक है ।

# सड़क दुर्घटनाओं को रोका

कन्नूर के पेरलासरी ग्राम पंचायत में पारेकुंडु मस्जिद के पास एक खतरनाक यू-टर्न पर, एक घर के मालिक ने अपने घर के गेट को इस तरह से बनाया कि वह सड़क की ओर खुलता था जिस कारण वह यू-टर्न दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया। पीएलवी श्री रागेश पी.सी. को जब उक्त स्थिति के बारे में पता चला तो वह व्यक्तिगत रूप से उस घर के मालिक से मिलने गए और उन्हें उस गेट को बंद रखने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। उक्त मालिक ने गेट को बंद रखने के पीएलवी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई रास्ता न मिलने पर , पीएलवी ने पेरलास्सेरी पंचायत कार्यालय से संपर्क किया और जनता की ओर से शिकायत दर्ज कराई। इस स्तिथि के बारे में पता चलने पर पंचायत ने घर के मालिक को एक चेतावनी नोटिस जारी किया, जो नोटिस प्राप्त करने पर गेट को बंद रखने लगा और इस तरह कई दुर्घटनाये होने से बच गई।।

### आदिवासियों को भोजन की उपलब्धता

पी एल वी श्रीमती सुभाषिनी दिनांक 06.02.2018 को, पुथनूर नायका कॉलोनी, चेथलायम गई| 'नायका' अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत एक उप जाति है। इस जाती के लोग जंगल में निवास करते हैं। यह आदिवासी कॉलोनी एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। कॉलोनी की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि वहां पर रियायती दरों पर उपलब्ध चावल की सार्वजनिक राशन

प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति नहीं हो रही थी। उक्त प्रणाली के अनुसार, AAY कार्ड धारक 28 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। यह स्पष्ट हो गया था कि वहां पर राशन प्रणाली के माध्यम से चावल की आपूर्ति नहीं की जा रही थी। उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति, सुल्तान बाथरी के माध्यम से तालुक आपूर्ति अधिकारी के सामने इस मामले को उठाया। श्रीमती सुभाषिनी के समय पर हस्तक्षेप के कारण,, तालुक आपूर्ति अधिकारी ने पुथनूर नाइका कॉलोनी के पात्र निवासियों को आपूर्ति करने के लिए संबंधित राशन दुकान को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। चूंकि चावल आदिवासियों का मुख्य भोजन था, इसलिए पी एल वी ने AAY कार्ड के तहत कॉलोनी के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत की।

## 5.5 नालसा द्वारा सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कृत करने हेतु प्रशस्ति समारोह

15 दिसंबर, 2018 को, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक प्राधिकरण, पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रशस्ति समारोह आयोजित किया। केंद्रीय कान्न एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में माननीय श्री न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा , माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और तत्कालीन अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC), माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और तत्कालीन संरक्षक-प्रमुख (DSLSA), माननीय श्री न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायधीश दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए, शामिल थे । समारोह के दौरान, माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति मंजू गोयल, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में नालसा द्वारा तैयार किए गए विधिक सेवा वकीलों के प्रशिक्षण के लिए तीसरा मॉड्यूल जारी किया गया। उम्मीद है की तीसरा मॉड्यूल पैनल वकीलों के योग्यता और कौशल विकास में मदद करेगा | अब तक पहले और दूसरे प्रशिक्षण मॉड्यूल वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने में बहुत प्रभावी रहे हैं। मॉड्यूल के आधार पर विधिक सेवा संस्थानों द्वारा पैनल वकीलों के लिए लगभग 980 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

इसके अलावा, NALSA द्वारा तैयार किए गए 'दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय और उस तक पहुंच के उपाय ' प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया | इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पर इस उद्देश्य के साथ की शुरू किया जायेगा की लोगों को उच्च न्यायालय में याचिका, अपील, जवाब और प्रतिक्रिया आदि दाखिल करने में सुविधा प्रदान की जाए।

जोनल के साथ-साथ राष्ट्रीय श्रेणी में, श्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ पी एल वी , पैनल अधिवक्ता को पुरस्कृत किया गया । पूर्व क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पीएलवी का पुरस्कार झारखंड के श्री मंगला डेहरी को मिला, पश्चिम बंगाल से श्री जयंत नारायण चटर्जी को सर्वश्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता, रायपुर (छत्तीसगढ़) को सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रस्कार मिला।

नॉर्थ ईस्ट ज़ोन में, सर्वश्रेष्ठ पी एल वी अवार्ड नगालैंड के मिस्टर तिंगकाई कोन्याक ने, अरुणाचल प्रदेश के मिस्टर गुली सुमन ने सर्वश्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता, कोकराझार (असम) ने सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नगालैंड ने सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार जीता।

उत्तर क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पीएलवी अवार्ड जम्मूकश्मीर से सुश्री बिल्केस तांत्रे और गुरुग्राम (हरियाणा) ने सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार प्राप्त किया । सर्वश्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र से पंजाब और हरियाणा के श्री राजेश कुमार को दिया गया।

दक्षिण क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पैनल वकील का पुरस्कार केरला से सुश्री श्रीजा सासिधारा द्वारा जीता गया और सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार केरला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पीएलवी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः श्री बी.वी. सागर और आंध्र प्रदेश को गया।

छोटे राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ पी एल वी और पैनल अधिवक्ता का पुरस्कार क्रमशः सुश्री सुनीता देवी और श्री गौतम भारद्वाज द्वारा जीता गया था, दोनों चंडीगढ़ निवासी थे। सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार उत्तर पूर्वी दिल्ली द्वारा जीता गया था और सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुरस्कार दिल्ली ने जीता।

पश्चिम क्षेत्र में, गुजरात के श्री नाथभाई नंदभाई चावड़ा ने सर्वश्रेष्ठ पी एल वी के लिए पुरस्कार जीता, एमपी के श्री दीपक नाइक ने सर्वश्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता का पुरस्कार जीता, अलवर (राजस्थान) ने सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान ने सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुरस्कार जीते। ।

राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पीएलवी का पुरस्कार जीतने वाले श्री बीवी सागर को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने, पेयजल की व्यवस्था करने, वन क्षेत्र में एक अलग-थलग पड़े गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था करने, कई बाल विवाहों को रोकने, सड़क पर रह रहे बच्चों को बचाने के लिए, सम्मानित किया गया। नेशनल बेस्ट पैनल अधिवक्ता का खिताब जीतने वाले श्री राजेश कुमार ने अन्य पैनल वकीलों के

लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जेलों में प्ली बारगेनिंग अभियान का नेतृत्व किया, डोर टू डोर अभियान में कई गाँवों को कवर किया और स्कूल- कालेजों में कानूनी साक्षरता और एंटी ड्रग क्लब शुरू किये।

राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ डीएलएसए पठानमिथिट्टा, केरला को विभिन्न योजनाओं और विभिन्न विषयों पर अभियानों के माध्यम से किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जिला प्राधिकरणों के सहयोग से जिले को भिखारी मुक्त और भूख मुक्त नगरपालिका बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। सभी विधिक सेवा क्लीनिकों और फ्रंट कार्यालयों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए, योग्यता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक और कानूनी विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के कारण हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार दिया गया। श्री रविशंकर प्रसाद ने विधिक सेवा संस्थानों और इसके कार्यबल के प्रयासों की सराहना करते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए, जिनमे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल है, न्याय तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने सभी से विधिक सेवा कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के बारे में बात की। न्यायमूर्ति लोकुर ने गरीब और कमजोर लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा संस्थानों की बुनियादी इकाइयों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

माननीय श्री न्यायम्तिं ए के सीकरी ने अपने भाषण में उन कानूनी सेवा संस्थानों के बदलते परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिन्होंने केवल जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने से 'सभी के लिए न्याय तक पहुंच' की सुविधा प्रदान करने के लिए खुद को बदल दिया है |

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन ने कहा कि आम लोगों के दरवाजे पर कानून लाने के लिए विशेष रूप से समाज के संभ्रांत, बुद्धिजीवियों और वकील समुदाय की सोच में क्रन्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट ने कहा कि 'न्याय तक पहुँच' जो कि विधिक सेवा संस्थानों का आदर्श वाक्य है, तब तक निरर्थक होगा जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक प्रणाली के तहत अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते | समारोह का समापन नालसा के सदस्य सचिव श्री आलोक अग्रवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

के साथ हुआ।

83

# 6. वित

S. No	Name of the State Legal Services Authority	Grant allocated (Rs.)		
1	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,00,00,000		
2	अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,00,00,000		
3	असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,00,00,000		
4	बिहार प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,50,00,000		
5	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,00,00,000		
6	ग्जरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,50,00,000		
7	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,50,00,000		
8	हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,00,00,000		
9	जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक  सेवा प्राधिकरण	4,50,00,000		
10	झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	7,00,00,000		
11	कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,50,00,000		
12	केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,50,00,000		
13	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,00,00,000		
14	महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,00,00,000		
15	मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,50,00,000		
16	मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,00,00,000		
17	नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,00,00,000		
18	ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	7,00,00,000		
19	पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	9,50,00,000		
20	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	18,00,00,000		
21	तमिलनाइ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,00,00,000		
22	तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,00,00,000		
23	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,00,00,000		
24	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,00,00,000		
25	उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,00,00,000		
26	पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	9,00,00,000		
27	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,00,00,000		
	Total	1,55,00,00,000		

# 7. आगे का पथ

वर्ष 2019, न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए नए दिष्टकोणों का पता लगाने का वादा करता है जो की कानूनी सशक्तिकरण, नवपरिवर्तन और सब्तों और डेटा में सुधार पर केन्द्रित हो।

विधिक सेवा प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता प्रदान की जाए, कुशल और पेशेवर तरीके से काम करने हेतु प्रयासशील है।

इस दिशा में, हम सभी गतिविधियों के प्रभाव, कार्यबल और निगरानी तन्त्र का आकलन कराने के लिए काम कर रहे हैं जो हमें हमारी ताकत और चुनौतियों की पहचान करने में मदद करेगा |

इसके अतिरिक्त , विधिक जरूरतों के आकलन से विधिक सहायता सेवाओं की मांग का निर्धारण करने में, सेवाओं के वितरण में अंतराल को कम करने , विभिन्न हाशिए के समूहों के लिए विशिष्ट प्राथमिकता दिशा निर्देश निर्धारित करने के साथ-साथ विधिक सहायता सेवा वितरण में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

विधिक सेवा संस्थान उनकी स्थापना के बाद से, 'सभी के लिए न्याय तक पहुंच 'की संवैधानिक दृष्टि को पूरा करने करने के लिए जोर-शोर से आगे बढ़ रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है, न केवल सांस्कृतिक रूप से, बल्कि भौगोलिक, भौतिक और भौगोलिक रूप से भी । हालांकि समय के साथ विधिक सेवा संस्थानों के क्षितिज का विस्तार हुआ है फिर भी अभी तक दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विभिन्न बाधाओं के कारण न्याय वितरण प्रणाली तक पहुंच नहीं है और उनकी न्याय तक पहुँच सुनिश्चित किये बिना कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कानूनी सेवा तंत्र समावेशी है।

जनसंख्या के हाशिये के समूहों की चिंताओं को कार्यक्रम की अवधारणा और योजना में शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे न्याय सुधार की दरारों में न फँस जाए |

न्याय के प्रति लोगों की धारणा, बाधाएँ जिनका वे सामना करते हैं और कैसे

वे इनको संबोधित करते हैं, के तरीकों को समझने की आवश्यकता है | इसका उद्देश्य हाशिए की आबादी के लिए विशेष और लक्षित विधिक सहायता प्रावधान उपलब्ध कराना है, पेशेवर और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष ध्यान देना है। यह विधिक सेवाओं प्राधिकरणों का फोकस क्षेत्र बना रहेगा।

जमीनी स्तर पर विधिक सेवा कार्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए, हम विधिक सेवा की बुनियादी इकाइयों को मजबूत करने का प्रयास करते है जैसे विधिक सेवा क्लिनिक्स और फ्रंट ओफ्फिसस को अपडेट और डिजिटाइज्ड करना जिससे वे विधिक सहायता देने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करे।

इसके अलावा, 'डिजिटल इंडिया मूवमेंट' के मद्देनजर, सभी विधिक सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जेलों, विधिक सेवा क्लीनिकों और वेबसाइटों जैसे विभिन्न स्थानों पर रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण करके एवम इस विषय में साथ ही साथ विधिक सेवा आंदोलन के सभी हितधारकों के बीच, हम प्रौद्योगिकी को तह में लाना चाहते हैं,

अंत में , यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधिक सहायता सेवाओं की मांग उन्मुख हैं और उन्हें तदनुसार हाशिए पर और कमजोर लोगों की कानूनी आवश्यकताओं के साथ मजबूत और संरेखित करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारा उद्देश्य विधिक सहायता प्रदान करने में समर्पित कार्यबल जैसे पीएलवी और पैनल अधिवक्ताओं के योग्यता निर्माण करके, विधिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों तक पहुँचने और उनकी कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन तक पहुंचना मुख्य रणनीति रहेगी।

